(i)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 3] पंचम विधान सभा के तृतीय सत्र का चतुर्थ दिवस [संख्या 2

शुक्रवार,

दिनांक 2 मार्च, 1973.

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.1 बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

(श्री राम किशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(चिकित्सा, सहकारिता, राजस्व, खनिज, विद्युत्, पंचायत, विकास, देवस्थान, सिंचाई, यातायात, उपनिवेशन, एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न । श्री वृद्धिचन्द्र जैन !

सहकारिता के आधार पर लघु उद्योग

250. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) (श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) की अनुपस्थिति में) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सहकारिता के आधार पर जो लघु उद्योग विभिन्न जिलों में पिछले दस सालों से चलाये गये एवं चलाये जा रहे हैं उनकी सूची प्रत्येक जिले की अलग से सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त लघु उद्योगों में से कितने सफल रहे और कितने असफल रहे? सूची जिलेवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उक्त लघु उद्योगों की असफलता के क्या कारण रहे हैं?

(4) क्या यह सही है कि इस असफलता का मुख्य कारण सहकारिता विभाग और उद्योग विभाग में सहयोग की भारी कमी है?

(5) क्या राज्य सरकार उन कारणों को जिनके कारण लघु उद्योग असफल रहे हैं को मिटाने के लिये गम्भीरता से सोच रही है? यदि हां, तो राज्य सरकार इसके लिये क्या विशेष कदम उठा रही है।

राज्य मंत्री, सहकारिता (श्री जुझार सिंह): अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न में बहुत विस्तृत जानकारी की आवश्यकता है, वह अभी उपलब्ध नहीं हुई है। इसलिये इसे पोस्टपोन कर दें।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । स्थगित किया गया।

श्री श्रीराम गोटेवाला !

जयपुर उद्योग लिमिटेड सवाई माधोपुर का ट्रांसफार्मर

251. श्री मोहनलाल छंगाणी (फलौदी) (श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल बाजार, जयपुर) की अनुपस्थिति में) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर उद्योग लिमिटेड सवाई माधोपुर द्वारा अगस्त में अपने स्वयं के उपयोग हेतु 500 के. वी. का ट्रान्सफार्मर स्थापित किया था ?

(2) यदि हां, तो क्या यह सही है कि राज्य विद्युत् बोर्ड को बिना पूर्व सूचना दिये उक्त ट्रान्सफार्मर द्वारा बिजली का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया ?

(3) क्या उक्त ट्रांसफार्मर से बिजली प्राप्त करने हेतु जयपुर उद्योग लिमिटेड ने विद्युत् बोर्ड से कोई अनुबन्ध किया था यदि हां, तो कृपया उक्त अनुबन्ध की एक प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(4) क्या यह सही है कि उक्त अनुबन्ध के अन्तर्गत जयपुर उद्योग लि. ने प्रतिभूति की राशि जमा कराई थी ? यदि हां, तो उक्त राशि कितनी थी व कब जमा कराई थी ?

(5) क्या यह सही है कि जयपुर उद्योग लिमिटेड द्वारा की गई उक्त कार्यवाही विद्युत् बोर्ड के नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है ? यदि हां, तो क्या कानूनी कार्यवाही की गई ?

(6) विद्युत् बोर्ड के टेरिफ के अनुसार 31 मार्च, 1972 तक जयपुर उद्योग लि. पर विद्युत् बोर्ड की कितनी राशि बकाया थी ?

श्री अध्यक्ष : आथोरिटी तो आपकी नहीं है ।

श्री मोहनलाल छंगाणी : मेरे पास है आथोरिटी, पेश नहीं की है । अभी आ जायगी ।

श्री अध्यक्ष : आ जायगी, तो गलती होगी सिन्स द मेन इज नाट हिअर। लेकिन जवाब मैं दिलवा देता हूं ।

विद्युत मंत्री (श्री हरदेव जोशी) :

(1) जी हां ।

(2) जी हां ।

(3) जी हां । प्रति 'अ' संलग्न है ।

(4) जी हां । निम्न प्रकार से जमा कराई गई :

रु. 80,000.00 का चैक नं 542269 दिनांक 17-9-69

रु. 1,30,000.000 का चैक नं. 542373 दिनांक 15-12-69.

रु. 34,000.00 का चैक नं. 999400 दिनांक 29-6-71.

रु. 4,20,000.00 बैंक सिक्यूरिटी दिनांक 24-4-70 ।

(5) जी हां ।

जी नहीं, क्योंकि इस ट्रान्सफार्मर से बिजली की खपत का पैसा उसी दर पर

Page No 3

(3)

(श्री हरिदेव जोशी)

जिस पर कि और बिजली की खपत दे रहे थे, दे दिया था।

(6) 31 मार्च, सन् 1972 तक जयपुर उद्योग लिमिटेड की तरफ विद्युत् मण्डल के खाते के अनुसार निम्न राशि बकाया थी:—

मण्डल की राशि–	19,47,680.00
विद्युत् कर	4,83,702.28
कुल योग	24,31,382.28

राजस्थान विद्युत् मण्डल ने एक कमेटी बनायी थी जिसने कि बोर्ड की 53वीं मीटिंग के आर्डर के मुताबिक बकाया राशि इस प्रकार बताई थी :—

मण्डल की राशि	विद्युत् कर
13,21,376.78	6,58,856.78

कम्पनी ने विद्युत् कर के लिये राजस्थान उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी उनके फैसले के अनुसार विद्युत् कर 3,97,448.23 देय होता था।

इस राशि में से 25,000 मासिक की दर से 2 लाख 4 हजार रुपया अब तक जमा हो चुका है। यह किश्त राज्य उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार तय की गई है।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री मोहनलाल छंगाणी : इस रुपये की वसूली की क्या कार्यवाही चल रही है?

श्री हरिदेव जोशी : मैंने बताया, किश्त तय कर दी गई है और 2 लाख 4 हजार रुपया जमा हो गया है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : डाइरेक्टर रहता है, यह 22 लाख, 23 लाख की बकाया की बात है, और हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार 3 लाख 97 हजार, जितना आपने फर्माया, उतना देय हुआ, तो क्या डाइरेक्टर ने गवर्नमेंट को इन्फार्म किया था कि इतने वर्ष से ट्रान्सफार्मर द्वारा बिजली की खपत के पैसे का भुगतान नहीं हुआ?

श्री हरिदेव जोशी : डाइरेक्टर का इससे क्या लेना देना, इंजीनियर करता है। इंजीनियर ने एग्जगरेटेड बिल भेज दिया जिसे हाई कार्ट ने अस्वीकार कर दिया।

श्री दलपत सिंह (खारची): जो बकाया है, इस पर व्याज लगाई जाती है और जो किश्त तय की गई है वह ब्याज लगा कर की गई है?

श्री हरिदेव जोशी : जी हां।

श्री मीठालाल : माननीय मंत्री जी ने बताया कि विद्युत् मण्डल की बकाया राशि 19,47,680 थी और 4 लाख 83 हजार 702 विद्युत् का था। बाद में एक कमेटी बनाई गई जिसने कि बोर्ड की 53 वीं मीटिंग के आर्डर के मुताबिक मण्डल राशि 13,21,378.78 तय की। उनकी तरफ से विद्युत् मण्डल की बकाया राशि निर्धारित की, यह किस आधार पर की और किस आधार पर 6 लाख कम किये। दूसरे यह जो इजाजत दी गई, उसके लिए

Page No 4

(५)

(श्री मीठालाल)

एक समझौता हुआ था उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, यह टेम्प्रेरी इजाजत है और बिना सूचना के कभी भी कनेक्शन काटा जा सकता है और जो रेट होगी वह बोर्ड की तरफ से तय की जायगी। तो उस कमेटी की तरफ से 6 लाख कैसे कम कर दिये गये ?

श्री हरिदेव जोशी : किसी कन्फ्यूजन के आधार पर हायर रेट पर असिस्टेन्ट इंजीनियर ने पूरा हिसाब करके बिल दे दिया था, जिसको स्वयं बोर्ड ने स्वीकार किया है। दूसरे साधारण लाइन से न लेकर हाई पावर टेंशन लाइन से कनेक्शन लेता है तो लोअर होती है, जब कि हायर रेट पर बिल दे दिया था।

श्री मनोहरलाल कोठारी : पूरा पैसा जमा कराना है इससे सरचार्ज पर असर पड़ता है। बड़े कन्ज्यूमर को सरचार्ज देना पड़ता है।

श्री हरिदेव जोशी : जितना बड़ा बिल होगा उतना बड़ा सरचार्ज होगा।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : इसमें डिस्क्रिशन चलता है या टेरीफ है उसके आधार पर तय किया ?

श्री हरिदेव जोशी : मिस-अण्डरस्टेंडिग के आधार पर।

कृषि भूमि पर मकान बनाने के अधिकार

252. **श्री जनार्दनसिंह गहलोत :** (गांधी-नगर, जयपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि कृषक को अपनी कृषि भूमि के कुछ भाग पर मकान बनाने का अधिकार प्राप्त है? यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसे मकानों के बनने पर भी नोटिस जारी किये हैं ?

(2) क्या यह सही है कि भू-अवाप्ति विभाग द्वारा ऐसे कृषकों को जिन्होंने नियमानुसार मकान बनाए हैं उन्हें परेशान किया जा रहा है ?

(3) राजस्थान के मुख्य मंत्री जी की एक घोषणा के अनुसार 21 अगस्त, 971 तक बने समस्त अनधिकृत निर्माण कार्यों को नियमित कर दिया जायगा? क्या यह घोषणा कृषि भूमि पर बने मकानों पर भी लागू होती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या भू–अवाप्ति विभाग को नगर परिषद् सीमा में बने ऐसे मकानों तथा निर्माण कार्यों पर कार्यवाही करने का अधिकार है ? यदि नहीं, तो नगर परिषद् क्षेत्र में ऐसे निर्माण कार्यों पर उक्त विभाग द्वारा कार्यवाही क्या वैधानिक होगी ?

राजस्व मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : (1) जी हां। प्रतिबन्धित क्षेत्रों में स्थित भूमि को छोड़ कर कृषक अपनी कृषि भूमि के 1/50 भाग पर मकान बनाने का अधिकार प्राप्त है। नोटिस उन्हीं मामलों में जारी किये जाते हैं जिन मामलों में कृषक द्वारा नियमों की अवहेलना करना पाया जावे।

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

(2) जी नहीं। भूमि अवाप्ति अधिकारियों द्वारा केवल उन मकानात को अवाप्त करने के लिए कार्यवाही की जाती है, जो कि उस भूमि पर स्थित हो जो राज्य सरकार द्वारा किसी अधिनियम के अनुकरण में किसी सार्वजनिक या अन्य विधि द्वारा अधिकृत प्रयोजनार्थ अवाप्त करने का निर्णय ले लिया हो।

(3) जी हां। नियमों में वर्णित प्रतिबन्धित क्षेत्रों को छोड़ कर कृषि भूमि पर दिनांक 21-8-71 तक बने समस्त आवासीय या वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ निर्माणों को नियमित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित कर दिये गये हैं।

(4) राज्य सरकार द्वारा जिस भूमि को अवाप्त करने का निर्णय लिया गया है, उस भूमि पर निर्मित किसी भी प्रकार के मकान को, चाहे वह नगर परिषद् सीमा के अन्दर स्थित हो या बाहर अवाप्त करने का सम्बन्धित विधि द्वारा नियुक्त भूमि अवाप्ति अधिकारी या कलेक्टर द्वारा अवाप्त करने का अधिकार प्राप्त है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है वह बिल्कुल निराधार है। हजारों की संख्या के अन्दर जो किसानों के खेत पंचायत के क्षेत्र के एरिया में आते हैं, वह नगर परिषद् की सीमा में जब से जोड़े गये हैं, उनमें से 19 गांव बड़ी बरबादी की स्थिति में है। उन्हें अवाप्ति विभाग के द्वारा हजारों नोटिस जारी किये गये हैं। नतीजा यह हुआ है कि वकील के पास लोग भागते भागते और आपके कार्यालय में चक्कर काटते काटते परेशान हो चुके हैं। आपसे और मुख्य मंत्री जी से एक डेलीगेशन भी मिला था और आपने लिखित में आर्डर दिया था कि ऐसी घटना नहीं होगी लेकिन आपके कार्यालय के द्वारा आपके आदेश के बाद भी ऐसी अनियमितता होती जा रही है। जिन लोगों को पट्टा पंचायत से मिल चुका है और वह एरिया नगर परिषद् में बाद में आया है, फिर भी नोटिस जारी किये गये हैं। 31 मार्च को जो मकान बने हुए हैं, कच्ची बस्तियों के मकानों को छोड़कर कुछ ऐसी कच्ची बस्ती है जो एग्रीकल्चर लैंड पर हैं, लेकिन वर्षों से जो कच्ची बस्ती बनी हुई है, लेकिन उनको भी छोड़ा नहीं गया है और उन्हें भी नोटिस जारी किये हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा, आप स्पष्ट स्थिति बतायें कि ऐसी घटना घटी है और कितने ऐसे नोटिस जारी हुए हैं, कितनों पर कार्यवाही हुई है।

श्री भंवरलाल भदादा : इस सम्बन्ध में एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं··

श्री अध्यक्ष : बाद में पूछ लें।

श्री भंवरलाल भदादा : अध्यक्ष महोदय, 25 मई को विधान सभा के सदन में घोषणा की गई थी कि इस सम्बन्ध में शीघ्र विचार करेंगे। ऐसा प्रश्न था भीलवाड़ा जिले में भीलवाड़ा तहसील में करीब करीब 3 करोड़ के डिमाण्ड नोटिस

Page No 6

(6)

(श्री भंवरलाल भवादा)

जारी हुए हैं और काश्तकार उससे बहुत परेशान हैं। जिन्हें पहले पंचायत के एरिया का पट्टा मिल चुका है और जिन पर बीस वर्ष से मकान बन चुके हैं उन्हें नोटिस दिया है क्योंकि नगर परिषद् क्षेत्र में आ गये हैं नगर परिषद् क्षेत्र में वृद्धि का दण्ड काश्तकार को क्यों दिया जाय–यह समझ में नहीं आ रहा है। इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया था उसका पालन नहीं हुआ है। अच्छा होगा शीघ्रातिशीघ्र आदेश जारी किया जाय जिससे उन लोगों को जो तकलीफ हो रही है उसका निराकरण हो सके··

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैंने जो सूचना दी है वह निराधार है यह यह तो नहीं कह सकते। नियम बने हुए हैं. उसके आधार पर है। कृषि भूमि को अकृषि भूमि में बदलने के लिए उसमें रेजीडेन्शल मकान बनायें या कामर्शल मकान बनायें उसके लिए नियम बने हुए हैं। उन नियमों के अनुसार जयपुर में बारह मील की परिधि बनी हुई है उन 12 मील के अन्दर जितने भी गांव आते हैं वहां पर बिना इजाजत मकान नहीं बना सकते। इसके अलावा यह तो पहले ही कहा जा चुका है कि 21 अगस्त तक जो मकान प्लिन्थ लेवल तक बन गये हैं उन सबको रेग्युलराइज किया जायेगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला : किस रेट पर किया जायेगा ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : वह रेट्स भी सब दिये हुए हैं जिसकी तालिका आप सब के पास है। उसके बाद जो गांवों में एग्रीकल्चरल भूमि है उस पर हर किसान को अपनी भूमि के 1150 भाग पर मकान बनाने का हक है और उसमें भी जैसे भवादा साहब ने बताया कि ऐसा भी नियम है कि म्युनिसिपल बोर्ड की आठ मील की परिधि में भी जो गांव आते हैं उनसे भी यह लागू किया है कि वह भी कन्वर्शन चार्जेज देकर मकान बना सकते हैं। इसके बारे में गवर्नमेंट सीरियसली विचार कर रही है कि जो काश्तकार अपना मकान बनाना चाहता है अपनी भूमि में उसको 400 गज पर या उसको भूमि के 1150 हिस्से पर, जो भी कम हो, उस पर यदि वह मकान बनाना चाहे उसको छूट दी जाय यह गवर्नमेंट के विचाराधीन है और जल्द ही फैसला कर दिया जायेगा।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : मैं यह कहना चाहता था कि 1150 भाग के अन्दर मकान बनाने की छूट आपने तो दे रखी है लेकिन जो 15 या 20 साल पहले के मकान बने हुए हैं और जो 1150 हिस्से पर हैं, उनके लिये भी आपके कार्यालय से नोटिस जारी हो रहे हैं। इस सम्बन्ध में आपके अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित किया गया लेकिन उसके बाद भी उन किसानों को परेशान किया जा रहा है। कम से कम ऐसे लोगों को तो छूट दी जाये जिन्होंने आपके कानून के अन्तर्गत परमिशन लेकर मकान बनाये, जिनके नक्शे आपकी तहसील से पास शुदा हैं। जिनके नक्शों पर मोहर लगी हुई है। उन पर भी आपने 20 हजार और 25 हजार रुपये के नोटिस जारी किये हैं, आप

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

शीघ्र वह नोटिस वापिस लेने के आदेश दें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जयपुर शहर की जो कच्ची बस्तियां हैं वह अधिकांश कृषि भूमि पर बसी हुई हैं, जैसे अजमेर रोड़ पर सोडाला, हसनपुरा वहां ऐग्रीकल्चरल लेंड पर ही मकान बने हुए हैं और वह मकान अभी के नहीं हैं, बरसों पुराने हैं और आपने जो 21 अगस्त की घोषणा की है उसके अन्तर्गत वह आ जाते हैं। उनको भी आपने नोटिस दे कर क्लीअर कराने की कार्यवाही की है।

दूसरी जो आपने घोषणा की थी, वह नारी के नाके के बारे में। नारी का नाका वन विभाग की भूमि पर बना हुआ है। अब वह भूमि यू.आई.टी. को ट्रान्सफर हो गई। तो जयपुर शहर में जो पहले वन विभाग की भूमि पर बसे हुए हैं, उनको भी आपके विभाग द्वारा नोटिस दिये गये। वह भी आप वापिस लें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : जयपुर शहर के 12 मील के अन्दर जो गांव सम्मिलित किये गये हैं, उनके कितने चालान आपके पेंडिग हैं और किस तरह से वह चालान किये गये। आपको याद होगा, आप किसान सम्मेलन में पधारे थे, वहां पर जोरों से आवाज उठी थी कि 50 बरस से जो हमारे कच्चे झोंपड़े बने हुए हैं उन पर भी चालान कर रहे हैं और आपके अधिकारीगण परेशान कर रहे हैं। वह आज इस स्थिति में नहीं हैं कि रुपये देकर उनको नियमित करा सकें।

दूसरा, जो कच्ची बस्तियां आज से बीस और तीस बरस पहले बनी हुई हैं, उनको भी आपने यह नोटिस भेजा है। उनकी स्थिति तो आज यह है कि 100 रु. पर देकर सोसाइटी का मेम्बर बनने की हैसियत में भी नहीं है। उनको भी आपके भूमि अवाप्ति अधिकारी नोटिस दे रखा है।

श्री भंवरलाल भदावा : निवेदन यह है कि अगर कोई काश्तकार ग्रामीण क्षेत्र में होता तो उनको बिना नजराना लिए मकान बनाने की इजाजत दे दी जाती। लेकिन नगर परिषद् में उनसे पैसा वसूल कर रहे हैं। जिन लोगों को नोटिस मिला है उसको निरस्त करने के बारे में आप क्या कर रहे हैं।

श्री जयकिशन लाल : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मेरा भी एक प्रश्न है। जयपुर की कच्ची बस्तियां...

श्री शंकरलाल (पाली) : अध्यक्ष महोदय, किसी एक प्रश्न का उत्तर आने के पहले ही दूसरा प्रश्न पूछते हैं। सभी प्रश्नों का उत्तर एक साथ कैसे आ सकता है?

श्री अध्यक्ष : वह तो माननीय सदस्य खुद ही कर रहे हैं।

श्री शंकरलाल : चेयर को माननीय सदस्यों पर कन्ट्रोल करना चाहिये।

श्री जयकिशन लाल : चाकसू और फागी तहसील के अन्दर भी जिन किसानों ने अपनी कृषि भूमि पर मकान बनाये हैं,

(श्री जयकिशनलाल)

उन किसानों को भी नोटिस दिये गये हैं। मैं एस.डी.ओ. और तहसीलदार से भी मिला था लेकिन फिर भी उनको परेशान कर रहे हैं। यह सभी जगह का प्रश्न है, केवल जयपुर का ही नहीं है। समस्त तहसीलों का यही प्रश्न है कि किसानों को परेशान किया जा रहा है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : जो पुरानी बस्तियां बनी हुई हैं दो साल से पहले, उनको रेग्युलराइज कर रहे हैं। गांव के किसानों को अपनी भूमि के 1150 हिस्से पर या 400 गज पर, जो भी ज्यादा हो, उस पर मकान बनाने पर पहले भी रेग्युलराइज करने का नियम था और फ्यूचर में भी रहेगा। यह तो केवल कस्बों के लिए ही है कि वहां पर फ्यूचर में रेग्युलराइज नहीं करेंगे क्योंकि वहा पर जमीन मंहगी होती है और अनअथोराइज्ड कब्जों को रोकने के लिए ही ऐसा किया गया है। अब वहां पर नाजायज कब्जा है वहां पर नोटिस दिया जा रहा है। यदि वह जायज प्रूव हो जायेगी तो नोटिस वापस ले लेंगे, यदि यह साबित हो जायेगा कि वह मकान पुराना बना हुआ है और लिमिट्स के अन्दर है तो जायज किया जायगा।

श्री जयकिशन लाल : जायज किस बेसेज पर करेंगे ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : गांव में तो चार आना गज का भाव रखा है। 400 गज तक और 1150 हिस्से तक तो कोई रकम नहीं ली जाती, पर चार आना प्रति गज लिया जाता है। जयपुर शहर में पुरानी बस्तियों में किसी को तंग नहीं करेंगे। पुराना कब्जा कोइ भी साबित हो जायेगा तो उसको तंग नहीं करेंगे।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अभी जो तंग कर रहे है, उसको वापिस लेने की कोशिश कर रहे हैं आप ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, हजारों लोगों से यह प्रश्न सम्बन्धित है और हजारों लोग परेशान हो रहे हैं। मंत्री महोदय आश्वासन दे रहे हैं कि पुराने कब्जे वालों को परेशान नहीं किया जायेगा। तो क्या आप उनके नोटिस वापिस लेने का आदेश देंगे ?

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : यह समस्या मेरे चुनाव क्षेत्र की है, गोटेवाला साहब और भार्गव साहब के चुनाव क्षेत्र में तो बहुत कम यह समस्या है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : बहुत है।

(शोरोगुल)

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : आपके अधिकारियों ने जायज और नाजायज का कोई भेद नहीं रखा है। उन्होंने सब को एक साथ नोटिस दे दिया है और जो जायज मकान बने हुए हैं उनको भी परेशान किया जा रहा है और हमारे यहां भीड़ बनी रहती है लोगों की जो शिकायत करते हैं वहां पर आपने जो

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

अधिकारी बिठा रखा है उसने भ्रष्टाचार को पनपा रखा है और जो लोग टेबल के नीचे पैसा दे देते हैं उनको नोटिस जारी नहीं होता। इस सम्बन्ध में आप अवश्य ध्यान देकर इसका निराकरण करें।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट क्वेश्चन।

(शोरगुल)

श्री निरंजन नाथ आचार्य।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने पर—अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री निरन्जननाथ आचार्य।

श्री निरंजननाथ आचार्य : प्रश्न संख्या 253।

(कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने पर—अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि मुझे बार बार आपको रोकने में बड़ा अनप्लीजेन्ट सा लगता है और मैं आपको रोकता हूं लेकिन अगर इसी प्रकार आप एक ही प्रश्न पर सप्लीमेन्टरी करते रहेंगे तो मैं समझता हूं कि मुश्किल से एक दो सवाल आ सकेंगे। वैसे हो एक घन्टे में दस से लेकर बारह सवाल आते हैं। इसलिए मेरा यह खयाल है कि आप लोग इसमें संयम बरतें। आप लोगों को एतराज होता होगा लेकिन मेरे पास भी इसके अलावा कोई चारा नहीं है। मुझे इस तरह कोई खुशी नहीं होती है बल्कि मेरी मजबूरी है। इसलिए आप लोगों को निवेदन है कि आप लोग इसे लाईटली लें। और प्रश्न को जल्दी से जल्दी समाप्त करने को कोशिश की जाय।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं आपकी भावनाओं की कद्र करता हूं पर इसके लिए मन्त्री महोदय को यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि वे जो प्रश्न के जवाब देवें तो पूरे दें। और इसके लिए जो अभी प्रश्न चल रहा है आप आधे घन्टे की चर्चा रख दें।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक व्यवस्था का प्रश्न है। वह यह है कि मन्त्री महोदय को चाहिए कि हम जो पूछें उसका उत्तर बराबर दें ताकि हमें ज्यादा सप्लीमेन्टरी नहीं करनी पड़े।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, आपने जो प्रश्न अवर 12 बजे तक रखा है उसे बढ़ाकर ज्यादा कर दिया जाय।

श्री हरिदेव जोशी : नहीं नहीं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रह जाते हैं जिनके उत्तर नहीं आते हैं या फिर लोक सभा वाली व्यवस्था करदें। उतना समय दें।

श्री अध्यक्ष : संसद में किस प्रकार से काम होता है वह मैं जानता हूं। वहां पर

(श्री अध्यक्ष)

एक माननीय सदस्य दो सप्लीमेन्ट्री से ज्यादा नहीं पूछता है। और उसके बाद तुरन्त बन्द हो जाता है यह प्रणाली है। अगर आप वह लागू करना चाहते हैं तो आई शेल बी गेल्ड टू इन्ट्रोड्यूस देट। मुझे तो खुशी होगी। लेकिन आपको कठिनाई होगी।

श्री निरंजननाथ आचार्य : वहां की प्रणाली अपनाई तो काफी बातें यों ही समाप्त हो जायेंगी।

श्री अध्यक्ष : मैं कुछ लिबरल रहता हूं।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय प्रश्न आवर को दो घन्टे तक कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : मैं समझता हू कि दो घन्टे में भी समाप्त नहीं होंगे।

श्री निरंजननाथ आचार्य।

मैसर्स धौलपुर स्टोन कम्पनी को माईनिंग लीज

253. क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) मैसर्स धौलपुर स्टोन कम्पनी को करौली क्षेत्र में सैण्ड स्टोन के लिए कितने क्षेत्र का माईनिंग लीज कितने रुपयों में दिया गया था?

(2) क्या यह सही है कि लीज की अवधि में समय समय पर वृद्धि की गई है? यदि हां, तो कब कब कितने कितने समय के लिए और क्यों?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त क्षेत्र का सीमांकन नहीं कराया गया? यदि हां, तो क्यों? और नहीं तो सीमांकन कब हुआ और उसका क्या परिणाम निकला?

राज्य मंत्री, खनिज (श्री जुझारसिंह) : (1) सर्व श्री धौलपुर स्टोन कम्पनी को सेन्ड स्टोन का खनन पट्टा दिनांक 1-8-54 से 31-7-59 पांच वर्ष की अवधि के लिए 96.7 वर्ग मील क्षेत्र में एक लाख रुपया वार्षिक डेडरेन्ट पर किया गया था।

(2) जी हां। मूल खनन पट्टे की अवधि पश्चात् राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 1959 के अनुसार प्रथम नवीनीकरण 10 वर्षों के लिए दिनांक 1-5-60 से एव द्वितीय नवीनीकरण दिनांक 1-6-70 से 10 वर्ष के लिए स्वीकार किया गया। यह नवीनीकरण अप्रधान खनिज रियायत नियम 1959 के नियमों के अन्तर्गत किया गया।

(3) जी नहीं। सीमांकन 23-8-54 से शुरू किया गया और सीमांकन रिपोर्ट दिनांक 20-9-54 को बनाई गई द्वितीय नवीनीकरण आदेश में 20 प्रतिशत क्षेत्र कम करने का उल्लेख है जिसके लिए सीमांकन अभी फाइनल नहीं हुआ है। वैसे पार्टी 20 परसेन्ट छोड़े क्षेत्र में कार्य नहीं कर रही है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसमें जो लीज समाप्त हो गया था और दुबारा उनको

(श्री निरंजननाथ आचार्य)
लीज़ दिया गया उसके बीच में जो पीरियड है इसमें कोई गेप तो नहीं रह गया। दूसरा लीज़ कौनसी तारीख को एक्सटेन्शन किया गया। क्या इस बीच में कोई समय रह गया था ?

श्री कुमारसिंह : थोड़ा समय रह सकता है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : थोड़ा समय रह गया या रह सकता है या क्या ? आप देख लीजिए मुझे जल्दी नहीं है। मैं तो सिर्फ एक दो सवाल ही पूछूंगा। आप शान्ति से देख लें।

श्री कुमारसिंह : जी हां। इसके बीच में गेप थोड़ा सा रह गया था। लीज़ 31–3–1954 को इस कम्पनी का पांच वर्ष के लिये लीज़ दिया गया और उसका पीरियड 31–3–59 को समाप्त हो गया। इसके बाद में जो लीज़ दिया गया उसमें थोड़ा गेप रह गया है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : कितने महीनों का कितने सालों का ?

श्री कुमार सिंह : एक साल से होना चाहिए।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं इस बारे में एक बात पूछना चाहता हूं कि इस कम्पनी को दुबारा लीज़ मिलने में जो गैप रहा उस पीरियड़ में वहां पर कोई काम होता था वह किन नियमों के अन्तर्गत होता था।

श्री कुमार सिंह : इनको ही थोड़ा एक्सटेन्शन किया गया था। जब तक दूसरा लीज़ एक्सटेन्शन नहीं हुआ तब तक उन्हें ही एक्सटेन्शन दिया गया। एक साल का करीब है गैप।

श्री निरंजननाथ आचार्य : क्या कोई गेप इसमें रहा था उसमें दुबारा फिर कोई एक्सटेन्शन दिया गया था तो अगर वह दिया गया था तो किस आधार पर, किन नियमों पर। आप जरा मेरे प्रश्नों को समझ लीजिये।

श्री कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, अभी मेरे पास पूरी डिटेल्स नहीं हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप चाहें तो स्थगित करवादें प्रश्न को। मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न स्थगित किया गया। नेक्स्ट श्री मीठालाल।

गृह निर्माण सहकारी समितियों को कर्जा

254. क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : 1. राजस्थान में सन् 1972–73 में कुल कितनी गृह निर्माण सहकारी समितियों को कर्जा दिया गया तथा कर्जे की कुल राशि कितनी है ?

2. क्या यह सही है कि अधिकांश रजिस्टर्ड गृह निर्माण सहकारी समितियों के प्रार्थना-पत्र कर्ज स्वीकृति के सरकार के पास विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो क्यों तथा इन समितियों को कब तक कर्जा दे दिया जावेगा ?

Page No 12

(12)

राज्य मंत्री सहकारिता (श्री जुझारसिंह): 1. राजस्थान में सन् 72–73 में 80 गृह निर्माण सहकारी समितियों को 1, 30, 77, 996 रुपया कर्जा राजस्थान स्टेट को आपरेटिव हाउसिंग फाइनेंस सोसायटी लिमिटेड जयपुर द्वारा स्वीकार किया गया।

2. जी नहीं।

श्री मीठालाल : अध्यक्ष महोदय, यह तो सही है कि एक करोड़ 30 लाख और कुछ रुपये सैंक्शन किये गये हैं लेकिन कहना कि कोई पेंडिंग नहीं यह गलत है। अध्यक्ष महोदय, बहुतसी कोआॅपरेटिव सोसाइटीज़ हैं जिन्होंने लोन के लिये एप्लाई किया है लेकिन सिर्फ 80 कोआॅपरेटिव सोसाइटीज़ को ही कर्जा दिया गया है। राज्य सरकार ने कहने को तो 1 करोड़ रुपये से ज्यादा रु. गृह निर्माण सहकारी समितियों को गृह-निर्माण के लिए दिया गया था लेकिन अधिकांश कोआॅपरेटिव सोसाइटीज़ को अभी तक कर्जा नहीं दिया जा रहा है। जबकि पैसा राज्य सरकार ने उनके लिए ही रखा है तो फिर इतने प्रार्थना-पत्र आज तक विचाराधीन क्यों पड़े हैं। अध्यक्ष महोदय, सैकड़ों सोसाइटीज़ की अर्जियां पेन्डिंग पड़ी हुई हैं।

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह काम राज्य सरकार का नहीं है। यह काम राजस्थान स्टेट कोआॅपरेटिव हाउसिंग फाईनेन्स सोसाइटी लिमिटेड जयपुर द्वारा स्वीकार किया जाता है। वह लोन देती है। इसमें कुछ फार्मेलिटीज रह गयी होंगी। वैसे माननीय सदस्य की जानकारी के लिये कह दूं कि आज तक 15 लाख 12 हजार और 287 रुपये वितरण किये गये हैं।

श्री मीठालाल : बड़े दुख की बात है जबकि गृह-निर्माण सहकारी समितियों को देने के लिये एक करोड़ से ज्यादा रकम डिस्ट्रीब्यूट करना था और आपने सिर्फ 15 लाख 12 हजार 287 रुपया ही दिया है। अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार द्वारा 1,63,475 रुपये दे दिये जाते हैं और राजस्थान स्टेट कोआॅपरेटिव हाउसिंग फाईनेन्स सोसाइटी से सिर्फ 15 लाख रुपये ही 80 कोआॅपरेटिव के स्वीकृत करती है।

श्री जुझारसिंह : वो अलग बात है। अलग ऐजेन्सी होती है। लेकिन जिनको लोन नहीं मिला है मैं समझता हूं कि उनमें जरूर कमियां रह गयी होंगी जिसके कारण उनको लोन नहीं दिया गया। उनको नोटिसेज दिये गये होंगे उन खामियों को दूर करने के लिये।

श्री पी. के. चौधरी : क्या यह सही है कि उन्हे रुपया इसलिये वितरण नही किया जा रहा है कि जिन लोगों ने अर्जियां दी हैं वे लोग ज्यादा तर शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राईब के लोग हैं और उनको जो जमीनें दी गयी हैं वह फ्री दी हुई थी इसलिये उन्हें नहीं दिया जा रहा है।

श्री जुझारसिंह : कुछ सोसाईटीज को नोटिसेज दिये गये हैं लेकिन उनमें खामियां हैं।

यह जानकारी है मेरे पास कोई नियमों का झगडा होगा।

श्री पी. के. चौधरी : यही झगड़ा है कि उन्हें मुफ्त पट्टे दिये हुए हैं जमीनों के ।।

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान स्टेट कोआपरेटिव हाऊसिंग फाईनेन्स सोसाईटी लिमिटेड का काम है ।

श्री पी. के. चौधरी : अध्यक्ष महोदय मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जब उन शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों को पंचायत समिति की तरफ से मुफ्त पट्टे दिये गये हैं तो उन्हें उस जमीन पर लोन क्यों नहीं दिया जाता। उन्हें किस आधार पर सैंक्शन नहीं हो रहा है ।

श्री जुझारसिंह : कहीं पर्टीक्यूलर केसेज में नहीं माने हैं। और प्रोसीजरल खामियां ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हजारों लोगों को पट्टे दिये गये थे यहां पर राज्य सरकार द्वारा लेकिन बड़े खेद की बात है कि आज उन कोआपरेटिव सोसाइटीज को कर्ज नहीं मिल रहा है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि आखिर वो क्या प्रोसीजरल डिफाल्ट है और उन प्रोसीजरल में सरकार क्या कोई ठीक करने का प्रयत्न कर रही है ।

श्री जुझारसिंह : प्रश्न यह नहीं है कि पट्टे फ्री हैं या पैसे से हैं। पट्टे वेलिड हैं तो दिया जायेगा लोन ।

श्री हीरालाल देवपुरा : पंचायतों ने पट्टे दिये। पंचायतों का अधिकार दिया गया उसके अनुसार ही उन्होंने फ्री पट्टे दिये हैं। रजिस्ट्रेशन के लिये जब सोसाइटी के पास जाते हैं तो ओब्जेक्शन होता है कि फ्री पट्टे मारटगेज नहीं हो सकते हैं।। राज्य सरकार को इस पर सोचना है कि जब फ्री पट्टे दिये हैं तो और यह सहूलियत दी है तो उनको लोन भी दिलाना चाहिये ।इस आधार पर यदि आप सहकारी समितियां को कहेंगे कि उनको वेलिड मान कर लोन दिया जाय तो ही उनको मिल पायेगा अन्यथा उनको लोन नहीं मिल पायेगा। 15 लाख का डिसट्रिब्यूशन हुआ तो उसमें भी तीन इन्स्टालमेन्ट में लोन दिये हैं। पहली इन्स्टालमेंट पर ही पूरी कार्यवाही हो जाती है फिर दूसरी इन्स्टालमेन्ट के समय भी सारे कागजात की छान बीन की जाती है और इस प्रकार से दूसरे और तीसरी इन्स्टालमेन्ट में काफी देरी हो जाती है। उसका कोई कारण नजर नहीं आता है। इसलिये ये जो कठिनाईयां हैं उनको दूर करवाइये।

श्री नारायणसिंह मसूदा (सहकारी मंत्री) : कोआपरेटिव सोसाइटीज से बात करके इसके बारे में हल निकालेंगे ताकि प्रोसिजरल डिफिकल्टीज दूर हो सकें।।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण चौधरी।

बी. एस. टी. सी. प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों का चयन

255. श्री रामनारायण चौधरी (झुंझुनूं) क्या पंचायत एवं विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(श्री रामनारायण चौधरी)

(1) झुंझुनू जिले के राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् कमीशन द्वारा कितने बी.एस. टी. सी. प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों को अध्यापक पदों के लिये चयन किया गया तथा उनमें से कितने चयनित उम्मीदवारों को नौकरियां दे दी गईं तथा जिनको नौकरी नहीं दी गई उनके बारे में राज्य सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

(2) झुंझुनू जिले में कितने प्रशिक्षण प्राप्त बी. एस. टी. सी. टीचर्स हैं जिनको अभी तक राज्य सरकार नौकरी नहीं दे सकी है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् सेवा चयन आयोग द्वारा कुल 265 बेसिक एस. टी. सी. प्रशिक्षित अध्यापकों का चयन किया गया । उनमें से जिला कर्मचारी वर्ग समिति द्वारा 193 चयनित प्रत्याशियों का पंचायत वाइज आवंटन कर नियुक्ति की जा चुकी है । बाकी 72 चयनित प्रत्याशियों को झुंझनू जिले में स्थान रिक्त न होने से उनका चयन परिवर्तन कर उन्हें जिला बीकानेर व नागौर में अध्यापकों के पदों पर नियुक्ति हेतु आवंटित किया जा चुका है।

(2) सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री रामनारायण चौधरी : जिनको आवंटित कर दिया गया उनको पंचायत समिति में नियुक्ति मिली या नहीं ?

श्री हरिदेव जोशी : आवंटित कर दिया गया। नियुक्ति मिली या न मिली इसकी सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री दीपंकर : क्या नागौर में कमी थी इसलिये उनको वहां भेजा ?

श्री हरिदेव जोशी : जी हां ।

श्री दीपंकर : हजारों की तादाद में अध्यापक बेकार हैं और काम पर नहीं लगाये जा रहे हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : बी. एस. टी.सी. ट्रेन्ड नहीं है ।

श्री दीपंकर : प्रत्याशियों को ट्रेनिंग लेने की स्थिति नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

श्री रामनारायण चौधरी : बीकानेर और नागौर भेजा गया तो क्या वहां पर जगह होगी तो दी जावेगी ?

श्री हरिदेव जोशी : जगह होने पर एवं अध्यापकों के उपलब्ध होने पर।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई ।

जालोर जिले के काश्तकारों को पास बुकों का वितरण

256. **श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर)**: क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

(1) क्या यह सत्य है कि जिला जालौर में काश्तकारों को अब तक पूरी पास बुकें वितरित नहीं की जा सकी हैं ? अगर हां, तो अब तक कुल कितने में से कितनी पास बुकें तहसीलवार बांटी जा चुकी हैं एवं कितनी वितरण करनी बाकी हैं ?

(2) जिला जालौर में सब खातेदारों में पूरी पास बुकें कब तक बांट दी जावेंगी ?

(3) क्या सरकार पुख्ता आवंटित भूमिहीन काश्तकारों को भी आवंटित भूमि की पास बुक दिलाना उचित समझेगी ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : जी, यह सत्य है कि जिला जालौर में काश्तकारों को अब तक पूरी पास बुकें वितरित नहीं की जा सकी हैं। जिन्हें वितरण की गई हैं वो तहसीलवार सूची संलग्न है। कुल 83,234 पास बुकें वितरण के लिए प्राप्त हुई थीं जिनमें से 58,193 वितरित कर दी गई हैं। शेष 25,041 पासबुकें वितरण करनी शेष हैं।

(2) जिला जालौर में सब खातेदारों में पूरी पासबुकें इस वर्ष के अन्त तक वितरित की जाने का प्रयास किया जावेगा।

(3) जी हां, ऐसे आवंटिति को आगामी एक वर्ष में पास बुक वितरित करने की आशा है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष जिला जालौर में कुल कितनी पास बुकों की आवश्यकता होगी यह बताया जाय ? यह तो आपने भेजी हैं।

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह अलग से सवाल है। 83,234 पास बुकें भेजी हैं जिला जालौर में।

श्री रघुनाथ विश्नोई : भेजने का आधार क्या है ? बंदिश रखी हुई है या खातेदार कितने हैं उनके हिसाब से पासबुकें वितरित होनी चाहिये।

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह सूचना चाही नहीं है आपने। 83,234 वितरण के लिए प्राप्त हुई उनमें से 58,193 वितरित कर दी गई हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अहोर में 8 हजार हैं। तहसीलवाइज आपने कितनी 2 पास बुकें भेजी। क्या कुल इतने ही खातेदार हैं ? तहसील सांचोर और जिला अहोर में इतना कम बांटने का क्या कारण है। स्टाफ कम है या आवंटन नहीं किया गया। एक जगह 24 हजार बांटी गयी। तहसील सांचोर सबसे बड़ी तहसील है क्या वहां पर पूरा स्टाफ नहीं है ? बांटने में क्या दिक्कतें आ रही हैं ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : पास बुकें भेजी गयी हैं। सांचोर एरिया बड़ा होगा लेकिन खातेदार उतने नहीं होंगे। 25 हजार बाकी हैं इस साल बांट देंगे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : शिड्यूल्ड कास्ट वगैरा के ऐसे माम ले हैं कि उनको पास बुक

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
नहीं बटेगी तो ऋण नहीं मिलेगा। इसलिए उनको बांटा जाय।

श्री रामचन्द्र चौधरी: इन पास बुकों की बिना पर बैंक ऋण नहीं देता है इसलिये पास बुकें लेने में भी दिक्कत आ रही है। जितनी पास बुकें बची हुई हैं वे बांट दी जावेंगी।

श्री रघुनाथ विश्नोई : ऐसे लोगों को जिनको परमानेन्ट अलाटमेन्ट हो गया है उनको लोन दिया जावेगा लेकिन उनको नहीं मिला है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री भानुकुमार शास्त्री।

सहायक खनिज अभियन्ता कार्यालय अलवर का स्टाफ

257. श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सहायक खनिज अभियन्ता कार्यालय अलवर में कितने वरिष्ठ लिपिक व कितने कनिष्ठ लिपिक कितने कितने समय से कितने व्यक्ति कार्यरत हैं ? कृपया इनके नामों सहित सूची सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या इन कनिष्ठ व वरिष्ठ लिपिकों में से जिनके स्थानान्तरण अनेक बार होने के बाद भी स्थानान्तरण आदेश रद्द हुए हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार निकट भविष्य में इनके स्थानान्तरण करने का विचार रखती यदि नहीं, तो क्यों ? कृपया स्थानान्तरण रद्द किये जाने के कारण दर्शाते हुए तथा स्थानान्तरणों व उनके स्थगनों के आदेशों की सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

राज्य मंत्री (श्री जुझारसिंह) : (1) सहायक खनिज अभियन्ता कार्यालय, अलवर में वरिष्ठ लिपिक एवं कनिष्ठ लिपिक कार्यरत हैं उनके अलवर में कार्यरत रहने की अवधि संलग्न है।

(2) उपरोक्त कनिष्ठ लिपिकों एवं वरिष्ठ लिपिकों में से केवल हीरालाल वरिष्ठ लिपिक का कई बार स्थानान्तरण हुआ एवं प्रशासनिक कारणों से वापस रद्द हुआ।

(3) इस ग्रीष्म काल में स्थानान्तरण करने पर विचार किया जावेगा। सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री भानुकुमार : अध्यक्ष महोदय, एक लिपिक सन् 52 से लेकर आज 73 तक एक स्थान पर बैठा है। सूची जो संलग्न है उसमें यह बताया गया है कि 25–5–59 को उसका स्थानान्तरण हुआ और 18–7–59 को स्थगित हो गया। 8–9–66 को स्थानान्तरण हुआ फिर स्थगित हो गया। इसी प्रकार स्थानान्तरण हुए स्थगित हो गये 18–5–72 को स्थानान्तरण हुआ और 14–7–72 को स्थगित हो गया। यह

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

स्थानान्तरण और स्थगन के आदेश के बीच पीरियड में कहां पर रहे ? क्या ये छुट्टी पर रहे या स्थानान्तरण आदेश का पालन नहीं करते रहे ? क्या कारण है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : एक साथ ही प्रशासनिक कारण बदलते रहे या कैसे ?

श्री जुझारसिंह : एल. डी. सी., यू. डी. सी. इनके ट्रान्सफर्स अमुमन जब तक कोई शिकायत न हो तो नहीं करते हैं। इम्पोर्टेन्ट आदमी नहीं हैं जो किसी में इन्ट्रेस्टेड हों।

श्री भानुकुमार शास्त्री : वहां जो अभियन्ता बैठे हैं वे भी उतने ही वर्षों से बैठे हैं ।

श्री जुझारसिंह : जो जानकारी है उसके अनुसार उनके स्थानान्तरण एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउन्ड्स पर रद्द किये गये । इनके बारे में कोई शिकायत उपलब्ध नहीं है और यदि कोई शिकायत उपलब्ध होगी तो चाहे यू. डी. सी. हो या एल. डी. सी. हो उनका स्थानान्तरण होगा ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

श्री भानुकुमार शास्त्री : सरकार का इसमें बड़ा नुकसान हो रहा है, लाखों का नुकसान हो गया है। वह आदमी पोलिटिकल प्रेशर के कारण वहां बैठा है। वह सरकार का उच्च अधिकारियों का कमाऊ पूत है इसलिये बैठा है ।

श्री जुझारसिंह : ऐसी बात नहीं है । अगर वह कहीं सरकार का नुकसान कर रहा है और इसकी जानकारी सरकार को हुई तो एक्शन लिया जावेगा । पर जैसा निवेदन किया कि सामान्यतया एल. डी. सी. यू. डी. सी का ट्रान्सफर रेगुलर ही हो ऐसा नियम नहीं है ।

श्री लक्ष्मणसिंह : क्या सरकार इसे सिद्धान्त रूप में मानने को तैयार है कि अमुमन पाच साल से ज्यादा किसी भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी को एक स्थान पर नहीं रहने दिया जावेगा ?

श्री हरिदेव जोशी : यह प्रश्न छोटे लोगों पर लागू नहीं होता है । इनके लिये तो सरकार का आर्डर है कि छोटे कर्मचारियो को आम तौर पर अपने जिले से बाहर नहीं भेजा जावे ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

छबडा के अनुसूचित जाति के लोगों को आवंटित की गई भूमि से बेदखली की कार्यवाही

258. **श्री जगमोहनसिंह (छबडा)**: क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सर्व श्री मोती, गोपाल, रामकल्याण, किशना, रामनारायण, रामनाथ, मोती, नेनगा

Page No 18

(18)

(श्री जगमोहन सिंह)

वगैरह जाति बैरवा (अनुसूचित जाति) निवासी सांगोड़ा, तहसील छबड़ा, जिला कोटा को दिनांक 4-3-67 को ग्राम दीलोद तहसील छबड़ा की खसरा नम्बर 313, 314, 315 की प्रत्येक को 15-15 बीघा भूमि आवंटन की गई थी ?

(2) क्या यह सही है कि सन् 1967-68 व 69 का लगान भी इस भूमि का उक्त व्यक्तियों ने अदा किया है ?

(3) क्या यह सही है कि इन लोगों के अलाटमेन्ट निरस्त कर उन्हें बेदखल करने की कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा की गई है ? अगर हां, तो ऐसे क्यों किया गया है ?

राजस्व मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) :

(1) जी हां ।

(2) जी हां ।

(3) जी हां, आराजी की खसरा नम्बर 313, 314, 315 वन क्षेत्र होने से इसका आवंटन नियम विरुद्ध होने से आवंटन निरस्त किया गया है ।

श्री जगमोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, आवटन ही नहीं किया गया, परचे भी दिये गये, पट्टे दिये गये । उन्होंने वहां पर अपने झोंपड़े बना लिये, तीन साल तक काश्त की, लगान दिया सरकार को । जमीन को तोड़ फोड़कर उसे उपजाऊ बनाया, डवलपमेन्ट किया जमीन का और तीन साल बाद वह जमीन सरकार ने वापिस छीन ली कि यह जमीन जंगलात की है इस बिना पर । अलाटमेन्ट नान जूडीशियल मेटर है । सरकार इस पर पुनः विचार करके भूमिहीन अनुसूचित जातियों के इन लोगों को जमीन वापिस दिलावे । सरकार ने एक इस तरह का सरकूलर भी निकाला है उसके तहत वापिस अलाटमेन्ट करावे और उनको वहां से बेदखल न होने दे । मंत्री महोदय इस बारे में सरकार की रीति नीति स्पष्ट करें ।

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह अलाटमेन्ट 4-3-67 को हुआ तीन आदमियों को । उस वक्त फोरेस्ट अफसर ने कहा कि यह हमारी जमीन है । आराजी तौर पर जो दी है उसे वापिस कराया जावे इस बिना पर कलेक्टर ने उनका अलाटमेन्ट 19-7-67 को निरस्त कर दिया । इसके बाद अपीलेट ओथोरिटी के पास मामला गया । 69 में अपील खारिज हो गई । निरस्त का हुक्म बहाल रखा । ये कागज सेक्रेटेरियट में आये । सेक्रेटेरियट से भी यही आर्डर हुए । अब तीन महीने की बात को ये तीन साल की बतावें तो बात दूसरी है । अब इसे रेगुलेराइज करने का सवाल नहीं पैदा होता जब कि इतनी कार्यवाही हो चुकी, और यह जमीन फोरेस्ट की मान ली गई ।

श्री जगमोहन सिंह : यह सही है कि तीन साल तक लगान सरकार ने उनसे वसूल किया है । अगर लगान लिया तो फिर यह किस आधार पर लिया ? और यह भी गलत है कि उन्हें चार महीने में निरस्त कर दिया गया ।

श्री रामचन्द्र चौधरी : 4-3-67 को अलाटमेन्ट हुआ, और 19-7-67 को निरस्त होने का पहला आर्डर जारी हो गया। अब यह बात अलग है कि आप अपील में चलते रहे और इस बीच काश्त करते गये। तो लगान तो वसूल होगा ही।

श्री जगमोहनसिंह : क्या यह सही है कि जिस समय यह अलाटमेन्ट हुआ उस समय यह जमीन फोरेस्ट विभाग की नहीं दिखाई हुई थी, रेवेन्यू में दर्ज थी।

श्री रामचन्द्र चौधरी : इन सब बातों पर बहुत विचार किया जा चुका है इस मामले में और आखरी तौर पर इसे निरस्त कर दिया गया था।

श्री दिनेशराय डांगी : अध्यक्ष महोदय, यह एक केस नहीं है, ऐसे अनेकों केस रात दिन सामने आते हैं। अगर वन विभाग की भी जमीन हो तो सरकार उसे वन विभाग से लेकर रेगुलेराइज कर सकती है। पहले तो वाहवाही लेने के लिये अलाट कर दिया जाता है, फिर दूसरे हाथ से छीन लिया जाता है। यह भयंकर अत्याचार है अनुसूचित जाति के साथ।

श्री जगमोहनसिंह : यही नहीं, अलाटमेन्ट से पहले पंचायत ने नोटिफिकेशन निकाला है गजट में इस जमीन के लिये।

श्री दिनेशराय डांगी : अलाटमेन्ट के बाद आठ दस हजार रुपया जमीन को डवलपमेन्ट करने में खर्च कर दिया। तो ऐसे केस में सरकार जंगलात से यह जमीन निकलवाने की कार्यवाही करें।

एक माननीय सदस्य : जमीन देते हैं तो पहले अहसान जताते हैं, फिर दूसरी तरफ निरस्त कर देते हैं। यह अन्याय है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह राज सरकार की नीति से सम्बन्धित प्रश्न है। यह तथ्य है और इस तरह की घटनाएं आये दिन हमारे सामने आती हैं। तो या तो सरकार इसे फोरेस्ट विभाग से लेकर इसे रेगुलेराइज करे या दूसरी जमीन लेकर इनको दे। यह भी तथ्य है इस केस में कि जिस समय अलाटमेन्ट किया गया यह रेवेन्यू के रेकार्ड में ही दर्ज थी। फोरेस्ट की दर्ज नहीं थी। तो फोरेस्ट और रेवेन्यू के बीच में झगड़े में ये गरीब क्यों पिटे? तो अब क्या विचार है सरकार का?

श्री रामचन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय सरकार की यह मंशा कतई नहीं है कि चरागाह की भूमि या वन की भूमि को खतम कर दिया जाय। अब रहा प्रश्न इन लोगों का, तो अगर सिवाय चक की भूमि कहीं खाली हुई तो वह दी जा सकती है। नहीं तो मजबूरी है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री मनोहर कोठारी।

(कई सदस्य एक साथ बोलने लगे : अश्रव्य)

(शोरगुल)

श्री गुमानमल लोढा : आन ए पोइन्ट आफ आर्डर सर।

श्री रघुनाथ विश्नोई : प्रश्नोत्तर काल में पोइन्ट ग्राफ ग्रार्डर नहीं होता।

श्री अध्यक्ष : वैसे ही कह दीजिये क्या कहना चाहते हैं ?

श्री गुमानमल लोढा : प्रश्नकर्ता सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन के मेम्बर हैं। क्या वहां से सम्बन्धित प्रश्न वे रख सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष : इसीलिये मैं ग्रागे का सवाल ले रहा हूं।

श्री मनोहर कोठारी।

श्री गुमानमल लोढा : 259 के बारे में ही है यह।

श्री अध्यक्ष : ग्रापने देर से बताया।

श्री बिरदाराम : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, यह हरिजनों के प्रति ग्रन्याय है।

(लगातार बोलते रहने पर)

श्री अध्यक्ष : ग्रंकित न हो।

नाथद्वारा मन्दिर बोर्ड

259. **श्री मनोहर कोठारी** (नाथद्वारा) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नाथद्वारा मन्दिर बोर्ड ग्रधिनियम कब प्रभावशील हुग्रा ?

(2) क्या राज्य सरकार ने उक्त ग्रधिनियम के ग्रन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के ग्रनुसार वांछित नियमों का निर्माण कर लिया है ? यदि नहीं, तो विलम्ब का क्या कारण है ?

(3) क्या यह सही है कि वांछित नियमों के ग्रभाव में मन्दिर बोर्ड की व्यवस्था में व्यवधान पैदा होता है ? यदि हां, तो ये नियम कब तक बनाये जाकर प्रभावशील कर दिये जायेंगे ?

श्री नारायण सिंह मसूदा (देवस्थान मन्त्री) : (1) नाथद्वारा मन्दिर ग्रधिनियम, 1959, 30 मार्च, 1959 को प्रभावशील हुग्रा है।

(2) नियमों का प्रारूप जिसे ग्रन्तिम रूप दिया जा चुका है, राज्य सरकार के विचाराधीन है। नियमों के प्रारूप को ग्रन्तिम रूप देने में महाराज श्री से परामर्श एवं उनके प्रस्ताव ग्रादि के कारण विलम्ब हुग्रा है।

(3) जी नहीं।

श्री मनोहर कोठारी (नाथद्वारा) : क्या राज्य सरकार यह उचित समझती है कि इतने लम्बे समय के बाद भी नियमों का नहीं बनाया जाना वहां के कार्यकलापों में बाधा नहीं डालता है ?

श्री नारायण सिंह : मैंने उत्तर दिया कोई व्यवधान नहीं है। जिस प्रकार से वहां की परम्परा है, उस प्रकार काम चल रहा है। नियम बराबर बने हैं ग्रौर समय 2 पर कभी उन्होंने ऐतराज उठाया है तो उन सब बातों की कार्यवाही की गई है। केबिनेट में भी यह बात ग्राई थी। ग्रब फिर उन

(श्री नारायण सिंह)
नियमों को आखिर 17-7-72 को भेजा गया है और उनको ला डिपार्टमेंट से वेट कराया जा रहा है। शीघ्र ही केबिनेट मीटिंग रखी जायगी और उनको पास करा दिये जायेंगे ?

श्री मनोहर कोठारी : कब तक करा दिये जायेंगे।

श्री नारायण सिंह : शीघ्र ही।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री जयकिशन।

सादी सिंचाई योजना के अन्तर्गत कार्य।

260. **श्री जयकिशन लाल तोसावडा** (फागी) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ जिले में सादी सिंचाई योजना के एक ठेकेदार के अधूरे काम को कैंसिल करके दूसरे ठेकेदार को ऊंची दरों पर दिया जिससे राज्य सरकार को करीब 50 हजार रुपये का नुकसान हुआ ?

(2) क्या यह भी सही है कि दूसरे ठेकेदार को ऊंची दरों पर सरकार द्वारा ठेका स्वीकृत करने का कारण तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता चित्तौड़गढ़ द्वारा गलत रिपोर्ट का करना है ?

(3) क्या यह सही है कि इस बारे में एकाउन्टेंट जनरल ने ड्राफ्ट पैरा बनाया है व दोषी अधिशासी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए भी लिखा है ?

(4) क्या यह भी सही है कि मुख्य अभियन्ता ने एकाउन्टेन्ट जनरल की शिकायतों को मान लिया है ? अगर हां, तो सरकार दोषी अधिकारी के खिलाफ कब तक कार्यवाही करके उसे उचित दण्ड देने का विचार रखती है ?

राज्य मंत्री, सिंचाई (श्री मूलचन्द) : (1) कुछ विशेष परिस्थितियों में पहले ठेकेदार का अधूरा कार्य फाइनल करके और दुबारा टेन्डर मांगकर काम दूसरे ठेकेदार को दिया गया। ऊंची दर होने के कारण रु. 59,400 का अधिक भुगतान किया गया।

(2) जी नहीं।

(3) यह सही है कि एकाउन्टेन्ट जनरल ने ड्राफ्ट पैरा बनाये हैं जिसमें आरोपों के लिए जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिये एवं अगर कोई दोषी पाया जाय तो उसके विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही से अवगत कराने के लिये लिखा है।

(4) मुख्य अभियन्ता ने ड्राफ्ट पैरा के तथ्यों को स्वीकार किया है। सम्बन्धित अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी जा रही है। जिसके प्राप्त होने पर उचित कार्यवाही की जा सकेगी।

श्री जयकिशन : यह विशेष परिस्थिति क्या थी, जिसकी वजह से आपको करना पड़ा।

श्री मूलचन्द : जो पहले ठेका दिया गया था उस पर लगभग 86 हजार का काम हो चुका था। ठेकेदार के सामने ऐसी परि-

(श्री मूलचन्द)
स्थिति आई। किसानों को जमीन का मुआवजा नहीं दिया गया अतः उन्होंने मिट्टी खोदने से इन्कार कर दिया। वहां पानी भी नहीं मिलता था, दूर से आता था इसलिए ठेकेदार ने काम बन्द कर दिया।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं पूछना चाहता हूं सरकार को हानि हुई है। इस नुकसान की वजह से ठेकेदार को ब्लेक लिस्ट किया गया है क्या?

श्री रामचन्द्र चौधरी : ठेकेदार की वजह से हानि नहीं हुई है। किसानों ने मिट्टी नहीं उठाने दी, उसकी वजह से रुकावट आई है।

श्री जय किशन : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने गलत उत्तर दिया है मेरे पास सही रिपोर्ट है। केवल व्यक्तिगत स्वार्थ के कारणों वश यह नुकसान हुआ है। 95 हजार के जो पाइप खरीदे हैं वह तीन इन्च की गोलाई के खरीदे हैं 8 रु.25 पैसे प्रति फीट के हिसाब से खरीदे हैं यह भी निजी स्वार्थ से खरीदे हैं। दूसरे 25 हजार के दो इन्च गोलाई के पाइप खरीदे हैं यह 7 रु. प्रति फीट के हिसाब से खरीदे गये हैं। जबकि इनको बाजार दर से 30 प्रतिशत अधिक दर पर खरीदा गया। निर्धारित मूल्य से अधिक लगाकर उन्होंने अपने निजी स्वार्थ के लिये खरीदे हैं। दूसरे, भ्रष्टाचार फैलाने वालों को उनको फायदा पहुंचाने के लिये किया हैं। इसकी जांच चल रही है फिर भी माननीय मन्त्री महोदय गलत उत्तर दे रहे हैं।

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह 68 में डेढ लाख का ठेका दिया गया था....

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : कौन ठेकेदार था...

श्री रामचन्द्र चौधरी : एक बार मेरी सुन तो ले। डेढ लाख का ठेका डेढ़ साल की अवधि के लिये दिया गया था। उस ठेकेदार ने काम शुरू किया और करीब 90 हजार का काम कर चुका था तो पास का बांध बनाने के लिए वहां के किसानों ने मिट्टी नहीं उठाने दी। उन्होंने उसका मुआवजा मांगना शुरू किया। उस समय मुआवजे का फैसला नहीं किया गया। उसकी मियाद गुजर चुकी थी। उसने कहा या तो मेरे से और काम कराया जाय या जितना काम मैंने किया है उसका पेमेन्ट किया जाय। मुआवजा नहीं देने के कारण काश्तकारों ने मिट्टी नहीं उठाने दी और फिर अवधि भी पूरी हो गई। इसलिये जितना काम किया था उसका पेमेन्ट कर दिया।

श्री जयकिशन : माननीय मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है, वह बिलकुल गलत है। इसमें ट्रकों की खरीद की गई है आटो ट्रेडर्स, उदयपुर से ट्रक खरीदे गये हैं ब्ल्यूचिस्तान आटो ट्रेडर्स, उदयपुर से ट्रक खरीदे हैं और निर्धारित मूल्य से अधिक बढ़ाकर केवल स्वार्थ के लिये ट्रक खरीदे हैं। मेवाड़ एजेन्सीज उदयपुर से ट्रक खरीदे हैं, बेडफोर्ड नेशनल मोटर्स, जयपुर से ट्रक खरीदे हैं और ये जो दोनों ट्रक खरीदे हैं वह दूसरे डिवीजन के लिये खरीदे गये हैं, यहां पर इनकी कोई आवश्यकता ही नहीं

(श्री जयकिशन)
थी। एक जयपुर के लिये खरीदा गया है और दूसरा अलवर के लिये खरीदा गया है। जबकि इन ट्रकों की आवश्यकता ही नहीं तो ये क्यों खरीदे गये। ट्रक खरीद कर राज्य सरकार को बड़ा भारी नुकसान पहुंचाया है। जो ट्रक खरीदे हैं उसमें 15–20 लाख का माल खरीदा है और उसमें 2–3 लाख का सरकारी नुकसान हुआ है। बिजिलेन्स कमीशन, सी. आई. डी. और एन्टीकरप्शन के अन्दर जांच करवायें तो आपको इस प्रकार के सारे घपले का मालूम हो जायगा।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य को निवेदन करूंगा कि आपका हर सप्लीमेन्टरी भाषण होता है। कृपा कर आगे के लिये ध्यान रखें। भाषण न होकर सप्लीमेन्टरी प्रश्न पूछ लिया करें।

श्री जयकिशन : अध्यक्ष महोदय, भाषण नहीं है। एक तरफ तो माननीय मुख्य मंत्री जी लोकायुक्त का कानून ला रहे हैं और एक तरफ भारी घोटाला है।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : ठेकेदार का नाम बता दें तो इतिहास सामने आ जायेगा।

श्री जयकिशन : अध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करना चाहता हूं प्रदम प्रकाश सिंघल है जो आजकल सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियर इर्रीगेशन है ये जहां भी जाते हैं भ्रष्टाचार का कार्य करते हैं। यहां भी भ्रष्ट कार्य किया है।

श्री रामचंद्र चौधरी : माननीय अध्यक्ष मैंने जो सूचना दी है वह तो गलत है और इनकी सब सही है। कुल 90 हजार का तो काम हुआ है और 3–4 लाख का नुकसान हो गया। 90 हजार का पेमेन्ट हुआ डेढ लाख का सारा ठेका था। इसमें 10 लाख के ट्रक खरीद लिये यह कौनसी बात आ गई, यह मेरी समझ में नहीं आई।

श्री जयकिशन : अध्यक्ष महोदय इस में बड़ा भारी गबन है···

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें···

(पुन: माननीय सदस्य के बोलते रहने पर, अश्रव्य)

मैं माननीय सदस्य को फिर निवेदन करना चाहता हूं। आप आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो मुझे मजबूर होकर कुछ करना पड़ेगा।

श्री शंकरलाल : इसकी जांच करवा ली जाय तो क्या आपत्ति है ?

श्री निरंजन नाथ आचार्य : ठेकेदार और एक्स इ एन का नाम ले लीजिये बाकी इतिहास निकल जायगा।

श्री रामचन्द्र चौधरी : 68 का काम है..

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : ठेकेदार का नाम बता दीजिये। आपके पास नाम तो होगा। एक्स इ एन और ठेकेदार दोनों का नाम बता दीजिये।

श्री रामचन्द्र चौधरी : नाम तो क्यों नहीं होगा। इसमें नहीं है।

(24)

श्री पी. क. चौधरी : अध्यक्ष महोदय, ठेकेदार ने काम इसलिए बन्द किया पहले वाले ने · · ·

श्री रामचन्द्र चौधरी : ठेकेदार का नाम हजारीमल शोभराज मल है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर का क्या नाम है उसकी भी पर्ची मंगा लो।

श्री रामचन्द्र चौधरी : उसका नाम सिंगल है।

श्री पी. के. चौधरी : ठेकेदार ने काम इसलिए बन्द किया कि पानी की सप्लाई नहीं मिलती थी और काश्तकारों ने मिट्टी नहीं उठाने दी।

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैंने अर्ज किया कि बांध मिट्टी का बनाना था तो मिट्टी आसपास के खेतों से किसानों ने नहीं उठाने दी और डूब में जो आने वाली जमीन थी उसका भी मुआवजा तय नहीं हुआ था इसलिए वहां भी वह काम नहीं कर सका। इसलिए उसका 1।। साल का पीरियड था वह खतम हो गया इसलिए पाबन्द नहीं कर सकते थे कि आगे वह काम करे। इसको कहा कि जितना काम किया पेमेन्ट कर दो और उसको पेमेन्ट कर दिया गया।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

श्री मोहनलाल छंगानी : अध्यक्ष महोदय, एक बहुत जरूरी प्रश्न था।

श्री अध्यक्ष : क्षमा चाहता हूं।

श्री मोहनलाल छंगानी : जो सरकार कहती है और करती नहीं है उसके बारे में प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन मेरी सलाह कम मानते हैं इसलिए मेरी मजबूरी है।

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

श्री मोहनलाल छंगानी : अध्यक्ष महोदय, आप देख लीजिए, सवाल आवश्यक लगे तो कल के लिए स्थगित कर दें।

एक माननीय सदस्य : स्थगित प्रश्न रह गये माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आज नहीं पूछ सकेंगे। मैं टाइम ज्यादा नहीं बढ़ाता हूं।

श्री मोहनलाल छंगानी 262 नम्बर का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : इसको मैं स्थगित कर सकता हूं।

श्री मोहनलाल छंगानी : अच्छा।

श्री अध्यक्ष : जो स्थगित थे उनको भी दुबारा स्थगित किया जाता है और 262 को भी स्थगित करता हूं।

(अन्य तारांकित प्रश्नों के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

Page No 25

अतारांकित प्रश्नोत्तर

मेजर व माइनर मिनरल रूल्स के अन्तर्गत खनन पट्टे

123. श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर):–क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य सरकार द्वारा माइनर मिनरल रूल्स के अन्तर्गत राज्य भर में जितने खनन पट्टे दे रखे हैं की अप-टू-डेट नियमों के साथ सूची सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

(2) मेजर मिनरल्स रूल्स के अन्तर्गत प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा जो खनन पट्टे दिये गये हैं की अप-टू-डेट नियमों के साथ सूची सदन की पटल पर प्रस्तुत की जावे।

(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

बाड़मेर जिले की चर्म उद्योग सहकारी समितियां

124. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) बाड़मेर जिले में चर्म उद्योग सहकारी समितियां कितनी हैं और किन किन को कब-कब कितना लोन मिला ?

(2) उनमें से कितनी चर्म उद्योग सहकारी समितियों को खादी बोर्ड द्वारा अनुदान दिया गया है और कितना कितना ?

(3) बाड़मेर जिले में कितनी चर्म उद्योग सहकारी समितियां सफल रहीं और कितनी असफल रहीं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) उक्त सहकारी समितियों में से कौन कौन कितने लाभ में रही और कौन कितनी हानि में रही ?

(5) उक्त चर्म उद्योग सहकारी समितियों के असफल होने के क्या कारण रहे हैं।

उत्तर

(1) बाड़मेर जिले में 31 चर्म उद्योग सहकारी समितियां हैं। इनमें किन किन को कितना ऋण मिला की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूचना कालम नं. 5 में अंकित कर दी गई है।

(3) सूची के कालम नं. 6 में अंकित कर दी गई है।

(4) सूची के कालम नं. 7 व 8 में अंकित कर दिया गया है।

(5) समिति के असफल होने के निम्न कारण रहे हैं :–

1. खादी बोर्ड से ऋण व अनुदान समय पर प्राप्त नहीं होना।

2. सदस्यों द्वारा समिति के कार्य में रुचि नहीं लेना।

3. कच्चा माल उचित मूल्य पर समय पर प्राप्त न होना।

4. तैयार माल का उचित मार्केट उपलब्ध नहीं होना।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

चित्तौड़गढ़ केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड में व्याप्त भ्रष्टाचार

125. **श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर)** : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार को चित्तौड़गढ़ केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो किन किन वित्तीय वर्षों से सम्बन्धित हैं और किन किन पदाधिकारियों के बारे में ये शिकायतें हैं?

(2) क्या तथाकथित शिकायतों के बारे में राज्य सरकार ने कोई साधिकारिक जांच करवाई है? यदि हां, तो जांच के परिणाम क्या रहे? यदि नहीं, तो जांच नहीं करवाने के क्या कारण हैं?

उत्तर

(1) जी हां, शिकायतकर्ताओं ने वर्ष 68 से 72 तक के समय का उल्लेख किया है ये शिकायतें निम्न पदाधिकारियों के बारे में हैं।

(1) श्री एस. एन. शारदा अध्यक्ष

(2) श्री बी. एल. शर्मा व्यवस्थापक

(2) उक्त शिकायतों की जांच करने हेतु उप-रजिस्ट्रार, उदयपुर को लिखा जा चुका है जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। जांच नहीं कराने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के पास भीम व देवगढ़ तहसीलों के केसेज

126. **श्री चिम्मनसिंह भाटी (भीम)** : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) उदयपुर जिले की भीम तहसील के मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के पास औसतन भीम के कितने केस प्रतिवर्ष आते हैं और देवगढ़ तहसील के कितने केस प्रतिवर्ष आते हैं?

(2) क्या यह सही है कि भीम के बजाय देवगढ़ तहसील के केसों की संख्या अधिक है?

(3) क्या यह सही है कि देवगढ़ तहसील की जनता लम्बे समय से महीने में 15 दिन मुन्सिफ कोर्ट देवगढ़ में करने की मांग कर रही है?

(4) इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) मुंसिफ मजिस्ट्रेट भीम जिला उदयपुर की न्यायालय में औसतन भीम तहसील के 232 मुकदमें और देवगढ़ तहसील के 151 मुकदमें प्रतिवर्ष दायर होते हैं।

(2) जी नहीं। भीम तहसील के बजाय देवगढ़ तहसील के मुकदमों की संख्या अधिक नहीं है।

(3) जी नहीं।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता।

भाखरा नहर परियोजना की कमाण्ड और अनकमाण्ड भूमि

127. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) भाखरा नहर परियोजना से प्रथम बार कब पानी लगना आरम्भ हुआ? उस समय से आज तक वर्षवार कितनी भूमि कमाण्ड घोषित करके उसमें पानी लगाया गया? कृपया वर्षवार आंकड़े दें।

(2) ऐसी कितनी भूमि थी जिसे कमाण्ड घोषित करके अनकमान्ड किया गया तथा ऐसी कितनी भूमि थी जो अन-कमान्ड घोषित करके कमान्ड की गई? दोनों स्थितियों की योजना के आरम्भ से आज तक के वर्षवार आंकड़े दें। इसमें वर्षवार राज्य सरकार का कितना खर्च आया तथा आज तक कुल कितना खर्च हुआ?

उत्तर

(1) भाखरा नहर परियोजना से प्रथम बार खरीफ 1954 में पानी लगना प्रारम्भ हुआ। आरम्भ में 943742 एकड़ भूमि कमाण्ड घोषित की गई थी। इसके बाद जो भूमि कमांड से अनकमांड व अनकमांड से कमांड घोषित की गई, उसकी वर्षवार सूची 'क' संलग्न है। जिस भूमि को पानी दिया गया, उसकी वर्षवार सूची 'ख' संलग्न है।

(2) ऐसी 54634 एकड़ भूमि थी जिसे कमाण्ड घोषित करके अनकमाण्ड किया गया तथा ऐसी 3527 एकड़ भूमि थी जिसे अनकमाण्ड घोषित करके कमाण्ड किया गया। इस पर राज्य सरकार का कोई व्यय नहीं हुआ।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

कृषि भूमि में मकान बनाने हेतु प्रार्थना-पत्र

128. श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा (फागी): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील बस्सी, जिला जयपुर की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के खातेदार आसामियों के 1967 से अब तक कृषि भूमि में रहने के मकान बनाने के लिए कितने प्रार्थना-पत्र तहसील कार्यालय में प्राप्त हुए हैं?

(2) तहसील द्वारा इस प्रकार के कितने प्रार्थना-पत्रों पर स्वीकृति प्रदान की गई? सूची निम्न तालिका में सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें:—

ग्राम का नाम	अनु. जाति/अनु. जन जाति के खातेदार अस्थाई का नाम	भूमि का कुल क्षेत्रफल एवं खसरा संख्याएं जिसमें सुधार चाहा है	क्षेत्रफल जिसमें सुधार के लिए अनुमति प्रदान की गई

(28)

(श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा)

प्रार्थना-पत्र देने की तिथि	अनुमति देने की तिथि

(3) क्या 1967 से लेकर अब तक इस प्रकार दी गई स्वीकृति के पश्चात् अनुसूचित जाति।अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों द्वारा बनाये गये मकानों का अन्य वर्ग के लोगों को बेचान हुआ है ? यदि हां, तो सूची निम्न तालिका में प्रस्तुत की जाय:—

ग्राम का नाम	अनु.जाति, जन जाति के आसामी का नाम	जिसको बेचान किया गया उसका नाम व जाति	बेचान की रजिस्ट्री सं. व दिनांक	बेचान की रकम

(4) क्या यह सही है कि राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के प्रावधानों के अन्तर्गत अनुसूचित जाति।अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों द्वारा अन्य वर्ग के व्यक्तियों को कृषि भूमि का बेचान व स्थानान्तरण आदि नहीं किया जा सकता है ? यदि हां, तो कृषि भूमि पर किये सुधार (मकान आदि) को अन्य वर्ग के व्यक्तियों को बेचान नहीं करने का प्रावधान क्यों नहीं है ?

उत्तर

(1) तहसील बस्सी जिला जयपुर में अनुसूचित जाति।जन जाति के खातेदारों द्वारा 1967 से अब तक कृषि भूमि में सुधार करने (मकान बनाने) हेतु 91 प्रार्थना-पत्र तहसील कार्यालय में प्राप्त हुए हैं।

(2) उक्त प्रार्थना-पत्रों में से 29 प्रार्थना पत्रों पर तहसील द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। सूची विहित तालिका में परिशिष्ट 'क' में संलग्न है।

(3) सन् 1967 से लेकर अब तक उप पंजीयक कार्यालय, बस्सी में पंजीबद्ध हुये विक्रय पत्रों को देखने से पता चला है कि अनुसूचित जन जाति के एक व्यक्ति ने अन्य जाति के एक व्यक्ति को मकान का विक्रय होना पाया जाता है। सूची विहित प्रपत्र में परिशिष्ट 'ख' संलग्न है।

(4) जी हां, कृषि भूमि पर किये सुधार को अन्य वर्ग के व्यक्तियों को बेचान भी उक्त प्रतिबन्ध लागू होता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सिद्धमुख केनाल योजना

129. **श्री निरंजननाथ आचार्य** (मावली): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सिद्धमुख केनाल योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

(2) क्या इस सम्बन्ध में योजना को अंतिम रूप दिया जा चुका है ? यदि हां, तो कृपया इस योजना की एक प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) इस योजना का तखमीना बना कर पंजाब एवं हरियाणा सरकार को सन् 1968 में भेजा था और उनसे यह अनुरोध किया गया था कि वे अपने अपने राज्य में होने वाले कार्यों का तखमीना बनाकर भेजें। पंजाब सरकार द्वारा इस योजना के लिए सहयोग न देने के कारण राजस्थान सरकार ने केन्द्र को लिखा है कि केन्द्र सरकार इस मामले में मध्यस्थता करके जल्दी से जल्दी पंजाब व हरियाणा से स्वीकृति दिलायें।

(2) पंजाब सरकार द्वारा इस योजना के लिए सहयोग न देने के कारण योजना को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है।

जयपुर-चूरू मार्ग पर सीधी बस सर्विस

130. रावतराम : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि राजस्थान रोडवेज का जयपुर से चूरू सीधी बस सर्विस चलाने का विचार है ? यदि हां, तो इस मार्ग पर कब तक बस चालू करदी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

निगम द्वारा जयपुर से चूरू सीधी एकल सेवायें 20-2-73 से चालू कर दी गई है।

प्राइमरी हेल्थ सेन्टर असनावर

श्री रामप्रसाद बोहरा (झालावाड़): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम असनावर जिला झालावाड़ में प्राईमरी हैल्थ सैन्टर का भवन अभी पूरा नहीं हो सका है ? इसके लिए कितनी राशि स्वीकृत हुई थी और कितनी राशि खर्च हो चुकी है ?

(2) क्या यह सही है कि भवन बनाने वाले ठेकेदार का कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है ? यदि हां तो क्यों और अब भवन कब तक पूरा हो सकेगा ?

(1) जी हां, भवन एवं स्टाफ क्वार्टर के लिए रुपया 95,500) की तकनीकी स्वीकृति हुई जनवरी 1973 तक 15,314) रु. की धनराशि खर्च हो चुकी है।

(2) जी हां, ठेकेदार को नोटिस दिए जा रहे हैं। मुख्य भवन का कार्य प्रगति पर है एवं अप्रेल तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

बीकानेर रावतसर बस मार्ग का राष्ट्रीयकरण

132. श्री लूणाराम: क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि बीकानेर-रावतसर बस मार्ग वाया श्री डूंगरगढ़ सरदार-

(श्री लूणाराम)
शहर, पल्लू का राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या बीकानेर से सरदार शहर तक या रावतसर तक ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) इन मार्गों के राष्ट्रीयकरण की योजना परिवहन निगम के विचाराधीन है।

(2) जी हां, शेष प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(3) जी नहीं शेष प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

डाक्टरों की नवीनतम सीनियोरिटी लिस्ट

133. श्री **राजेन्द्रसिंह** (उनियारा) : क्या स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग में डाक्टरों की नवीनतम सीनियोरिटी निश्चित की गई है यदि हां तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या सीनियर व जूनियर स्पेसलिस्ट डाक्टर्स का फिक्सेशन भी उपरोक्त सीनियोरिटी लिस्ट में किया गया है ? यदि नहीं, तो इनकी लिस्ट सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या किन्हीं डाक्टर्स द्वारा इस बारे में अपील की गई है ? यदि हां, तो किन किन द्वारा और कब कब ? उन पर क्या निर्णय लिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

राज्य परिवहन निगम की बसें

134. **श्री मूलचन्द सामरिया** (दौसा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में राजस्थान राज्य परिवहन निगम की कितनी बसें किन मार्गों पर चल रही हैं ?

(2) इसमें राज्य की कितनी राशि लगी हुई है ? और उक्त राशि के अलावा किस किस प्रकार अन्य स्थानों से राशि लगी हुई हैं ? पूर्ण विवरण देने की कृपा करें।

(3) गत तीन वर्षों में निगम को कितना हानि–लाभ हुआ ?

(4) राज्य में सन् 73–74 तक कितने नये मार्गों पर निगम की बसें चलाने का विचार है ?

(5) इसके लिए कुल कितनी राशि अतिरिक्त वांछित है ?

(6) क्या इसकी व्यवस्था करली गई है ?

(7) क्या यात्रियों को होने वाली असुविधाओं को खत्म करने का सरकार विचार रखती है ?

(श्री यातायात मंत्री)

उत्तर

(1) निगम की बस सेवाओं को संचालित सूची (क) सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) दिनांक 31–3–72 तक।

लाख रुपयों में

i. राज्य सरकार द्वारा विनियोजित पूंजी	212.83
ii. केन्द्रीय सरकार (रेल्वे) द्वारा दिनांक 31-3-72 तक विनियोजित पूंजी	82.50
iii. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से रिडिस्काउन्टिंग स्कीम के अन्तर्गत कर्ज	76.24
कुल	371.57

(3) लाभ ही हुआ है विवरण इस प्रकार है :—

वर्ष	लाभ	
1969–70	3,57,054	Audited accounts
1970–71	22,32,362	Accounts to be awaited.
1971–72	5,72,000	(Provisional)

(4) निगम द्वारा मार्गों के राष्ट्रीयकरण हेतु जिन योजनाओं का प्रकाशन किया जा चुका है उसकी सूची (ख) सदन के पटल पर रख दी गई है। इनमें से जो जो योजनाएं वर्ष 1973–74 में अनुमोदित हो जायेगी उन मार्गों पर निगम सेवाएं उपलब्ध कराना प्रारम्भ कर देगा।

(5) इसके लिये निगम को लगभग 5 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आवश्यकता होगी।

(6) इस व्यवस्था के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

(7) जी हां।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि :—

(1) सर्वश्री सुरेन्द्र प्रसाद, राजेन्द्रकुमार भारतीया और श्री श्रीराम गोटेवाला, सदस्य विधान सभा ने कोटा महाराव श्री भीमसिंह द्वारा अपनी कृषि भूमि को कुछ गृह निर्माण सहकारी समितियों को बेच देने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(2) श्री भीमाराम चौधरी, सदस्य विधान सभा ने नागौर जिले की डीडवाना तहसील में पम्पिंग सेटों वाले कुओं पर बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा बिजली के कनेक्शन काट देने आदि के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी है।

Page No 32

(32)

(श्री अध्यक्ष)

(3) श्री निरंजन नाथ आचार्य और श्री केदारनाथ, सदस्य विधान सभा ने राजस्थान के अकालग्रस्त क्षेत्रों में करीब पचास लाख पशुओं के मरने अथवा बाहर जाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(4) श्री गुमानमल लोढा, सदस्य विधान सभा ने फलोदी तहसील के ग्राम केलनसर में कुछ व्यक्तियों के भूख से मरने के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव को सूचना दी है।

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

(5) श्री गुमानमल लोढा और श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य विधान सभा ने दिनांक 16-2-73 को, चौहटन में दिनांक 12-2-73 को हुये लाठी चार्ज व अश्रु गैस के प्रयोग के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी।

(6) श्री मनोहरलाल और श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य विधान सभा ने नीम का थाना में चलते फिरते शल्य चिकित्सालय द्वारा हानिकारक दवाइयां वितरित करने के सम्बन्ध में दिनांक 26-2-73 को स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी।

(7) श्री केसरीमल, सदस्य विधान सभा ने ब्यावर उप-खण्ड में अकाल राहत कार्यों पर काम करने वाले श्रमिकों को पूरी मजदूरी न देने के सम्बन्ध में दिनांक 27-2-73 को एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी।

(8) श्री रामानन्द अग्रवाल, श्री केसरीमल और श्री योगेन्द्रनाथ हांडा, सदस्य विधान सभा ने दिनांक 26 व 28 फरवरी, 1973 को नेशनल डिसीप्लिन स्कीम के इन्सट्रक्टरों द्वारा की जा रही भूख हड़ताल के सम्बन्ध में 2 स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी थी।

इन सभी स्थगन प्रस्तावों का सम्बन्ध अविलम्बनीय लोक महत्व की घटना से नहीं है और माननीय सदस्य यदि चाहें तो इन पर बजट की बहस के समय चर्चा उठा सकते हैं। अतः मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मेरा जो स्थगन प्रस्ताव है वह यह है कि कोटा के अन्दर महाराव भीमसिंह ने दो कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज फर्जी बनाई। बी. ओ. सोमानी और कोटा हिज हाईनेस ने मिलकर दो समितियां फर्जी बनाई जिनमें से एक सोसाइटी का नाम श्रीनाथ जी गृह निर्माण समिति जिसके अध्यक्ष कोई श्री देवताजी हैं और एक दूसरी सोसाइटी और है। तो अध्यक्ष महोदय, यह दोनों समितियां 16-8-72 और 14-8-72 को बनी और इनका रजिस्ट्रेशन हुआ। कोटा हिज हाईनेस ने अपनी एग्रीकल्चरल लेण्ड को बिना उसे कन्वर्ट कराये हुए ही इन दोनों समितियों को बेच दी...

श्रीमती निर्मला सिंह : देवताजी का पूरा नाम बता दें।

Page No 33

(33)

श्री सुरेन्द्र प्रसाद : पहली सोसाइटी को 32,67,370 वर्ग गज जमीन बेची जो कि श्रीनाथ जी कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है और दूसरी समिति को 30 लाख वर्ग गज जमीन बेची। अध्यक्ष महोदय, जो 32,67,370 वर्ग गज जमीन बेची वह 24,50,530 रुपये की बेची और दूसरी समिति को 30 लाख रुपये में बेची। अध्यक्ष महोदय, स्थिति स्पष्ट इस तरह से हो जाती है कि जो इन्होंने रजिस्ट्री कराई उसमें स्टाम्प की कीमत के अनुसार 1 लाख रुपया बताया और वह भी पोस्ट डेटेड चैक में दिखाया। सबसे मजेदार बात यह है कि जो इन्सटालमेंट्स फिक्स की वह 5 लाख रुपया 1-11-72 को····

श्री अध्यक्ष : कृपया संक्षेप में कहें।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद : आज इस प्रकार से उन्होंने दो समितियों को अपनी जमीन बेच दी। दोनों समितियों की मेम्बरशिप बोगस हैं और समितियां भी बोगस हैं और बी. ओ. सोमानी कोई एवरैस्ट कम्पनी को ले आये और देवता जी जिस समिति के अध्यक्ष हैं उनके घर पर उनका ऑफिस बनाया और समिति की जमीन को कोटा के अन्दर बेचना शुरू कर दिया। पहला प्रश्न तो यह है कि इन्होंने कोआपरेटिव सोसाइटी के तहत रजिस्ट्री कराई, उसमें रजिस्ट्रेशन फीस और स्टाम्प ड्यूटी की चोरी की गयी क्योंकि उन समितियों की कीमत कंसेशनल रेट्स पर असेस की गयी। इस प्रकार से इन्होंने 4 लाख रुपये की चोरी की और दूसरा प्रश्न यह है कि हाउसिंग सोसाइटी हाउसलेस लोगों को लिए होती है लेकिन एवरैस्ट कम्पनी बम्बई से आई और उन्होंने जमीन को ठेकेदारों को और प्रापर्टी डीलरों को बेचना शुरू कर दिया और इस प्रकार से लाखों रुपया इकट्ठा कर लिया गया और आज तक उस जमीन को कन्वर्ट नहीं कराई गई। तो मैं चाहूंगा कि माननीय सम्बन्धित मंत्री महोदय से एक वक्तव्य दिलायें। बिना कन्वर्शन कराये उस जमीन को बेचा जा रहा है। तो अध्यक्ष महोदय वक्तव्य दिलाने की कृपा करें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मेरी भी एडजर्नमेंट मोशन था इस सम्बन्ध में। उन्होंने बोगस सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कराया है, उनको दण्ड मिलना चाहिए। इस प्रकार से लाखों बीघा जमीन जो कि सारे राजस्थान के अन्दर राजाओं के नाम पर की गयी थी और इस सारी भूमि को लैंड रिफार्म्स एक्ट आने के बाद में अजीब अजीब तरीके से सीलिंग से बचने के लिए जगह जगह बिक्री की है और कोटा में जिस प्रश्न के सम्बन्ध में हमने आपसे निवेदन किया है

उसके अन्दर दो सहकारी समितियां बना कर इस प्रकार का प्रयत्न किया गया है जिससे राज्य सरकार को एक तरफ जो स्टाम्प ड्यूटी की लाखों रुपयों की आमदनी होने वाली थी उससे नुकसान हुआ और जो आवास की आवश्यकता की पूर्ति के लिए सहकारी आन्दोलन जो मुख्य आधार था वह आधार ही खत्म हो गया····

श्री अध्यक्ष : आपके पूर्व सदस्य इसे कह चुके हैं। आप सारांश में कहें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : सारांश के रूप में।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास : अध्यक्ष महोदय, इसका स्टेटमेंट दिलवा दिया जाय मन्त्री महोदय से।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं निवेदन कर रहा था कि सहकारी समितियों का जो निर्माण हुआ है उसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि एक तो वक्तव्य आप दिलवा दें मंत्री महोदय से। मंत्री महोदय को आप आदेश दें कि वे वक्तव्य दें। सहकारी समिति उन लोगों की बनी है जिनके पहले से ही कोटा में मकान हैं और राजस्थान में बड़ी 2 हवेलियां हैं, बड़े बड़े बंगले हैं उनको किस प्रकार से मेम्बर बनाकर सहकारी समितियां बनाई गई

दूसरा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि भूमि को किस प्रकार से···

श्री अध्यक्ष : यह सवाल तो है नहीं।

(व्यवधान अश्रव्य)

श्री निरंजननाथ आचार्य : मेरे खयाल से जुझारसिंह जी अगर स्पष्टीकरण कर दें तो यह मामला यहीं तय हो सकता है।

श्रीमती निर्मला कुमारी : हम यह जानना चाहते हैं कि उसमें कौन व्यक्ति हैं।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास : इसके अन्दर फेमिली सेटलमेंट के नाम पर लाखों रुपयों की चोरी हुई है। लाखों रुपयों की सम्पत्ति का बीस रुपये के स्टेम्प पर सेटलमेंट हुआ है जिससे लाखों करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है।

(कई सदस्य एक साथ बोलते रहे अश्रव्य)

श्रीमती निर्मला कुमारी : नाम तो बतलायें आप इसके।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास : देवताजी हैं, मैंने पहले कहा है।

(व्यवधान अश्रव्य)

श्रीमती निर्मला कुमारी : क्या नाम है यह तो बतायें।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास : आप में भी जातिवाद का असर कर रहा है क्या?

(व्यवधान—शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : आपस में सदस्यगण बात न करें तो अच्छा है।

श्री गुमानमल लोढा : माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा का अधिवेशन प्रारम्भ होने के दिन 16 फरवरी, 1973 को चोहटन के अन्दर जो वहां पर एरड़ की भूमि होती है, जिस पर गांव के लोग अपने मवेशी चराते हैं, उस पर वन विभाग द्वारा कब्जा करने के कारणों से एक आन्दोलन चल रहा था और उस समय वहां पर चोहटन के अन्दर पुलिस के द्वारा शांतिपूर्वक आंदोलन करने वाले आन्दोलनकारियों पर, जो वन विभाग ने अतिक्रमण किया, उसके विरुद्ध उन पर लाठी चार्ज किया गया, अश्रु गैस छोड़ी गयी और उसके बाद में जब लाठी चार्ज से घायल पड़े हुए थे तो उस अवस्था में

Page No 35

(35)

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
उनको गिरफ्तार करके ट्रकों में डाल करके हथकड़ियां डाल कर बाड़मेर लाया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, चौहटन की इस घटना के बाद में, मैं जिलाधीश महोदय से मिला और बाड़मेर के अन्दर इन 12 व्यक्तियों, जिनके सिर लाठी चार्ज के कारण से फट गए थे, जिनके घाव हो रहे थे, उनके हथकड़ियां डालकर घुमाया गया और उसके बाद में जब मैं जिलाधीश से मिला तो उन्होंने इस बात को तो स्वीकार किया था कि वास्तव में यह छोटी सी मांग थी जिसके ऊपर वन विभाग के द्वारा इस प्रकाल के समय में कब्जा न किया जाता तो शायद यह घटना नहीं होती। मैं मुख्य मंत्री जी से यहां प्राकर मिला और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि वे इस मामले को देखेंगे और चौहटन के अन्दर के मामले को निपटा दिया जाएगा और वहां पर उसके बाद में उनको अनकण्डीशनल छोड़ दिया गया। लेकिन दूसरे दिन अज्ञात कारणों से जिलाधीश ने यकायक प्रेस कांफ्रेन्स कर घोषणा की कि न तो उनके मुकदमे विड्रा किये जायेंगे और न एरड की जमीन, जिसे वन विभाग ने छोड़ने की घोषणा की थी उस पर अमल किया जाएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अकाल के समय के अन्दर जिस समय हमारे ग्रामवासी वैसे ही पीड़ित हैं उस समय वन विभाग यदि इस प्रकार से बर्ताव करें तो कहां तक उचित है चाहे वह डवलपमेंट के लिए ही क्यों न हो। जो एरड की जमीन है वहां पर एक माताजी का मंदिर है, लोगों की धार्मिक भावना उसके साथ जुड़ी हुई है, हजारों लोग वहां पर आए हुए हैं और वहां पर चौहटन के यशस्वी वीर हेमसिंह जिसने भारत पाक युद्ध के समय भारतीय सेनाओं को पाकिस्तान जीतने में मदद की.....

श्री अध्यक्ष : आप थोड़े में फरमायें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : उसको लाठी से पीटा गया, उसके लड़के उस पर लेट गए तो उन पर भी चोट पहुंचाई गई। ऐसी स्थिति में, मैं निवेदन करूंगा कि इस एरड की जमीन के प्रश्न पर, लाठीचार्ज के प्रश्न पर, अश्रु गैस के प्रश्न पर और जो गिरफ्तारियां की गई हैं और जो मुकदमें चलाए जा रहे हैं और जिनके बारे में मुख्य मंत्री आदेश दे चुके हैं इन्क्वायरी के, इसके ऊपर सरकार की ओर से वक्तव्य दिया जाय ताकि जो वास्तविक स्थिति है वह सामने आ सके और फिर जन आक्रोश न बढ़े। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, आपने फरमाया कि बजट की बहस में इन प्रश्नों को उठाया जा सकता है, मैं प्रार्थना करूंगा कि बजट के समय जो मुद्दे उठाये जाने चाहिये वे उठाए जायेंगे और आपकी आज्ञा शिरोधार्य है लेकिन इसके बाद भी अगर मंत्री महोदय वन विभाग के या मुख्य मंत्री महोदय जो इस मामले को जानते हैं, इस मुतल्लिक वक्तव्य दे दें तो स्थिति स्पष्ट होगी और यह उचित होगा।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी द्वारा वक्तव्य।

श्री केसरीमल (ब्यावर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ब्यावर के मामले पर कहना चाहता हूं। मैं यह बार बार

Page No 36

(36)

(श्री केसरीमल)

निवेदन कर चुका हूँ सदन के सामने कि वहां हमारे इलाके के अन्दर जबरदस्त फेमिन है। वहां पर जो कार्य दिया जा रहा है वह काम भी अधिक है और उस काम का पैसा समय पर नहीं दिया जा रहा है। काम का जो पैसा दिया जा रहा है उसमें काम की नपती जिस तरह से की जा रही है उससे उन मजदूरों को वास्तव में एक चौथाई भी उसका नहीं दिया जा रहा है। जो आज मजदूरी तय की गई है। इस इलाके की हालत बड़ी खराब होती जा रही है। मैंने थोड़े दिन पहले भी जिक्र किया था कि वहां पर बड़ा असंतोष है इससे, स्ट्राइक भी हुई, रास्ते रोक लिए, बड़ा हंगामा हुआ लेकिन सरकार इस ओर न मालूम क्या बात है, इस बात पर ध्यान नहीं दे रही है। वहां पर समय पर पैसा मिलता नहीं है और जब कभी मिलता भी है तो पूरा पैसा नहीं मिलता। आज भूखा आदमी जिसके पास कोई रोजगार नहीं, कोई खाने की व्यवस्था नहीं, कोई कमाने का जरिया नहीं है उस आदमी से इतना काम लेना जो कि एक अच्छा भला आदमी भी नहीं कर सकता, उस काम को नहीं कर पाने के कारण पूरा पैसा नहीं दिया जाता, यह बहुत अच्छी बात नहीं है। इससे बहुत असंतोष है। मैं चाहता हूं कि इस विभाग के मंत्री महोदय इस बात पर जानकारी दें इसके बारे में क्या व्यवस्था कर रहे हैं और इस तरफ ध्यान दिया जाए।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय, मैं भी कुछ एन. डी. सी. एम्प्लाईज, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लाईज हैं, उनके बारे में अर्ज करना चाहता हूं। इसका एडजोर्नमेंट मोशन भी दिया था, वे दस दिन से यहां बैठे हुए हैं धरना दिए हुए और बेरोजगार बैठे हैं। उनको केन्द्र की हुकूमत राज्य सरकार को सौंपना चाहती है लेकिन उनके हकूक का राजस्थान गवर्नमेंट ने फैसला नहीं किया है। उनका कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उनको राजस्थान गवर्नमेंट को सौंप कर उनकी 15 साल की सर्विस को टरमिनेट कर रही है और उनको अस्थायी करके, टेम्पोरेरी एम्प्लाई के रूप में ले रही है। इस बारे में राज्य सरकार की क्या नीति है। जो कुछ भी किया जा रहा है वह रूल्स के खिलाफ है, इल्लीगल है, इसके विरुद्ध उन्होंने यहां धरणा दिया हुआ है। मेरा निवेदन है कि इसके ऊपर गवर्नमेंट अपना बयान दे कि क्या नीति है उसकी। एक तो उनकी 15–16 साल की सर्विस खत्म हो रही है, उनका मामला हाई कोर्ट में चल रहा है तो जब तक हाई कोर्ट का फैसला न हो, तब तक के लिए तो सरकार स्टे दे सकती है। उनका कहना है कि वे सेंट्रल गवर्नमेंट के परमानेंट एम्पलाईज हैं और हाई कोर्ट का फैसला उनके मुआफिक होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसका पैसा देगी। यह काफी महत्व का सवाल है अध्यक्ष महोदय। मैं गुजारिश करूंगा कि राजस्थान गवर्नमेंट इसके बारे में स्टेटमेंट दें।

श्री अध्यक्ष : इस बारे में, मैं इतना अर्ज कर दूं कि राज्य सरकार का उत्तर आ गया

(श्री अध्यक्ष)
हैं आप उसको देख लें, शायद इससे आपको संतोष हो।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधीनगर): अध्यक्ष महोदय, 28 तारीख को पोद्दार पार्क के सम्बन्ध में...

श्री अध्यक्ष : जानकारी चाही है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : जानकारी चाही है वह तो ठीक है लेकिन शीघ्र आज ही करा दें तो अच्छा है। हम जानना चाहते हैं कि राज्य सरकार इस बारे में क्या सोच रही है। पचास लाख की प्रोपर्टी से सम्बन्धित बात है, बहुत गम्भीर मामला है, इस विषय में सरकार को जल्दी ही जानकारी देनी चाहिए ताकि सदन को संतोष हो सके।

श्री अध्यक्ष : मैंने कह तो दिया है कि सरकार से जानकारी चाही है।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : मेरा आपसे निवेदन है कि आप मंत्री महोदय को कहें कि जल्दी वक्तव्य दें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन कर रहा था। आप जो भी आदेश देंगे वह शिरोधार्य है लेकिन जो भी यहां पर स्थगन प्रस्ताव देते हैं उसके बारे में कहा जाता है कि सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है...

श्री अध्यक्ष : मेरी मजबूरी है जानकारी लेने की।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उसके दो दिन बाद कह दिया गया कि बजट की बहस के समय, राज्यपाल के भाषण के वाद-विवाद के समय इसको उठा सकते हैं। तो मेरा निवेदन है कि नीमका थाना के बारे में, जो वहां पर शल्य चिकित्सालय है, उसमें जिस प्रकार की दवाइयां जो एक प्रकार का जहर है, बांटी जा रही है वह सदन में पेश की गई। उसी प्रकार से नीम का थाना में सड़ा गला गेहूं, जो वहां पर बांटा जा रहा है वह भी समस्या आपके सामने लाके पेश कर दी गई। मैं समझता हूं कि ऐसे प्रश्न पर इसको यह कह कर कि बजट के समय इन मामलों को उठाया जा सकता है, मैं समझता हूं कि जो भी सम्बन्धित मंत्री हैं उनको कम से कम सदन में आश्वासन देना चाहिये कि शल्य चिकित्सालय में जिस प्रकार की गड़बड़ कर रहे हैं भविष्य में वह नहीं की जाएगी और जो खराब गेहूं का वितरण किया जा रहा है वह भविष्य में नहीं बांटा जाएगा। ऐसे प्रश्नों को भी यदि कह कर कि बजट में उठा लिया जाय, टाला जाय तो मैं समझता हूं कि उचित नहीं होगा।

दूसरी बात जो गुमानमलजी ने कही और मेरी भी दरख्वास्त है कि चौहटन में जिस प्रकार का काण्ड हुआ है उस सम्बन्ध में भी सम्बन्धित मंत्री महोदय यहां पर वक्तव्य दें। इस प्रकार की आप व्यवस्था करें ताकि यहां पर माननीय सदस्यों को संतोष हो सके।

शासकीय वक्तव्य

बाड़मेर जिले के विस्थापित कैम्पों में बीमारी फैलने से अनेकों शरणार्थियों की मृत्यु

श्री परसराम मदेरणा (पुनःस्थापन मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बाड़मेर जिले के विभिन्न स्थानों पर स्थापित 25 शिविरों में से 21 शिविरों में आक्जीलरी नर्स, मिडवाइफ, आक्जीलरी हैल्थ वर्कर, मेल नर्स को पदस्थापित किया हुआ है जिनके द्वारा समय समय पर शिविर में अवस्थित रोगग्रस्त शरणार्थियों का शिविर पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध दवाइयों से उपचार किया जाता है। प्रतिमाह तीन-चार बार डाक्टर नियमित रूप से शिविरों का निरीक्षण कर रोगग्रस्त शरणार्थियों का उपचार करते हैं।

ग्राम चौहटन में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र स्थापित है जिनमे पदस्थापित डाक्टर शिविर चोहटन में अवस्थित रोगग्रस्त शरणार्थियों की देखभाल करते हैं। प्रत्येक शिविर पर पर्याप्त मात्रा में दवाइयां उपलब्ध कराई जाती हैं। ऐसी स्थिति में दवाइयों एवं चिकित्सा के अभाव में किसी की मृत्यु नहीं हुई है।

तहसील चौहटन के घनाऊ शिविर में 2344 विस्थापित हैं। इस शिविर में माह जुलाई, 1972 से अब तक 45 मृत्यु हुई है। शिविर स्थल पर मेल नर्स ग्रेड 2 पदस्थापित है जो शिविर पर रोगग्रस्त शरणार्थियों की देखभाल करते हैं। दवाइयां भी शिविर स्थल पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त डाक्टर भी समय समय पर नियमित देखभाल करते हैं। ऐसी स्थिति में उक्त जो मृत्यु हुई हैं वे चिकित्सा व दवाइयों के अभाव में नहीं हुई हैं।

शिविर तुड़बी जिसका कि उल्लेख माननीय सदस्यगण ने किया है इस शिविर में 2321 शरणार्थी हैं। इस शिवर में दो माह में 20 मृत्यु हुई हैं। रोगग्रस्त व्यक्तियों की शिविर स्थल पर ही पदस्थापित आक्सीलरी हैल्थवर्कर द्वारा चिकित्सा की गई थी। इनके पास दवाइयां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त माह जनवरी व फरवरी, 73 में डाक्टर द्वारा शिविर में समय समय पर जाकर शरणार्थियों का उपचार किया गया। ऐसी स्थिति में शिविर तुड़बी पर भी दवाइयों व चिकित्सा के अभाव में मृत्यु नहीं हुई है। इन शिविरों में राजस्थान सरकार द्वारा उपचार की समुचित व्यवस्था है।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : माननीय अध्यक्ष, मैं इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय से एक और बात जानने के लिए प्रार्थना करूंगा, और वह यह है कि इन शिविरों के अन्दर मृत्यु के कारणों पर मैं नहीं जाना चाहता। यदि व्यवस्था के अन्दर माननीय मंत्री महोदय संतुष्ट हों तो मैं उस विवाद में नहीं जाना चाहूंगा। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि जिस प्रकार से वहां से शिकायतें आ रही हैं, यदि व्यवस्था और अधिक तत्परता के साथ में उनको मिल सकें, और एक आम शिकायत जो वहां कम्पाउण्डर तुड़बी कैम्प में है वह

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
बिना पैसा लिए किसी को इन्जेक्शन, दवाइयां नहीं देता है। यदि इन शिकायतों को रफा दफा कर दिया जाय तो अधिक अच्छा हो।

दूसरा प्रश्न इसके साथ में लगा हुआ है कि इतने अर्से से यह लोग कैम्पों में रहते हैं, और वहां पर एक साल से अधिक समय उसमें निकलने वाला है तो क्या इनके पुनर्वास के लिए किसी प्रकार की जमीन उनको एलाटमेंट करने का, रोजगार देने के लिए व्यवस्था करें, या नौकरी की कोई व्यवस्था करें, तो नौकरी देने या कृषि करवाने के लिये ये यह सारी की सारी बातें हैं उनके बारे में कोई राज्य सरकार का विचार है या योजना है ?

माननीय अध्यक्ष, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि शिमला समझौते के पहले यह बात विवादास्पद थी कि इन व्यक्तियों को यहां पर रखा जायगा। यही नहीं और भी इनके बारे में कई प्रकार के विवाद यहां पर भी चले और केन्द्र के स्तर पर भी चले। अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी, जब वे बाड़मेर गये थे तो निश्चित रूप से घोषणा की थी कि शिमला समझौते के पश्चात् और सेनाओं की वापसी के पश्चात् इन लोगों को यहां पर ही रखा जायेगा और पुनर्स्थापित किया जायगा। मैं इस घोषणा का स्वागत करता हूं, लेकिन इसके साथ-साथ मैं यह चाहता हूं कि उस घोषणा को कार्यान्वित करें। लगभग 50 हजार के करीब लोग इन कैम्पों में रह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना करूंगा कि इन कैम्पों में लगातार रहने में किस प्रकार की दिक्कतें होती हैं, कितनी कठिनाइयां होती हैं, किस प्रकार की भीषण परिस्थितियों में यह लोग जीवन निर्वाह करते हैं, इसकी कल्पना हम अवश्य कर सकते हैं। ऐसे स्थान में जो कि रेगिस्तान है, जहां किसी प्रकार के साधन उपलब्ध नहीं होते हैं उनके मवेशियों के लिए चरागाह का प्रबन्ध करें। वे थोड़े बहुत अपने मवेशी लेकर आये हैं उनके लिए चरागाह का प्रबन्ध होना चाहिए।

वहां पर जो रिफ्यूजी टीचर्स लगाये गये हैं उनकी आम शिकायत है कि 7-7 महीनों से उनको तनख्वाह नहीं मिली है। कुछ सिन्धी टीचर्स हैं उनको कैम्प में लगा रखा है, लेकिन उनको आज तक पैसा नहीं मिला है। माननीय अध्यक्ष, मैं इसलिए प्रार्थना करूंगा...

श्री परसराम मदेरणा : काहे का ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : सिन्धी रिफ्यूजीज एसोसियेशन...

श्री परसराम मदेरणा : काहे का पैसा नहीं मिला ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : जिन सिन्धी टीचर्स को कैम्प में लगा रखा है पढ़ाने के लिए और तनख्वाह के पैसे जो उनको दिये जाने चाहिये जिससे वे अपना निर्वाह कर सकें वह उनको नहीं दी गई है, सैलेरीज। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि इसके बारे में सक्रिय कदम लें। ये अभागे व्यक्ति भारत-पाक संघर्ष में यहां पर आये वह हमारे अनुसार जीवन बसर कर सकें। उनको नागरिकता के अधिकार मिलने चाहिये ताकि वे भारत के नागरिक के अनुसार जीवन बसर कर सकें। उनको नागरिकता

(50)

(श्री गुमानमल लोढा)
मिले, रोजगार मिले और कोई स्थाई योजना उनके पुनर्वास की बनाई जाय। इसके बारे में मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय सदन के अन्दर घोषणा करेंगे और स्पष्टीकरण करेंगे जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी पहले कर चुके हैं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : माननीय अध्यक्षजी, यहां आज हम शरणार्थियों के बारे में विचार कर रहे हैं। हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के युद्ध में इन शरणार्थियों का भारत की विजय होने में काफी योगदान रहा है। हम बंगला देश के शरणार्थियों के बारे में विचार कर सकते हैं तो ये शरणार्थी तो ऐसे हैं कि जिनके कारण हमारा गौरव बढ़ा हैं, उनके बारे में पूरी तरह विचार करना चाहिये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शरणार्थी शिविरों में राशन नहीं मिलने के कारण कई लोग अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। वे ईसाई धर्म अंगीकार कर रहे हैं। मेरे पास इसके तथ्य आये हैं, मैंने जो जानकारी की है, कुछ लोगों से व्यक्तिगत रूप में संपर्क किया है और वहां के लोगों से जानकारी की है तो मेरी जानकारी के आधार पर वहां पर कई लोग मरे हैं बच्चे और वृद्ध। इसके लिए मंत्री महोदय और माननीय मुख्य मंत्रीजी को यह बताना चाहिये था कि शरणार्थी आये उस समय उनकी कितनी संख्या थी और बाद में जो आंकड़े जोड़े गये हैं वह कितने थे और अब कितने रहे हैं। लोग वहां पर मरे हैं।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक ओर तो स्थिति यह है कि राशन के अभाव में लोग मर रहे हैं वहां दूसरी तरफ स्थिति यह है कि जिन लोगों के पास में हथियार थे उनको लाइसेन्स कलेक्टर ने दे दिया था और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि शरणार्थियों के पास में हथियार बने रहेंगे, उन शरणार्थियों से हथियार वापस छीने जा रहे हैं। राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्रीजी की घोषणा के पश्चात जबकि पहले उनको राइफलें दे दी गई थीं, वह वापस ली जा रही है। जहां पर बाड़मेर में शिविर लगे हुए हैं वहां पर उनको जमीनें न देकर दूसरी जगह दी जा रही है। यह अच्छा होता कि सीमावर्ती क्षेत्रों पर सारे शरणार्थियों को बसा दिया जाता और इनके हथियार छीनने के बजाय सरकार इनको और हथियार देती तो सुरक्षा में वे यहां के लोगों की मदद करते। लेकिन वे लोग भूखे मर रहे हैं और अन्य लोगों को जमीनें एलाट की जा रही है। जहां पर इनके कैम्प्स हैं, ये लोग डेरा डाले हुए बैठे हैं वहां की जमीनें भी लोगों को एलाट की जा रही हैं। नियमानुसार यह एलाटमेंट अप्रेल के महीने में होता था वह अब तीन महीने पहिले ही हो रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा और माननीय खाद्य मंत्रीजी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि शरणार्थियों के नाम से जो चीजें खरीद-फरोक्त की जाती हैं उनमें भंयकर अनियमितताएं हैं शरणार्थियों के लिए चने की दाल का टेण्डर 170 क्विन्टल का मन्जूर हुआ है लेकिन वह चने की दाल सड़ी-गली और उसमें मटर की दाल मिली हुई दी जाती है। मटर की दाल का भाव 105 क्विन्टल है, लेकिन हम देख रहे हैं कि मटर की मिली हुई चने की दाल 170 क्विन्टल के

Page No 41

(52)

(श्री परसराम मदेरणा)

मिल रही है। पहले एक करोड़ के आस पास में खर्च हो चुका है। मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि भारत सरकार की सभी कैम्पों पर व्यवस्था है। अनाज भी समय पर उपलब्ध होता है। मैं सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सभी सुविधायें मिल रही हैं। राजस्थान में सूखे की स्थिति आई है। जो लोग सूखे से पीड़ित हैं, उनको उतनी सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं। जो 56 हजार व्यक्तियों को, जो कि कैम्पों में रहते हैं, उनको उपलब्ध हैं। उनकी राशन की मात्रा कम नहीं है। न्यूट्रिशन का अभाव नहीं है। यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने जिन तीन बातों के बारे में, जिन तीन विषमताओं का आपने जिक्र किया था, मेरा निवेदन है कि . . .

श्री निरंजननाथ आचार्य : ऐसा ही पिछड़ी जातियों में कर दिया जायेगा ?

श्री परसराम मदेरणा : वह तीन बातें मेरे द्वारा पर रखी हैं। राज्य सरकार कदम उठा रही है। यह विषमतायें मिटाने के लिए पंचवर्षीय योजना में राज्य सरकार की स्थिति को देखते हुए मैं हमेशा प्रयत्न करूंगा। आप जानते हैं कि बजट में कितना गेप है। उसके साथ साथ कितने फैक्ट काम कर रहे हैं। हवा महल से आने वाले माननीय सदस्य जो दाल का सेम्पल लेकर आये हैं, दूसरे उन्होंने कहा है कि राशन ठीक नहीं मिल रहा है, मेरी जानकारी में कोई शिकायत इस सम्बन्ध में नहीं है। इन शरणार्थियों के सम्बन्ध में जिला प्रशासन द्वारा एक एक रिपोर्ट आती है। उसमें कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं है। आप यह जानते हैं कि हमें जो उपलब्ध कराना है, उसके लिए हम बिना टेण्डर इनवाइट किये कुछ नहीं कर सकते हैं। कलेक्टर से कहा कि भाव गिर गये हैं। उन्होंने ऐसा एग्रीमेण्ट का क्लाज रखा तो कलेक्टर ने बिना किसी एग्रीमेंट के वह दाल का ठेका तोड़ दिया है। पहले उसने हमारे सामने रिप्रेजेण्ट किया था तो हमने कहा कि एग्रीमेण्ट में आप एक पार्टी हैं। कलेक्टर ने एक्सेप्ट किया है तो वह ऐक्शन ले सकता है। कलेक्टर ने कहा था कि चने के भाव गिर गये हैं। अब रबी की फसल आ रही है तो भाव गिर गये थे। कोई भी खराब फूड मैंने नहीं आया। गेहूं अच्छी तरह का नहीं आया, मटर के दाने अलग मिले हुए हैं, यह कहा, तो मटर के दाने से खतरा नहीं है, धतूरे का बीज तो हैं नहीं। मैं कह रहा था, उसके बाद चाहते हैं, चने की दाल खरीदने की बात है; चने की दाल भी शरणार्थियों को मिलनी चाहिए। जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य और गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा . . . .

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैंने कहा ठेका है उस ठेके में कम भाव वाली चीजें हैं उनको मिला कर दिया जा रहा है। इस प्रकार से अनियमितता बरती जा रही है, यह गम्भीर है। धतूरा मिला है, दूसरी चीज मिली है यह मैं नहीं कहता, लेकिन मिलावट वाली चीजें मिल रही हैं।

श्री परसराम मदेरणा : पिछले समय में मैं बाड़मेर गया हूं और बाड़मेर में जाने के बाद मुझे कुछ शरणार्थी मिले शिव तह-

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

हिसाब से वहां पर खरीदी जा रही है। बाड़मेर से दाल मैं अपने साथ लाया हूं और वह दाल मैं सदन की टेबल पर रख रहा हूं। इस प्रकार की सड़ी गली और मटर मिली हुई दाल है उसका भाव 170 रुपया क्विटल के हिसाब से दिया जा रहा है।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सर्दियों में शरणार्थियों के लिए जो कम्बल खरीदे गये थे और उनका जो सेम्पल दिया गया था वह 45 रु. प्रति कम्बल के हिसाब से था, लेकिन उन्हें 25, 30 रुपये वाले कम्बल दिये जा रहे हैं। जो कम्बल लेने का टेन्डर दिया गया था वह 45 रुपये का था और 20 रुपये के कम्बल वहां पर दिये जा रहे हैं।

इसलिए मैं खाद्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि उन्होंने बड़ी ईमानदारी से मन्जूर किया है कि कुछ मृत्युएं हुई हैं तो वह मृत्युएं उनको सुविधा न देने के आधार पर हुई हैं। तो मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इन शरणार्थियों को सीमावर्ती इलाके में बसाया जाय, उनके हथियार नहीं छीने जायं और सब प्रकार की सुविधाएं उनको दी जायं। सीमावर्ती क्षेत्र में उन शरणार्थियों को बसाया जाय जिन्होंने भारत के गौरव को बढ़ाया है। इसलिए उनको शरणार्थी न मान कर उनको पुरुषार्थी मान कर उनके साथ वैसा व्यवहार करना चाहिये। पुरुषार्थी मान कर उनको पैरों पर खड़ा कर सकें। इसलिए मेरा यह निवेदन है।

श्री केदारनाथ : आप जब भी सेण्ट्रल में स्टेट को रिप्रेजेण्ट करने जाते हैं तो शिमला एग्रीमेण्ट के तहत जो लोग वापिस नहीं जाना चाहते हैं, उन को प्रॉपर्टी कन्सेशन दे दिया जाये क्या ये लोग हमेशा रहेंगे यहां पर या ये अपनी मर्जी से नहीं जाना चाहते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : जैसा कि मैं पूर्व में निवेदन कर चुका हूं जो 2,344 हैं, और 2,321 हैं उस कैम्प में जुलाई से लेकर फरवरी तक कुछ और लोगों की मृत्यु वृद्धि हुई है। इस कैम्प में कुछ बच्चे भी थे और 80 साल के वृद्ध भी थे। 30 बच्चों की मृत्यु हुई है उनमें से 19 बच्चों को निमोनियां और मीजिल्स के कारण मृत्यु हुई। इन कैम्पों पर राज्य सरकार ने मेडिकल स्टाफ की व्यवस्था कर रखी है। तो भी मृत्यु का जो एवरेज है वह 36.6 के आसपास है। डेथ 14 है। ग्रोथ पॉपुलेशन 24.60 है। इसलिए कैम्प में जो भी व्यवस्था की गई है, व्यवस्था में कोई कमी है तो राज्य सरकार उसकी जांच करायेगी। जहां तक मुझे जानकारी मिली है, जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप भी वहां गये थे। वहां पर आम जनता की ऐसी फीलिंग है कि 56 हजार व्यक्ति जो बाड़मेर कैम्प में हैं, उनकी जो व्यवस्था की जा रही है, वह जो भारतीय नागरिक है, जो सूखे से पीड़ित हैं, उनके लिए वह व्यवस्था नहीं है। इसके लिए वह सन्तुष्ट भी है। उनको तेल, घी, मसाला, दाल की व्यवस्था की गई है। उनके लिए स्वेटर, धोती और कम्बल भी है। इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। हालांकि असिस्टेंस भारत सरकार से

Page No 43

(श्री परसराम मदेरणा)

सील के, उन्होंने कुछ फैक्ट्स पेश किये। एक बात यह है कि एस्टीमेट कमेटी सितम्बर, अक्टूबर के महीने में बाड़मेर में गई। एस्टीमेट कमेटी कैम्प्स में भी गई। इस सदन में भी यह प्रश्न उठा है, बजट सेशन के अन्दर। मैं अधिक विस्तार में जाकर यह निवेदन करूंगा कि एस्टीमेट कमेटी के सभी माननीय सदस्य इस बात से सेटिस्फाइड थे कि इन शरणार्थियों का प्रबन्ध जो है वह सेटिसफेक्ट्री प्रबन्ध है। मैं समझता हूं पूरी कमेटी, इस हाउस की कमेटी गई है और माननीय सदस्य भी एस्टीमेट्स कमेटी के सदस्य हैं....

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं बीमार था, मैं हॉस्पिटल में था, मैं गया नहीं। जो भी मैं वहां देख कर आया हूं, यह बाड़मेर में नहीं...

श्री परसराम मदेरणा : मैं नहीं कह रहा हूं, आप गये थे। आप सदस्य हैं। आप पधार नहीं सके। अगर आप पधार जाते तो जो गलतफहमी चल रही है, जो बातें आपने सुन रखी हैं वह शायद गलतफहमी नहीं होती। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं। गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां पर कहा, शिमला एग्रीमेंट के फलस्वरूप इन लोगों के सम्बन्ध में जो कोई भारत सरकार और हमारे बीच में मीटिंग हुई है उसमें इन लोगों की प्रॉपर्टी वहां रह गई है, उसके कम्पेन्सेशन के सम्बन्ध में, क्लेम के सम्बन्ध में चर्चा हुई या नहीं। मेरे इस विभाग को सम्भालने के बाद भारत सरकार और मेरे बीच कोई बातचीत या कान्फ्रेन्स नहीं हुई है। जहां तक उनको बसाने का प्रश्न है, उनके पुनर्वास का प्रश्न है, जैसा जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, पुनर्वास के साथ योजना बना कर उसमें जमीन के एलॉटमेंट की बात करनी चाहिए। उनके पुनर्वास और उनको भारतीय नागरिकता, इन्डियन सिटिजनशिप प्रदान करने का प्रश्न भारत सरकार से सम्बन्धित है। भारत सरकार ने इसमें इन दोनों बिन्दुओं पर कोई निर्णय नहीं लिया है अभी तक। अभी तक इसलिए, वह जो लोग हिन्दुस्तान में बैठे हुए हैं, वह फॉरेनर्स हैं, लेकिन फॉरेनर्स होते हुए भी आप सब जानते हैं कि वह अपने रिश्तेदारों के यहां आते जाते हैं, ठहरते हैं, उनको स्वतंत्रता है जो भारतीय नागरिक को है। इसलिए उनके बारे में अविश्वास करने का प्रश्न खड़ा नहीं होता है। इस सम्बन्ध में जब मुख्य मंत्रीजी बाड़मेर गये थे, उन्होंने यह कहा था, शिमला एग्रीमेंट के अन्दर इनके वापिस जाने का चक्कर है, लेकिन यदि कोई नहीं जाना चाहता है तो उसे पाबन्द नहीं किया जायगा, फोर्स नहीं किया जायगा कि वापिस पाकिस्तान में चला जाय। उनकी रुचि नहीं है तो न रहें। लेकिन इस सबका कुछ का सम्बन्ध डिफेन्स से है। बाड़मेर में मैं वार के दौरान में था, बाड़मेर में उस समय क्या एक्टिविटीज थीं, कौन किसको मदद कर रहा था, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या मदद की, डिफेन्स के लिए क्या काम हुआ, दूसरे लोगों ने क्या काम किया—इसको चर्चा में पब्लिक इन्ट्रेस्ट में नहीं करना चाहता हूं। लेकिन क्योंकि मैं वहां पर था, मेरा सम्पर्क था डिस्ट्रिक्ट के हाइएस्ट ऑफिसर्स से। मैं निवेदन कर रहा था, इनको बताने के सम्बन्ध में प्राय मैं

(श्री परसराम मदेरणा)

या राज्य सरकार कुछ नहीं कह सकती, इनको जमीन एलॉट की जाय, कहां पर की जाय, कहां पर बसाया जाय, इनको नागरिकता प्रदान की जाय या नहीं की जाय यह सब कुछ मामले हैं – यह सब कुछ भारत सरकार से सम्बन्ध रखते हैं । आप स्वयं जानते हैं । आज वह फॉरेनर्स हैं, इनको इण्डियन सिटीजनशिप कन्फर करने का प्रश्न है जब तक भारत सरकार इस सम्बन्ध में निर्णय नहीं ले ले, राज्य सरकार यूनिलेटरल कोई डिसीजन इन शरणार्थियों के बारे में नहीं ले सकतीं । हमारी सभी सहानुभूति उनके साथ है । मैं दूसरी बात निवेदन कर रहा था कि यह कहा गया कि उनके हाथियार छीन लिए गये । हथियार के सम्बन्ध में विशेष आज नया फैक्ट उठाया है । आपका एडजोर्नमेंट मोशन का सम्बन्ध दूसरे विषय से था । उसके अलावा कोई मैटर यहां खड़ा कर देते हैं तो ट्रेजरी बैंचेज की मजबूरी है, और मैं समझता हूं कि उसे अपोजीशन को एप्रीशियेट करना चाहिए । सारी बातों का जवाब आफ हैण्ड हर वक्त दे दूं कि कितने लोगों के पास शस्त्र हैं कितने लोगों के पास नहीं हैं, क्या बात थी क्या बात नहीं थी–यह नहीं कह सकता । आप एक बात यहां कह सकते हैं, लेकिन जब मैं ट्रेजरी बैंच पर बैठा हूं तो मेरी जिम्मेदारी दूसरी है । वहां बैठ कर मैं भी कहने की पोजीशन में हो सकता हूं. मेरे पास भी जानकारी है । लेकिन मैं उस विषय में मैं जाना नहीं चाहता । मैं निवेदन करूं, साधारण नागरिक है, कानून के अन्तर्गत, कानून की रूह और उसकी स्प्रिट को इग्नोर करके आप कुछ कह लीजिये, मैं कुछ नहीं कहता लेकिन आज फॉरेनर्स इंडिया में हैं, यह ठीक है हिन्दूज हैं । आप कह रहे हैं, हिन्दू आ गये, दूसरी बात हो गई । कोई फॉरेनर्स इधर काश्मीर के पास से घुस जायं, तिब्बत और भूटान में घुस जायं, आसाम में होकर घुस जायं, उनके पास शस्त्र हों और वह शस्त्र लेकर रहें तो उन पर फॉरेनर्स एक्ट के अन्दर कार्यवाही की जायगी । यह अभी तक फॉरिनर्स हैं, इंडियन सिटीजनशिप इन्हें कन्फर नहीं की गई है, फिर भी इन्हें शस्त्र रखने दिये जायं–इसका सम्बन्ध मैं समझता हूं कानून और सुरक्षा की व्यवस्था से है । इनके हाथ से शस्त्र ले लिये है, कितने ले लिये गये हैं, क्यों ले लिये गये हैं–इसकी जानकारी नहीं है । एक बात फिर निवेदन करना चाहता हूं, ड्यूरिंग वार, जो पुलिस ऑफिसर को सर्टेन पावर दी गई, उस वार, 1965 की में और इस वार में भी–तो इस प्रकार की शिकायत आयी थी तो राज्य सरकार को, जो इंडियन सिटीजन थे, शस्त्र दिये थे बोर्डर पर, उनसे विथड्रा करने पड़े थे । तो यह पहलू उस पहलू के साथ जुड़ा हुआ है, अलग से यह पहलू नहीं है । इसलिए उनको शस्त्र रिवाल्वर या एडीशनल राइफल उनके हाथ में पकड़वाना, रातों रात पकड़वाना मेरे लिए सम्भव नहीं है ।

यहां पर धर्म परिवर्तन की बात कही गई । मैं समझता हूं कि कौन से डिवीजन में धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, यह बात तो हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य…

श्री गिरधारी लाल भार्गव : ईसाई धर्म, भूख के कारण ।

श्री परसराम मदेरणा : ईसाई कौन हैं?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : क्रिश्चियन उनको बनाया जा रहा है···

श्री परसराम मदेरणा : मिशनरी वहां हैं नहीं···

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आदमी भूख से मरेगा तो धर्म परिवर्तन करेगा।

श्री मोहनलाल छंगाणी : वह वहां हैं नहीं। वह आपके वहां नहीं हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : ईसाई धर्म में परिवर्तन हो रहा है।

श्री हीरालाल देवपुरा : यह प्रिजम्प्शन है, कयास है।

श्री परसराम मदेरणा : इसमें बात अन्दर और है, इन्टेन्शन कुछ और है और चार्ज लगा दूसरा गये हैं···

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह प्रश्न है, भूख से लोग मर रहे हैं, धर्म परिवर्तन क रहे हैं, ईसाई धर्म परिवर्तन करा रहे हैं····

श्री केदार नाथ : हृदय परिवर्तन हो रहा है।

श्री परसराम मदेरणा : जहां तक मेरी जानकारी है, आपको कोई जानकारी नहीं है। क्रिश्चियन धर्म को फैलाने वाली या उसका प्रसार करने वाली कोई एजेंसी बाड़मेर में नहीं है। केवल कासा का काम हो रहा है, वह भी राज्य सरकार ने, मंत्रिमण्डल ने काम बन्द करा दिया गया है। जो काम हो रहा था वहां, वह भी किसी एजेंसी के जरिए नहीं हो रहा था, कोन्ट्रैक्टर के थ्रू हो रहा था। कासा के जो मेम्बर हैं वह मैं नहीं समझता कि क्रिश्चियनिटी का प्रचार करेंगे। वह काम अब बन्द कर दिया गया है। दूसरी वहां कोई क्रिश्चियन की संस्था नहीं है। क्रिश्चियन दो तीन हैं, अगर आप कहेंगे तो उन पर भी सी. आई. डी. लगा दूंगा। वैसे जो भारतीय नागरिक हैं क्योंकि हमारे यहां फ्रीडम आफ वरशिप है, फ्रीडम आफ रिलीजन है। इसलिए उस पर पाबन्दी नहीं लगा सकता। आपने धर्म परिवर्तन की बात कही है, लेकिन जैसा महारावल साहब हमेशा फर्माते रहते हैं कि यह एलीफेन्ट की तरह, सफेद हाथी की तरह··

श्री लक्ष्मण सिंह : आप उम्दा स्टेटमेंट को बिगाड़ें मत, मंत्री महोदय।

श्री परसराम मदेरणा : मुझे ऐसा दिखता है, साधारणतया मेरे दिमाग में नहीं बैठता है कि कोई ऐसी बात है, पॉसिबल कम है। रिलीजन परिवर्तन के लिए, आप समझते हैं, बाड़मेर के अन्दर पाक से आये हुए होंगे और उनके नेतृत्व में मिल कर धर्म परिवर्तन हुआ होगा। तो पाकिस्तान से आ नहीं सकते हैं, वह बाड़मेर में कैसे आ सकते है? इसलिए बाड़मेर में धर्म परिवर्तन की बात सोची नहीं जा सकती। जो सर्विस में हैं वह क्रिश्चियन नहीं हैं, कोई एजेंसी वहां नहीं है। इसलिए आप आश्वस्त रहें धर्म परिवर्तन के बारे में··

श्री निरंजन नाथ आचार्य : यह माफी चाह रहे हैं। इन्होंने कह दिया; कह दिया आप दूसरा पाइन्ट ले लीजिये।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैंने प्रामाणिक आधार पर कहा है।

श्री परसराम मदेरणा : आप कहें वह प्रमाणित और हम कहें वह अप्रमाणित। कम्बलों के बारे में कहा गया, मैं इसकी जांच करवाऊंगा कि टेन्डर्स में जो स्पेसीफिकेशन्स थे उनसे इनफीरियर क्वालिटी के थे या नहीं। मेरा विश्वास है और मुझे भरोसा है कि जिलाधीश बाड़मेर हालांकि यंग कलेक्टर है, इसको पहली पोस्टिंग हुई है लेकिन अपनी तरफ से उन्होंने काम करने में, शरणार्थियों की देखभाल करने में, राशन की व्यवस्था स्वयं देखने में, उन्होंने खुद परसनल इन्ट्रेस्ट लिया है और समय समय पर राज्य सरकार को जानकारी देते रहने में कोई बाकी नहीं छोड़ी है और राहत कार्यों में भी वह एक्सट्रा ऑर्डिनरी विजीलेन्ट रहे हैं और अपने कर्त्तव्य निभाने में उन्होंने पर्सनल इन्ट्रेस्ट लिया है। मैं उनसे फिर पूछ लूंगा। हर चीज को वह स्वयं देखते हैं, चाहे वेजीटेबल की बात हो, वह खुद सेम्पल्स की चेकिंग करते हैं, सरप्राइज चेकिंग करवाते हैं। मैं आशा करता हूं कि जो कुछ व्यवस्था है, ठीक है। उनके पुनर्वास के संबंध में और दूसरे संबंध में हम भारत सरकार से बातचीत करेंगे और उनके निर्णय के बाद ही कुछ कहा जा सकता है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मेरा ओफ सवाल है। आपने फरमाया कि जो खर्चा हो रहा है वह राज्य सरकार का हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि जो यहां शरणार्थी होकर आए हैं, वह हिन्दुस्तान की जिम्मेदारी नहीं है, या खाली राजस्थान की जिम्मेदारी है उनको बसाने की और उनको खर्चा देने की? दूसरी बात यह जो आप फरमा रहे हैं कि केन्द्रीय सरकार इस बात को तय करेगी कि उनको कहां बसाया जाए, नेशनेलिटी दी जाए या नहीं, इस संबंध में राजस्थान की केन्द्र से किस हद तक बातचीत हुई, क्योंकि जैसे आपने कहा 66,000 लोग हैं, कितने समय तक वे दयनीय हालत में रहेंगे, इस मामले की गंभीरता को देखते हुए केन्द्रीय सरकार से आप बात करें, उनको जहां भी बसाना है बसाया जाए। जहां तक मेरी जानकारी है, सवाई माधोपुर में रेवीन लैंड्स का एलॉटमेंट किया गया, इसलिए वह स्थगित किया गया कि वहां शरणार्थियों को बसाने का सवाल आता था, लेकिन आज तक एक शरणार्थी भी वहां पर नहीं पहुंचा। तो मैं जानना चाहता हूं कि केन्द्र की हुकूमत से आपकी बातचीत किस हद तक चली है और आपने क्या केन्द्रीय सरकार पर जोर डाला है कि जिम्मेदारी उनकी है, हमारे डेफीसिट प्रोविन्स पर क्यों जिम्मेदारी डाली जाती है?

श्री मोहनलाल छंगाणी : मैं भी एक बात पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : पहले ही पूछ लेना चाहिए था।

श्री मोहनलाल छंगाणी : भारत व पाक के बीच शिमला समझौता हुआ वह शरणार्थियों पर भी लागू होता है, उसकी हम मानवीय या राजनैतिक आधार पर

(श्री मोहनलाल छंगाणी)
किस हद तक अवहेलना कर पायेंगे, वह सूचित करें।

श्री हीरालाल देवपुरा : अवहेलना ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपका विचार क्या है, इनको नागरिकता मिलनी चाहिए या नहीं ? सरकार का विचार क्या है ?

श्री परसराम मदेरणा : संक्षेप में सबका उत्तर देता हूं। मेरा मेडीकल स्टाफ जो लगा हुआ है और डाक्टर समय समय पर एक महीने में 4–5 बार जाते हैं, रजिस्टर में हस्ताक्षर करते हैं। जो कुछ खर्चा हो रहा है उस संबंध में मैंने बात की, बाकी सारा खर्चा केन्द्रीय सरकार कर रही है। दूसरी बात कही गई कि दयनीय हालत में हैं, यह सही नहीं है. इसलिए कि उनके लिए सब व्यवस्था है। उनके बसाने के लिए आपने जो बात कही रैवीन्स और रिक्लेमेशन की वह देवली के शरणार्थियों की है। वह जाना नहीं चाहते, उसके लिए हमने भारत सरकार को लिखा है कि इन लोगों को बंगाल व असम म बसाया जाए। बातचीत चल रही है। उनके अधिकारी भी आए थे और भारत सरकार का निर्णय पेंडिंग है। बाकी आपने शिमला समझौते की बात कही, जो आपने उसके लिए फिलॉसॉफिकल बात कही वह मैं नहीं समझा।

श्री मोहनलाल छंगाणी : एग्रीमेंट में था कि सारे शरणार्थी अपने अपने देश जायेंगे। चाहे मानवीय दृष्टि से, चाहे राजनैतिक दृष्टि से, शिमला समझौते की अवहेलना करना चाहते हैं तो किस हद तक करेंगे ?

श्री परसराम मदेरणा : मानवीय और राजनैतिक रीजन्स में मैं नहीं जाना चाहता।

श्री केदारनाथ : लेटर्स एक्सचेंज हुए हैं दोनों नेशन्स के बीच में।

श्री परसराम मदेरणा : शिमला समझौते के बारे में जो कुछ हो रहा है, उनके बारे में भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के वक्तव्य बराबर अखबारों में आ रहे हैं, राष्ट्रपति भुट्टो के भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, युद्धबंदियों का मामला भी आपको पता है। यहां पर यू. एन. ओ. के जनरल सैक्रेटरी आए थे उन्होंने क्या कहा था मैं समझता हूं सदन के सभी माननीय सदस्यों को जानकारी है। बंगला देश की मान्यता का प्रश्न भी है, बंगला देश में मार्च में चुनाव हो रहे हैं। इस सारे संदर्भ में चुप्पी साधना ही ठीक रहेगा।

अनुदान की मांगें

1966–6, 1967–68 व 1968–69 वर्ष के लिए अतिरेक की मांगों के विवरण का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष : अतिरिक्त मांगों के विवरण का उपस्थापन।

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित अतिरिक्त मांगों के विवरणों का उपस्थापन करता हूं:–

(1) 1966-67 के वर्ष के लिए अतिरिक्त मांगों का विवरण।

(2) 1967-68 के वर्ष के लिए अतिरिक्त मांगों का विवरण।

(3) 1968-69 के वर्ष के लिए अतिरिक्त मांगों का विवरण।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना करूंगा कि जितनी मांगे हैं उनको मूव्ड माना जाए

(48)

(श्री चन्दनमल बैद)

और कट मोशन्स को भी मूव्ड मान लिया जाए और सब पर एक साथ ही वाद-विवाद हो जाए, जिससे कि कोई खास बात हो तो उसका जवाब सदन में मंत्री की तरफ से दिया जा सके।

श्री अध्यक्ष : मैं समझता हूं कि सभी मांगों को मूव्ड मान लिया जाए, कट मोशन्स जो माननीय सदस्यों ने भेजे हैं उनको भी मूव्ड मान लिया जाए ताकि उन पर सीधा विचार हो सके। इन मांगों पर बोलने के लिए आज का दिन मुकर्रर किया गया है, चार बजे तक इन पर और कट मोशन्स पर बातचीत होगी। 4 बजे बुलेटिन लगेगा, उसके बाद एप्रोप्रिएशन बिल और कन्टीं-जेन्सी बिल हैं वे लिये जायेंगे। (वित्त मंत्री से) आप रोशनी डालना चाहें तो डालें।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : राज्य सरकार रोशनी डालना नहीं चाहती। तीन सालों की ये सप्लीमेंट्री ग्रांट्स नहीं हैं, एक्सेस ग्रांट्स हैं।

श्री चन्दनमल बैद : 1967-68 की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स नहीं आएंगी।

(1.00 अ.प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री यशवन्तसिंह नाहर : सप्लीमेंट्री तो ले चुके, फिर एक्सेस और फिर ओवर एक्सेस, उनके कारण क्या हैं? पोथे दफ्तर में बंद पड़े हैं और अधिकारियों के पास हैं, उनके बारे में सदन से ये मांगें पास करवायेंगे। क्या कारण हुए, एक्सेस ग्रांट्स किस वजह से? आपने कह दिया कि 3 करोड़ की बचत होगी, यहां कह दिया कि एक्सेस ग्रांट्स चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, अल्टीमेटली मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह सन् 66-67 की एक्सेस ग्रान्ट किस में खर्च हुई और जिस साल में पैसा खर्च हुआ था उस साल में ही वह सप्लीमेन्ट्री ग्रान्ट्स पास करा कर क्यों नहीं हिसाब पूरा किया गया? आखिर आज चार पांच साल हो गये हैं आपने हमको, इस सदन को अन्धेरे में क्यों रखा, उसका कोई कारण तो होना चाहिये। मैं यह कारण जानना चाहता हूं। यह क्या तरीका बना कर रखा है कि इस साल में आप सन् 69 की मांगें रखे हुए हैं। सन् 66-67 को आप अगर एक्सेस ग्रान्ट को सन् 69 तक रखें तो एक बात समझ में आ सकती है लेकिन उसके बाद सन् 70 बीत गया, 71 भी गया, 72 भी समाप्त हो गया और अब पूरे चार वर्ष बाद आप यहां एक्सेस ग्रांट ला रहे हैं और वह भी जब कि इन चार वर्षों में आपको जन लेखा समिति, आडिट रिपोर्ट वाले पीछे पड़ गये तब आप की नींद खुली। उन्होंने आपको कहा कि आप इन्हें जल्दी से जल्दी पास करावें। तो मेहरबानी करके इस बात पर प्रकाश डालें कि आखिर क्या कारण हो गया। ये इतने दिन क्यों पास नहीं हो सकी ताकि सदन के साधारण सदस्यों को मालूम हो वैसे मैं भी सदन का साधारण सदस्य हूं। जब मेरे पास यह लिट्रेचर आये तो मैं काफी परेशान हो गया। क्योंकि मेरे समझ में नहीं आया। मैं एक तरफ से पढ़ता हूं तो दूसरी तरफ से निकल जाता है काफी प्रयत्न करने पर भी मेरे समझ में नहीं आया। लेकिन मैं यह तो मानता हूं कि आपके यहां तो इसके काफी एक्सपर्ट बैठे हैं उन्होंने तुरन्त फैसला कर दिया होगा

(श्री यशवन्त सिंह नाहर)

तो मेरा निवेदन है कि आप इस दिशा में जरा प्रकाश डालें। आखिर क्या बात हुई, कोई ओवर पेमेन्ट कर दिया गया या बाद में ठेकेदारों ने बिल लाकर पेश किये, क्या बात हुई? या ऐसी कोई परचेजेज हो गयी हों जिनकी परचेज सन् 62 में की हो और आपके द्वारा सन् 67 में पेमेन्ट किया गया हो। आखिर यह किस कारण से हुआ। इसके लिये कौन दोषी है। क्या ऐसी बात हो गयी थी कि कोई बान्ध बनाया गया या पुलिस वालों के क्वाटर्स बनाये गये थे उसका पेमेन्ट किया गया था आखिर क्या कारण था। यह कौन से पेमेन्ट हैं पुराना कचरा है?

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मन्त्री) : हां है तो पुराना कचरा ही।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : वो ही अर्ज कर रहा हूं। कितने दिनों से भर रहा है। क्यों पड़ा हुआ था। आखिर यह वित्त मन्त्री मुझे और सदन के माननीय सदस्यों को बताने की कृपा करेंगे।

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, इनके बारे में दो तीन बातें जो माननीय सदस्यों ने पूछी हैं उनको संक्षेप में निवेदन करना चाहता हूं।

पहली बात तो यह है कि जहां तक एक्सेस ग्रान्ट्स के पास होने का सवाल है यह सिर्फ राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष की विधान सभाओं में और लोकसभा में भी एक्सेस ग्रान्ट्स पास होने के लिए आती हैं। जब गवर्मेन्ट में कोई खर्चा होता है और वह एक्सेस होता है तो हमेशा से ही यह ग्रान्ट्स पास कराने के लिए हमें विधान सभा में आना पड़ता है और इसमें आर्टिकल 205 बिलकुल क्लीयर है उसमें लिखा हुआ है। इसमें ऐसा प्रावधान है कि एक्सेस खर्चे के लिए गवर्मेन्ट एक्सेस ग्रान्ट्स पास कराने के लिए विधान सभा में आये। यह बात सही है कि इसमें देरी हुई है क्योंकि यह एक्सेस ग्रान्ट्स 66-67 की है। हम लगातार जब से पी.एस.सी. की रिपोर्ट आई है तब से हम लगातार विधान सभा में इन मांगों को पास कराने की कोशिश कर रहे हैं। यह सन् 66-67 का रिपोर्ट के बारे में पी.एस.सी. ने 23-3-69 को हमें लिखा। उसके बाद में हमने इस विधान सभा में 16-8-69 को, 13-2-70 को, 19-4-71, 16-5-72 और 6-2-73 को पांच दफा पेश करने की कोशिश की। लेकिन किन्हीं महत्वपूर्ण सदन में कार्य होने की वजह से और कुछ समय कम होने की वजह से हमें इनको पास कराने का समय नहीं मिल सका। इसमें कोई अन्धेरे में रखने वाली बात नहीं है। जो लीगल पिछला एक्सेस पेमेन्ट करना पड़ा। मैंने पिछली विधान सभा की बैठक में, जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का एजेन्डा तैयार हो रहा था तब मैंने मीटिंग में कहा था कि हमारी एक्सेस ग्रान्ट्स भी हैं जो काफी पुरानी हैं उन्हें पास कराना है। लेकिन प्रयास करने पर भी हमें समय नहीं मिल सका। इसके अलावा सन् 67-68 के केसेज भी इसमें हैं जो कि पी.एस.सी. ने हमें 15-5-72 को रिपोर्ट में, जो कि उसकी 9 वीं रिपोर्ट थी, उसमें भी एक्सेस ग्रान्ट्स के बारे में कहा गया तो हमने 9-4-71 को, 16-5-72 को और 6-2-73

(श्री चन्दनमल बैद)

को विधान सभा में पास करवाने की कोशिश की। यह भी आर्टिकल 205 में हमें अधिकार दिया गया है कि हम विधान सभा में इन्हें पास करवाने के लिये ला सकते हैं। मैंने कोशिश की परन्तु बिजनेस एडवाइजरी कमेटी द्वारा समय नहीं दिये जाने के कारण, हो सकता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक होंगे या कोई और दूसरे महत्वपूर्ण कार्य होने की वजह से, हमें समय नहीं मिल सका। इसके अलावा 68-69 की ग्रान्ट्स के बारे में, जो कि हमें जन लेखा समिति के 13वें प्रतिवेदन की रिपोर्ट आई 13-5-71 को मालूम हुआ तो हमने विधान सभा की 6-?-72 की बैठक में व 6-2-73 की बैठक में समय दिये जाने के बारे में कहा ताकि यह एक्सेस ग्रान्ट्स हमारी पास हो जायं। यह ऐसे खर्चे नहीं हैं जो कि बेकार हो गये हैं, इनकी पूरी तरह से जन लेखा समिति द्वारा जांच हो चुकी है और जन लेखा समिति की रिपोर्ट को पेश होने के बाद ही विधान सभा में लाया गया। अब यह पूछना कि खर्चा कब कर दिया यह सही है कि चार-पांच साल तो हो गये लेकिन मैं माननीय सदस्यों को यह जानकारी देना चाहता हूं कि इसके पीछे बैक ग्राउन्ड में किसी प्रकार की कोई बात मेलाफाइड नहीं है। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये कहना चाहता हूं एक्सेस ग्रान्ट्स के लिये एक्सपर्ट्स की राय है कि अगर जो खर्चा राज्य सरकार करती है, उसमें अगर 5 पर्सेन्ट खर्च ज्यादा आ जावे तो उसे जायज खर्चा मानते हैं, ऐसा आमतौर पर माना जाता है। उसे वाजिब मानते हैं। क्योंकि पांच परसेन्ट का खर्चा तो जहां करोड़ों का खर्चा होता है वहां पर पांच परसेन्ट तो इधर-उधर हो जाता है। लेकिन पांच परसेन्ट ज्यादा खर्च को वाजिब नहीं मानते हैं। इसलिये मैं मानता हूं कि कुछ मामलों में गलतियां हो सकती हैं लेकिन जैसे व्यास परियोजना और भाखरा प्रोजेक्ट के लिए, जो खर्चा होता है वह बाद मे आता है। क्योंकि व्यास कन्ट्रोल बोर्ड है और भाखरा बोर्ड अलग वो बाद में भेजते हैं तो हमें उन्हें एक्सेस ग्रान्ट्स को समायोजित कराना पड़ता है। तो एक्सेस ग्रान्ट्स का भी एक तरीका है, पहले जन लेखा समिति उसकी जांच करती है फिर वह रिकमन्ड करती है, उसके बाद में हमको विधान सभा में लाना पड़ता है। हालांकि राज्य सरकार से इस ओर ध्यान देने के बावजूद भी गलतियां रह सकती हैं, हो सकती हैं। लेकिन इसके लिये हम कोशिश करेंगे कि इस प्रकार की गलतियां भविष्य में दोहरायी नहीं जायं।

श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल से माननीय वित्त मंत्री, जो एक्सेस ग्रान्ट्स लेकर सदन के सम्मुख आये हैं, सदन को इन एक्सेस ग्रान्ट्स को पारित करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। एक फार्मेलिटी है। खर्चा हो चुका और मैं समझता हूं कि यह उनका एक प्रशंसनीय कदम है कि सदन की स्वीकृति के लिये वे एक्सेस ग्रान्ट्स लेकर आये हैं।

(निम्नांकित अतिरेक की मांगें विचार एवं मतदान हेतु प्रस्तुत की गई मानी गई)

1. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक–
   50–सार्वजनिक निर्माण कार्य
   50–सार्वजनिक निर्माण कार्य–भवन और सड़कें (संयुक्त) स्थापना तथा

Page No 51

(51)

औजार और स्थिर संयंत्र पर व्यय

52-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के संबंध में 31 मार्च, 1967 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,34,31,834 रु. तक की राशि प्रदान की जावे।

2. अधिक अनुदान की मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1967 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 41,98,376 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

3. अधिक अनुदान की मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 95-कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1967 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 22,47,326 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

4. अधिक अनुदान की मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1967 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 51,23,546 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

5. अधिक अनुदान की मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1968 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 27,72,563 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

6. अधिक अनुदान की मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 33-पशु पालन के संबंध में 31 मार्च, 1968 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,44,464 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

7. अधिक अनुदान की मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1969 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,42,588 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

8. अधिक अनुदान की मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22-कारागार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1969 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 5,15,528 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

9. अधिक अनुदान की मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1969 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 34,23,780 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

अतिरेक की मांगों पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव

1. श्री मोहनराज (बाली) : मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक

(श्री मोहनराज)
निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीमा क्षेत्र में सड़क का कार्य अधूरा पड़े रहने पर चर्चा के लिये)।

2. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64–दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आदिवासी क्षेत्र बाली (जिला पाली) के गरासिया जाति के लोगों को बार-बार पड़ने वाले अकाल से बचाने हेतु उस क्षेत्र में सिंचाई साधन पक्के कराने हेतु चर्चा के लिये)।

3. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्र में विशेष कर बाली क्षेत्र के आदिवासी एरिया की प्राथमिक शालाओं के अध्यापकों को महंगाई भत्ता आदि समय पर न दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

4. श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा): मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीमा क्षेत्र में सड़क के काम को बन्द कर देने की स्थिति पर चर्चा के लिये)।

5. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64–दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहायता कार्य जो खोले गये थे उन्हें समय पर पूरे नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के के लिये)।

6. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 95–कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान भूमि जल मण्डल द्वारा झुंझुनूं जिले में रिगें उपलब्ध न कराये जाने पर चर्चा के लिये)।

7. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22–कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान की जेलों में खाली बैठे कैदियों के लिये शिक्षा का उचित प्रबन्ध करने पर चर्चा के लिये)।

8. श्री केशरीमल (ब्यावर): मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीमा क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य में जो घोटाले हुए हैं उस पर चर्चा के लिये)।

9. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64–दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग मे से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अजमेर जिले में अकाल की स्थिति में उस समय सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

10. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 95-कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 10 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान भूमि जल मण्डल द्वारा बोरिंग की समस्या का समाधान न कर सकने पर चर्चा के लिये)।

11. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22–कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

(श्री केशरीमल)
कम कर दिया जाय (जेलों में खाली बैठे बन्दियों से बेगार लेने के बावत चर्चा के लिये)।

12. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गैर-सरकारी शिक्षण संस्थाओं के अध्यापकों को सरकारी स्कूलों के अध्यापकों के समान वेतन दिलाये जाने पर चर्चा के लिये)।

13. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गैर-सरकारी विद्यालयों में अध्यापकों को वेतन चेक द्वारा दिये जाने बाबत चर्चा के लिये)।

14. **श्री मोहम्मद गफ्फार अली** (जौहरी बाजार, जयपुर): मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 52— सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीमा-क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य में जो घोटाले हुए हैं उन पर चर्चा के लिये)।

15. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64—दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (66—67 में अकाल सहायता कार्य में लोगों को राहत देने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

16. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 95—कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान भूमि जल मण्डल द्वारा गाड़ियों और रिगों का सही उपयोग न होने पर चर्चा के लिये)।

17. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग द्वारा उपकरणों, गोला बारूद के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

18. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 33—पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उदयपुर विश्व-विद्यालय में अमरीकी रिसर्च संस्थाओं के नाम से जो कार्यवाही होती है उस पर चर्चा के लिये)।

19. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22—कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जेल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने के सवाल पर चर्चा के लिये)।

20. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्राईवेट स्कूल के राष्ट्रीयकरण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

1. **श्री मोहनराज** (बाली)
2. **श्री रामनारायण चौधरी** (मण्डावा)
3. **श्री केशरीमल** (ब्यावर)

4. श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) 21. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30—जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (केन्द्रीय सरकार द्वारा जुटाये गये अधिक गर्भरोधकों, उपकरणों आदि का उचित उपयोग न किये जाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) : 22. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30—जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जन स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग को प्रदान की गई सामग्री का उचित प्रयोग न किये जाने पर चर्चा के लिये)।

23. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 52—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीमा क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य पर अनिश्चित पूंजी के ब्योरे में चर्चा के लिये)।

अतिरेक की मांगों पर विचार एवं मतदान

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहनराज।

(अनुपस्थित)

श्री रामनारायण चौधरी।

(अनुपस्थित)

श्री केशरीमल।

श्री केशरीमल (ब्यावर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं। ऐसी कुछ समस्यायें सामने आयी हैं कि जो खर्चा मंजूर कराया जा रहा है उनमें कुछ खर्चे ऐसे हो सकते हैं जिनमें अनियमिततायें हुई हैं। मेरे ध्यान से, इसको पढ़ने से ऐसा लगता है कि सीमा क्षेत्र में सड़कों का निर्माण कराया। मुनावर और दूसरी सड़कें हैं जिनका निर्माण कराया उनमें बहुत सी अनियमिततायें बरती गई हैं या तो ठीक तरह से तखमीना न लगाने के कारण से है। एक-एक जगह पर 22 लाख रुपये का और उससे ज्यादा पैसा देना पड़ा है तखमीने से आगे बढ़ कर देना पड़ा है। तखमीना बना तो पहले ही सारी बातों का जायजा लेना चाहिये था कि पानी की व्यवस्था क्या होगी। बाद में दूसरी बातें जोड़ी जाती हैं, चाहे वे हुई हों अथवा उनके नाम से जोड़ कर पैसा बढ़ा दिया जाता है। उनमें गोलमाल हुआ हो और ठेकेदार और दूसरे अधिकारी मिल कर पैसा खा गये हों।

मेरा यह भी निवेदन है कि बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां पर भू-जल मंडल द्वारा काम किया जा रहा है। उनमें ऐसा मालूम पड़ा है कि कई जगह पर गाड़ियां जाती हैं जो अपनी तरफ से खर्चा करके भेजी जाती हैं, उनको उसी जगह पर काम पर लगाना चाहिये कि जहां के लिए उनको भेजा जाता है। लेकिन वहां पर वे काम पर न लग कर दूसरी जगह जाकर प्राइवेट पैसा लेकर काम करने की कोशिश करती हैं। जो काम उनको बताया जाता है उनकी ओर उनका ध्यान नहीं जाता। इस प्रकार से

(श्री केशरीमल)

बहुत सा पैसा उनका जाया गया है। बेजा खर्चा हुआ है और उस फिजूल खर्चे को रोकथाम भी नहीं हुई। ठीक प्रकार से काम को पकड़ नहीं पा रहे हैं। यदि इस ओर कन्ट्रोल किया जाय तो ठीक प्रकार से पैसा भी खर्च होगा और काम भी अच्छा होगा।

यह भी देखने में आया है कि जो मशीनें हैं जिनको जहां पर ठीक प्रकार से काम में लेना चाहिये वह भी काम में नहीं लायी जा रही हैं। मशीनों को ठीक प्रकार से काम में लिया जाकर पता लगाया जाय तो पता लग सकता है कि पानी कहां कहां पर उपलब्ध है। मशीनों को ठीक काम में नहीं लेने से खर्चा अधिक हो रहा है और बहुत-सी अनियमिततायें हो रही हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ शिक्षण संस्थाओं के बारे में भी अर्ज करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : इस बारे में तो कोई कट मोशन नहीं है आपका।

(विराम)

श्री केशरी मल : मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28 पर है।

श्री उपाध्यक्ष : 28 तो दुर्भिक्ष सहायता है।

श्री केशरीमल : मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28 पर है।

श्री उपाध्यक्ष : इस बारे में मोशन नहीं आया है।

श्री केशरीमल : आज का एजेन्डा है उसमें आया है। लिख कर भी दिया था।

श्री उपाध्यक्ष : बोलिये आप।

श्री केशरीमल : मेरा यह निवेदन करना है कि गैर-सरकारी शिक्षण संस्थाओं में वेतन और उनके अधिकारों के सम्बन्ध में जो पैसा ग्रान्ट-इन-एड के रूप में इनको मिलता है वह पैसा सरकार की तरफ से ये शिक्षण संस्थायें पूरा प्राप्त करती हैं पूरा उनका वेतन लेने के बाद भी अध्यापक, जो वहां पर काम करते हैं उनको पूरा पैसा यह गैर-सरकारी शिक्षण संस्थायें नहीं देती हैं। कुछ मामले तो ऐसे हैं जो खुद सरकार अपनी तरफ से पूरा नहीं कर रही है। जहां पे स्केल्स, अलाउन्स, जो राजकीय विद्यालयों में मिलता है उनके बराबर इन अराजकीय संस्थाओं में भी होना चाहिये जो राजकीय अध्यापकों को मिलता है वह इन प्राइवेट संस्थाओं के अध्यापकों को नहीं मिलता है। सिटी अलाउन्स, मेडीकल अलाउन्स भी उनको नहीं मिलते हैं। राज्य सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये और भी खतरनाक बात जो हो रही है वह यह हो रही है कि प्राइवेट संस्थाओं में जो अध्यापक काम करते हैं उनको तनख्वाहें पूरी नहीं मिलती हैं। मैं कई स्कूलों का इस सम्बन्ध में हवाला दे सकता हूं। बहुत से अध्यापक काम कर रहे हैं लेकिन उनको पूरा वेतन न देकर कम दिया जाता है और

(श्री केशरीमल)

पूरे वेतन पर हस्ताक्षर करवा लिए जाते है। प्रदीप स्कूल है 50 प्रतिशत ग्रान्ट मिलती है। ओमप्रकाश हैं, केदार हैं, ये जो अध्यापक हैं उनको पूरी तनख्वाह नहीं दी जाती है और पूरी तनख्वाह पर उनसे हस्ताक्षर करवा लिए जाते हैं। बाल मन्दिर है मोती डूंगरी में 90 प्रतिशत सहायता मिलती है। अध्यापिकाओं को कम तनख्वाह दी जा रही है और पूरे पैसे देने के नाम पर हस्ताक्षर करवा लिये जाते हैं। आदर्श विद्या मन्दिर के बारे में भी जानकारी मिली है। राधेश्याम हिन्दी के टीचर हैं। 690 का एरीयर बना, उसको दिया नहीं और दस्तखत ले लिए। इसी प्रकार बाबूलाल है, 250 रुपया पर दस्तखत करवा कर 40 रुपया दिया। अजमेर और ब्यावर की कई ऐसी स्कूलें हैं जहां पर इस प्रकार की शिकायतें मिलेंगी कि अध्यापकों से पूरे वेतन पर दस्तखत करवा लिए जाते हैं और देते हैं कम।

आगे के लिए कहने की बात यह है कि हमारा पैसा शिक्षण संस्थाओं के पास जाता है उसका सही उपयोग नहीं होता है, मैनेजमेन्ट करने वाले हैं वे उसका दुरुपयोग करते हैं। इसलिये क्यों नहीं जिन स्कूलों को एड दी जा रही है उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय। उनका मैनेजमेन्ट सरकार अपने हाथ में ले ले। बच्चों की शिक्षा-दीक्षा पर इन संस्थाओं में बुरा असर पड़ रहा है। क्यों नहीं सरकार इसमें दखल करे? यह अन्याय बन्द होना चाहिये। इसलिए इन संस्थाओं को सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिये।

अन्त में मुद्दा यह है कि यदि इन अध्यापकों को तनख्वाह देने का जो तरीका है उसको सुधारा जाय तो सुधार हो सकता है।

मेरा निवेदन करना है उपाध्यक्ष महोदय, कि अगर क्रास चैक से वेतन दिया जावे तो शायद थोड़ी रुकावट आ जावे। हो सकता है जैसे कई जगह मजदूरों को इन्सपेक्टरों के सामने तो पूरी तनख्वाह दे दी जाती है, पर उनके लौटते ही बाकी रुपया वापिस उनसे ले लिया जाता है। तो इसमें भी ऐसा हो तो ताज्जुब नहीं कि जहां 250 रुपयों पर दस्तखत कराते हों और चालीस रुपया देते हों वहां चैक देकर भी उसके पैसे में से बाकी का पैसा खुद ही ड्रा करके वसूल कर लें और उसको जितना देना है उतना ही दें तो निवेदन करूंगा कि अध्यापकों को वेतन क्रास चैक से दिया जावे ताकि कुछ तो रुकावट होगी। करने वाले यह भी कर सकते हैं कि क्रास चैक देने पर भी उनको पूरा पैसा न लेने दें। इसलिए इसका अन्तिम हल तो सरकार इन संस्थाओं को अपने हाथ में लेकर ही कर सकती है।

अकाल के खर्चे के सम्बन्ध में थोड़ा निवेदन और करना चाहूंगा। अजमेर जिले और हमारे इस इलाके में बहुत पैसा अकाल

(श्री केसरीमल)

के समय खर्च किया गया तीन चार साल पहले। इस कदर खर्च किया कि उसका हिसाब ही नहीं मिल रहा है। लाखों का खर्चा हुआ। वह या तो फेमिन के काम में ही दूसरी जगह लग गया और बता दिया कागजों में वहां खर्च हुआ या काम कहीं किसी अधिकारी के यहां हुआ और उसका पैसा अकाल के खर्चे में यहां के नाम से डाल दिया। काम कहीं हुआ और नाम कहीं लिखा गया। जावरा की जनता को शिकायत है कि काम बताया गया उनके आसपास फेमीन के नाम पर और पैसा कहीं शहर में खर्च किया गया। अगर कहीं अधिकारी रह रहे हैं और उनके पास में किसी नाले से बदबू आ रही है, तो पैसा उस नाले को पाटने में लग गया और पैसा फेमीन में खर्च बता दिया।

इस तरह के बहुत से मामले मेरे इस इलाके में हुए हैं। सामान खरीदने में घोटाले हुए। सिरकियां खरीदी गई, कितना पैसा इसमें लगा इसका कोई हिसाब नहीं। हर सामान में घोटाला हुआ जिसकी वजह से लाखों रुपया ओवरसीयरों, इन्जीनियरों, ठेकेदारों और दुकानदारों की जेब में गया और वास्तविक काम कुछ नहीं हुआ। कई जगह मिट्टी जरा-सी खोदी, रंगत बदली, और सड़क दिखा दी। लाखों रुपया इस तरह से चला गया। उधर थोड़ी धूल उड़ी, बारिश आई कि वह सड़क साफ हो गई। साफ होनी ही थी। वह केवल कागजों में ही तो बनी थी।

तो मेरा निवेदन करना है कि वास्तव में हमारे इलाके में बराबर अकाल पड़ता रहता है तो वहां जो भी काम हों वे स्थायी रूप के हों जिससे यह तो पता लगे कि कुछ काम हुआ है। बजाय इसके कि आप दस मील की सड़क बताओ और केवल मिट्टी डालकर पैसा लुटा दो, आप दो मील के टुकड़े में पक्की सड़क बना दें, और उस पर डामर बिछा दें तो वह स्थायी तो होगी, दो मील और बाद में बना दें तो कुछ काम का तो पता लगेगा। नहीं तो ऐसा भी होता है कुछ लोगों को वास्तव में काम पर लगाया जाता है, पचास लगाये जाते हैं तो ढाई सौ बताते हैं, दो सौ आदमियों की मजदूरी इन्जीनियर ओवरसीयर हड़प कर जाते हैं। खूब उड़कर दावतें होती हैं, कहने को कहते हैं कि हम फेमीन का काम देखने जाते हैं। जवाजे के तालाब की पाल पर बैठते हैं डाक बंगले में और दारू की बोतलें और मुसल्लम उड़ाते हैं।

गाड़ियों में पैसों का घोटाला, फेमीन के नाम पर जीपों की खरीद में घोटाले तो पैसा बहुत ज्यादा बरबाद हुआ है।

बहुत से काम आज भी अधूरे पड़े हैं जिनको पूरा करने की अब भी जरूरत है। और इससे जरूर मदद वहां के लोगों को मिल सकती है। मैं निवेदन करूंगा

(श्री केसरीमल)

कि ऐसे समय में कुछ बान्धों के तैयार करने में पैसा लगाया जावे, कुछ पक्की डामर की सड़कों में पैसा लगाया जावे तो पैसा का भी उपयोग होगा और फेमीन में लोगों को काम भी मिलेगा। कहा जाता है कि 30 चालीस परसेन्ट से ज्यादा सामान पर खर्च नहीं किया जा सकता। मैं कहता हूं, कि फिर खर्च ही क्यों करते हैं? पैसा तो वैसे भी फेमीन से इफेक्टेड लोगों की जेब में नहीं जाता तो फिर इस तरह से पैसा फिजूल बहाने से लाभ ही क्या है? ऐसे लोग तो शायद त्योंहार मना रहे हैं कि फेमीन पड़े और काम चले तो उनका घर भरे। जैसे मानो कोई बटेर उनके हाथ लगी हो।

हमारे इलाके में हर दूसरे तीसरे साल अकाल पड़ता है। और हर साल लाखों रुपया खर्च भी किया जाता है। पर ब्यावर को पीने के लिये पानी नहीं मिलता 15 लाख रुपया पानी की मोटरों की व्यवस्था में खर्च कर दिया। गये साल भी इतना ही रुपया खर्च किया गया। मोटरों वालों की और बीच वालों की चांदी है। हर साल पंद्रह बीस लाख आप खर्च कर देंगे पर इसके लिये एक साथ पैसा खर्च करके स्थायी हल निकालना आपको स्वीकार नहीं है। यह कहां की बुद्धिमानी है?

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, कोरम पूरा नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा : जी हां, नहीं है।

(कोरम बैल)

श्री उपाध्यक्ष : (विराम) यस। माननीय सदस्य। अपना भाषण शुरू करें।

श्री केसरीमल : तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरी बात समाप्त करने जा रहा हूं। मेरा इतना ही निवेदन है कि मेरे इलाके में आप ऐसी योजना बनावें जिनसे स्थायी हल निकाला जा सके। और ब्यावर में पानी के पीने का स्थायी समाधान खोजा जाए।

अन्त में यही निवेदन करना है कि मैंने जो ये कटौती के प्रस्ताव रक्खे हैं। मैं इस बात के साथ समाप्त करता हूं कि उनको स्वीकार किया जावे और इन खर्चों को जो वास्तव में तो कागजों में ही किये गये हैं और लोगों की जेबों में ही अधिकांश में गये हैं, अस्वीकार कर दिये जावें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहम्मद गफ्फारअली।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : (जौहरी-बाजार) : उपाध्यक्ष महोदय, ये जो मांगें यहां रखी गई हैं उनके बारे में आज यह कहना कि वे मांगें सही हैं या गलत हैं, यह तो सम्भव है नहीं। पर इतनी जरूर हमारी मान्यता है कि ये आर्डिनरी मांगें या सप्लीमेन्टरी मांगें या इसके बाद एक्सेस मांगें जो हैं, होती जरूर हैं, और सभी स्टेटों में होती हैं, लेकिन देखना यह पड़ता है कि ये

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

जो मांगें रखी गई हैं ये उचित हैं या नहीं हैं।

एक्स्ट्रा आर्डिनरी हालत में अगर सरकार को खर्चा करना पड़ता है तो वह तो समझ में आने वाली बात होती है। पर इसमें बहुत से ऐसे आइटम हैं जिनके मुताल्लिक मैं तो यह नहीं समझ पाया हूं कि उनका इन विभागों से सम्बन्ध क्या है। मैंने अनुभवी एम. एल. ए. से पूछा कि इन कन्ट्रासेप्टिव का सम्बन्ध जन स्वास्थ्य विभाग से है या मेडिकल से है। तो बहुत देर तक तो यह सोचते रहे कि यह कैसे क्या है? यह जानवरों का है या आदमियों का है। यह समझ में नहीं आया। दूसरों को भी नहीं मालूम। तो मन्त्री महोदय यह बतावेंगे कि इसका ताल्लुक किससे है।

बहरहाल, जहां तक दूसरे विभागों की मांगों का प्रश्न है उन विभागों में जो कमजोरियां हैं और जिन पर हमने कट मोशन्स दिये हैं उन पर हम अपनी राय का इजहार करें।

सबसे पहले उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह मानकर चलता हूं कि मेरे जितने भी आठ दस कट मोशन्स हैं उन पर एक साथ बोल लूं।

श्री उपाध्यक्ष : जी हां, एक साथ बोल लें।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : तो मैं थोड़ा सदन का उन विभागों की ओर ध्यान दिलाऊंगा जिनके लिये कुछ राज हम अपने दिल दिमागों में लिये बैठे हैं और वैसे मेरा सम्बन्ध पी. ए. सी. से रहा है इसलिये कि मैं उसका सदस्य रहा हूं और शायद अब मुक्त हो जाऊं। उसकी बातों को सीक्रेट मानकर मैं चलता हूं उनकी ओर तवज्जा नहीं दिलाऊंगा। पर और बातों की तरफ ध्यान दिलाऊंगा और अर्ज करूंगा कि जहां तक बोर्डर की कन्स्ट्रक्शन ऑफ रोड का सवाल है आपका ध्यान उन आंकडों की तरफ केवल दिलाऊंगा। हमारी जानकारी यह है कि जो सड़कों पर रुपया खर्च किया गया, जितना पैसा लगाया गया, उसके अनुसार न तो सड़कों की तामीर की गई और न उस स्पेसिफिकेशन की सड़कें बनाई गईं। जिस ठेकेदार को यह ठेका दिया गया उसमें 6 इन्च और 9 इन्च के सोलिंग का ठेका बोर्डर रोड्स का दिया गया और जब वास्तविकता देखी गई तो जो वहां सड़कें बनीं उनमें तीन इन्च का सोलिंग पाया गया और जब उनसे पूछा गया कि तुम्हें 9 इंच के सोलिंग का ठेका दिया गया था, यह तीन इंच की सोलिंग क्यों डाली गई है तब उसने जवाब दिया यहां फौज है, उन्होंने कहा है कि अगर तामीर 15 रोज में नहीं हुई तो हम सख्त से सख्त कदम उठायेंगे और एक ने तो इतना कह दिया कि हम तुम्हारा सिर काटकर रख देंगे।

ये फेमीन की बेजाब्तियां, जिनके ऊपर पैसा सर्फ किया जाता है, उस पर राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वह ठेकेदार या इंजीनियर जो इस किस्म की इर्रेगुलैरेटीज करते हैं उनके खिलाफ कोई कदम उठाया जाय। लेकिन उनकी कई शिकायतों के बावजूद राज्य सरकार उनकी तरफ कोई

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

तवज्जुह नहीं करती है। इसका नतीजा यह होता है कि एक ही किस्म के ऐतराज और एक ही किस्म के जवाब हमारे महकमों से आते हैं। यह 100 रु. की कटौती का जो प्रस्ताव मैंने रखा है वह इसलिए रखा है गवर्नमेंट का पैसा चाहे वह किसी बान्ध बनाने पर खर्च हो, चाहे पुल बनाने पर खर्च हो और चाहे रोड्स बनाने पर खर्च हो वह ऐसे करेक्टर की होनी चाहिये कि जिनका ठेका हम अपने टेन्डर्स के द्वारा देते हैं और अगर इस किस्म की बेजाब्ती होती है तो जो ऑफिसर उसके लिये जिम्मेदार होते हैं उन पर पूरी जिम्मेदारी सौंपी जाय और असफल रहने पर उन पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाय।

इसके बाद अब मैं फेमीन के ऊपर आना चाहता हूं। यह राजस्थान की बदकिस्मती है कि राजस्थान में यह एक क्रॉनिक डिसीज हो गई है। जो खुशहाल डिविजन्स हैं वहां अगर अकाल पड़ता है तो सारे देश में हल्ला हो जाता है। महाराष्ट्र में इस साल अकाल पड़ा पिछले सेन्टर के मिनिस्टर्स थे, वह सब पहुंच गये इसलिए कि वह सरप्लस डिविजन था और अब बदकिस्मती से उसको फेमीन का सामना करना पड़ रहा है। वहां करोड़ों रुपया खर्च कर दिया गया है। यह बदकिस्मती राजस्थान की है कि यहां कई सालों से फेमीन चल रहा है और केन्द्र सरकार ने यह सोच लिया है कि यहां तो अकाल हर वक्त पड़ता रहा है और यह ला इलाज है। ऑक्सीजन देकर इसको जिन्दा रखा जा रहा है अब जितने मरेंगे उतने मर जायेंगे और जितने जियेंगे उतने जी जायेंगे।

मैंने जिक्र इसलिए किया कि जो फेमीन पर हम खर्च करते हैं उसमें कोई कन्ट्रीब्यूशन केन्द्र की हुकूमत का नहीं होता इसलिये राज्य सरकार को केन्द्र की सरकार पर दबाव डालना चाहिए कि वक्तन फवक्तन फेमीन का जो करोड़ों रुपया मिला है उसको वाइप आउट किया जाय और कहें कि यह राजस्थान की जिम्मेदारी नहीं है और न हम कन्ट्रोल कर सकते हैं। राजस्थान में वाटर रिसोर्सेज नहीं हैं, राजस्थान में पानी पर कोई कन्ट्रोल नहीं किया जा सकता है। जो वाटर है वह नीचे जाता जा रहा है और जितने हमारे साधन हैं, उनको हम उपलब्ध कर रहे हैं और करते जा रहे हैं लेकिन जो कर्जा फेमीन का हम पर लद गया है वह राज्य सरकार को अपने ऊपर से समाप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। और हमें जनता को भी इस सिलसिले में जागरूक करना चाहिये और केन्द्र को यह कहना चाहिए कि यह जो चीज है, कोई फेमीन है, कोई ऐपिडेमिक हो तो उस सरकार पर ही इसको अकेली जिम्मेदारी नहीं रहती है, जिसमें यह फेमीन पडना है, बल्कि केन्द्र की हुकूमत को यह जिम्मेदारी लेनी चाहिये।

अब यह तो मंत्री महोदय बतायेंगे कि फेमीन के सिलसिले में कितना रुपया लिया गया और कितना राइट आफ किया। केन्द्र की हुकूमत अगर पूरी रकम राइट आफ कर दे तो कोई बात नहीं और अगर नहीं की तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिये कि तमाम खर्चा माफ कराया जाय और जो चीज होती है, जो गैर मामूली हालात में होती है, वह राज्य सरकार की नहीं बल्कि केन्द्र की हुकूमत की जिम्मेदारी है। इसके अलावा आज

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

भी हम फैमीन के दौर से गुजर रहे हैं। पिछले सालों का यह सबसे बड़ा फेमीन है। इस फैमीन में चाहे वह कुछ जनसंघ के साथियों ने शोर मचाया हो कि एक आदमी भूख से मरा या नहीं मरा मेरी समझ में नहीं आता एक आदमी की मौत हो गई और उसके लिये इतना सारा शोर मचा दिया। आदमी मरे तब भी फेमीन है, और आदमी नहीं मरे तब भी फैमीन है, इसमें कोई नई बात नहीं है। इन बातों से सदन का समय जाता है। असल में कोई मरे या नहीं मरे यह अहम प्रश्न नहीं है और न इस फेमीन के काम को एक मौत से सम्बन्धित किया जा सकता है। असल में आज 26 जिलों में से 24 जिलों में फेमीन है और 22 हजार गांव फेमीन से प्रभावित हैं। आज भी वह स्थिति है। राज्य सरकार ने कुछ रचनात्मक कदम उठाये हैं और उस रचनात्मक कदमों में मेरा यह सुझाव है कि फूड ग्रेन में गेहूं का जो थोक व्यापार है वह अपने हाथ में लें। यह जो कदम केन्द्र की सरकार ने उठाया है, मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं यह बहुत बड़ा कदम है और अगर इसमें नाकामयाब हो गई तो इसके संगीन परिणाम होने वाले हैं। इसके बाद राज्य सरकार के पास और केन्द्र सरकार के पास कोई विकल्प नहीं रहेगा। आज जो व्यापारी इस फैमीन के जिम्मेदार हैं, जो बड़े बड़े जागीरदार इस फैमीन के जिम्मेदार हैं, वह बहुत सीना ठोक कर जनता का शोषण करेंगे। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो फेमीन में प्रतिगामी शक्तियां बाधा डालती हैं चाहे वह स्वतंत्र पार्टी हो, चाहे जनसंघ हो, प्रतिगामी शक्तियां हैं वे यह कहती हैं कि यह व्यापार सरकारों से कैसे चलेगा? उनको यह परेशानी है। वे सोचते हैं होटल्स को क्यों परेशान किया जा रहा है। मेरा निवेदन है आप उनकी परेशानी का खयाल न करें। जो गल्ला लाखों की तादाद में राजस्थान से बाहर जा रहा है उसकी रुकावट की जाय। आज फेमीन से ताल्लुक रखने वाले मंत्री महोदय यहां नहीं हैं। कल उन्होंने एक बयान दिया था, मैं उससे सन्तुष्ट नहीं हूं, और मैं यह मानता हूं गवर्नमेंट बहुत कमजोरी का परिचय दे रही है।

असल में आज से 8–10 दिन पहले एक अखबार में छाया हुई थी कि गवर्नमेंट का सोचना यह है कि इस व्यापार को लेने में 70 करोड़ का खर्चा होगा जो हम अपने साधनों से नहीं जुटा सकते और मुझे यह ताज्जुब है कि राज्य सरकार ने उस खबर का कोई खण्डन नहीं किया और आज तक बयान नहीं दिया कि राज्य सरकार का कोई खयाल नहीं है, या राज्य सरकार का खयाल है। यदि राज्य सरकार का यह खयाल है तो फिर मेरी मान्यता यह है कि राज्य सरकार इस थोक व्यापार को अपने हाथ में लेना नहीं चाहती और वह कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के फैसले से दबकर यह कर रहे हैं, और फिर बुजदिली के साथ इस काम को सुचारु रूप से नहीं चलाना चाहते हैं। अतः राज्य सरकार के मंत्री-मण्डल को यहां पर यह समझ लेना चाहिए, कि यह चीजें जो आप सोच रहे हैं यह व्यापारियों के हक में हो सकती हैं, आपके खुद के हक में हो सकती

Page No 62

(62)

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

है, लेकिन आपको समझना चाहिए कि जिस आर्गेनाइजेशन से आप चुनकर आये हैं उसके लिए यह बहुत घातक साबित होगी।

उसके बाद एक खबर फिर आया हुई कि 20 करोड़ रुपये का हमारा डेफिसिट रहेगा और अगर वह केन्द्र की हुकूमत हमको दे तो हम फिर इसकी जिम्मेदारी ले सकते हैं। मेरी मान्यता यह है कि इस वक्त तक गवर्नमेन्ट ने कोई रचनात्मक कदम इस सिलसिले में नहीं उठाये हैं और बहुत उदासीनता गवर्नमेन्ट के इस रवैये में दीखती है, और बदकिस्मती यह है कि गवर्नमेन्ट के अन्दर भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि कांग्रेस की प्रगतिशील नीतियों को सेबोटाइज करना चाहते हैं, जो उसमें बारूद लगाकर, डाइनामाइट लगाकर उसको समाप्त करना चाहते हैं। यही वजह है कि जो सीलिंग बिल शहरी सम्पत्ति के बारे में और एग्रीकल्चरल सम्पत्ति के बारे में है और कल जो बिल आया, यह तमाम बिल इसका परिचय देते हैं कि वह लोग आज कांग्रेस के अन्दर 144 बैठे हैं उसमें से मैं समझता हूं कि अधिकतर लोग ऐसे हैं····

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

ऐसा है कि दस, दस मिनट के हिसाब से दें तो मैं बोलूं नहीं तो नम्बर आये तो बोलूं? I must get one hour. I have given my cut-motions.

श्री उपाध्यक्ष : प्रक्रिया यह है कि सप्लीमेन्ट्री ग्रान्ट और एक्सेस ग्रान्ट में जो ओरिजिनल पॉलिसी मैटर्स थे वह पहले डिस्कस हो चुके हैं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : जो 100 रुपये का कटमोशन दिया जाता है उस पर डिस्कस किया जाता है और वह तो टेक्निकल क्वेश्चन है और फिर दस, दस मिनट दें तो भी मुझे 40–45 मिनट मिलने चाहिये। मैं संक्षेप में ही कह दूंगा। लेकिन मैं अर्ज करूंगा कि आज तो 4 बजे तक का समय रखा है और मुझे तो बोलने वाले भी नजर नहीं आ रहे हैं। मेरे पास जो कटमोशन की लिस्ट आई है उसमें तीन नाम तो हैं ही नहीं। मैं बोलना चाहता हूं, केसरीमल जी और जो दूसरे हैं, वह गायब हैं, और जो बोलने के इच्छुक हैं और ख्वामाख्वाह बोलना चाहते हैं उनको कन्सीडर नहीं करना चाहता हूं क्योंकि हर इश्यू पर बोलना उनका फण्डामेण्टल राइट है लेकिन मैंने जो कटमोशन रखे हैं उन पर संक्षेप में जरूर बोलूंगा।

मेरा अर्ज करना यह है कि फेमिन का सवाल है उस पर मैं और ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। शायद यह चीज नागवार गुजरी है कि मैं पार्टी विशेष पर हमला कर रहा हूं, लेकिन मेरी यह कतई मंशा नहीं है। मेरा कहना यह है कि राज्य सरकार को सतर्क रहना चाहिए। मैं देख रहा हूं पार्टी विशेष की हालत जिससे कि मेरा समझौता है कि पहले आन्ध्र में गड़बड़ चली और अब उड़ीसा में प्रगतिशील मिनिस्ट्री कल टॉपल डाउन कर दी गयी। वह इसलिए कि इसमें से ही कुछ लोग सेबोटेज कर रहे हैं। मैं इस इश्यू को यहीं छोड़ता हूं।

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

मैंने एक कट मोशन शिक्षा के बारे में दिया है। शिक्षा मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में यह फर्माया था कि जो स्कूल चल रही हैं उनमें से बाज स्कूलों का अच्छा रिजल्ट है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो स्कूल अच्छे स्टूडेन्ट्स देता है उनका अच्छा रिजल्ट होता है यह स्वाभाविक है। इसके अतिरिक्त सिर्फ अच्छा रिजल्ट हो यह हमारा काम नहीं है। मैंने एक सुझाव रखा है कि शिक्षा की जितनी संस्थायें हैं उनका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। उनका राष्ट्रीयकरण होने की बुनियाद मैं आपसे अर्ज किया चाहता हूं। मेरी जानकारी में ऐसी संस्थायें हैं राजस्थान में जिनको कि लाखों रुपयों की ग्रान्ट दी जाती है। एक आदर्श विद्या मन्दिर के नाम से चलाई जा रही है और उसको चलाने वाले संचालक आर.एस.एस. के लोग हैं। मैं यह निवेदन किया चाहता हूं कि केन्द्र की हुकूमत ने आर.एस.एस. और जमायते इस्लाम दोनों ही आर्गेनाइजेशन को गैर कानूनी करार दे दिया और यह कह दिया कि यह दोनों आर्गेनाइजेशन हैं, इनकी गतिविधियां हैं, वह बहुत सन्देहजनक हैं, इसलिए राज्य सरकार को इसके ऊपर गौर करना चाहिए। शिक्षा मंत्री जी से मैं यह निवेदन करूंगा कि अच्छी पढ़ाई हो लेकिन वहां पर गांधी के कातिल पैदा हों, वहां पर डेमोक्रेसी के कातिल पैदा हों, वहां पर फासिस्ट और नाजी पैदा हों, वहां पर हिटलर पैदा हों, और हम उनको चलाने की इजाजत दें। जो समाजवाद के दुश्मन हों, जो डेमोक्रेसी के दुश्मन हों उनको हम इस संस्था में जन्म नहीं लेने दे सकते हैं, और यह समाजवाद के उसूलों के विपरीत है। इसलिए शिक्षा मंत्री जी सोचें कि वहां पर अच्छा रिजल्ट होता है उसी आधार पर मान्यता दें और पैसा दें तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति और नहीं हो सकती। मेरा निवेदन यह है कि ऐसी संस्थायें जहां ऐसे लोग पैदा होते हों, जो हिन्दुस्तान की आजादी के लिए खतरा हो सकते हैं, जो हिन्दुस्तान को उस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, जिसके ऊपर पाकिस्तान गया और तबाहेखाली में पड़ा है, तो मेरा कहना यह है कि सब किस्से को खत्म करने के लिए इसका एक इलाज है, और वह यह है कि जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, संस्थायें हैं, उनका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए और जितनी जल्दी यह हो जाये उतना ही सुख की नींद हम सोयें। न सिर्फ यह संस्था बल्कि जितनी और प्राइवेट संस्थायें हैं उन्होंने सबने इसको कमर्शियेलाइज कर रखा है। इन संस्थाओं को लोग लाते तो बहुत पाक इरादे से हैं, कोई टेगोर स्कूल नाम रखा जाता है, कोई गांधी नाम रखा जाता है, कोई जवाहर नाम रखा जाता है और उसके बाद सैकड़ों एकड़ जमीन के ऊपर कब्जा करके और उस पर छोटी छोटी इमारतें बनाकर उस जमीन का और रुपये का दुरुपयोग करते हैं जो कि उनको मिलता है। हमने कोई कामर्शियल एस्टेब्लिशमेन्ट चलाने के लिए अपना एजुकेशन डिपार्टमेंट नहीं क्रियेट किया है। हम यह चाहते हैं कि बच्चों को एजुकेशन मिले, व अच्छे नागरिक पैदा हों, समाजवाद की तरफ जाने वाले कमिटेड पैदा हों और सेक्यूलरिज्म से चलें, धर्म निर्पेक्षता से चलें–ऐसे बच्चे पैदा हों। मगर हम देखते हैं कि ऐसे स्कूल हैं कि जो ऐसे बच्चे पैदा कर रहे हैं जिनमें कहीं धर्म निर्पेक्षता का या कहीं सेक्युलरिज्म का सवाल

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

नहीं है, कहीं डेमोक्रेसी का सवाल नहीं है। तो फिर हमारी मान्यता है कि हमको ऐसी संस्थाओं को अपने कब्जे में ले लेना चाहिये और पूरे एजुकेशन का राष्ट्रीयकरण होना चाहिये।

इसके बाद में चौथे इश्यू पर आ जाता हूं बहुत संक्षेप में। मैंने कटमोशन कारावास के बारे में दिया है। मैं 30-32 वर्ष से, लगभग 1938 से जेल में जाता आ रहा हूं और दो साल और 1½ साल के फासले पर हर रिजीम में जेल गया हूं। मेरी मान्यता यह है कि जो कैदियों की स्थिति अंग्रेजों के जमाने में थी उस स्थिति में और आज की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है। अगर परिवर्तन हुआ है तो यह हुआ है कि उनको जो अच्छा खाना मिलता था उसके बजाय राशन का गल्ला या खराब किस्म का गल्ला मिलने लगा है। खैर, उसमें तो मैं गवर्नमेन्ट को दोषी नहीं मानता, इसलिए कि जो चीज हर नागरिक को मिलती है वह उनको भी मिलती है। लेकिन मेरी मान्यता यह है कि यह जो कारावास के प्रति राज्य सरकार की उदासीनता है, यह भी समाप्त होने की जरूरत है। उन कैदियों के लिए कि जो सब दुनियां से कटकर आपकी गोद में बैठ जाते हैं और वह मेहनत भी करते हैं, उनके पैसे का उपयोग भी आप करते हैं, तो उनको अच्छी खुराक मिले, अच्छा खाना मिले, उनको सुविधायें उपलब्ध हों–यह मेरा आपसे निवेदन है। मुझे याद है मिर्जा इस्माइल के जमाने में एक जेल कमेटी का निर्माण किया गया, तो जहां तक मेरा खयाल है उस जेल कमेटी ने कुछ सिफारिशें की थीं। उसके बाद फिर एक जेल रिफार्म्स कमेटी हुई। उस जेल रिफार्म्स कमेटी ने कुछ सुझाव भी दिए लेकिन उन सुझावों की ओर कोई गौर नहीं किया गया, और आज उन कैदी की जो कैद में हैं, जो जेल में हैं उनकी हालत बहुत दयनीय है। मई और जून की सख्त गर्मी के अन्दर वह बैरेक्स में बन्द कर दिया जाता है और रात रात भर उस परेशानी के अन्दर, गर्मी की परेशानी के अन्दर वह अपनी जिन्दगी को बसर करता है। मैंने जेल मंत्री जी से इस दिशा में कहा था कि आप कुछ परिवर्तन कीजिए। क्या डर है आखिर? उनको गर्मी के महीने के अन्दर बाहर सुलाइये। जो हार्डेन्ड क्रिमिनल हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वे पीस डिस्टर्ब कर सकते हैं, वे एक दो फी सदी से ज्यादा नहीं हो सकते। उनको छोड़ कर अगर राज्य सरकार इस ओर तवज्जोह करे कि उनको ऐसे सख्त महीने में, जब कि इंसान छत के नीचे बैठ नहीं सकता, उनको सोने पर मजबूर न किया जाय और जेल के बाहर सुलाया जाय। अगर उनको बाहर सुला देते हैं तो कौनसी कयामत आ जाएगी, कौन सा आसमान गिर जाएगा। इसके अन्दर यह भी सवाल हो सकता है कि साहब सिक्योरिटी डिस्टर्ब हो सकती है, तो मैं माननीय मंत्री जी से कहता हूं कि हाल ही में हम लोग दिल्ली जेल में जाकर देखकर आए थे। उसको जाकर वे भी देखें। वहां पर बैरेक्स में पंखे लगे हुए हैं। तो यह आल्टरनेटिव अरेंजमेंट कर दीजिए और इसके अलावा उनकी डाईटिंग की जो कन्डीशन्स हैं उनको भी आप सुधारें।

जेल के साथ जो स्टाफ है उनकी सर्विस कण्डीशन्स को भी इम्प्रूव किया जाय। वहां

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

बहुत असंतोष है। एक छोटी सी बात है जिसकी जानकारी मुझे मिली है कि जेल डिपार्टमेंट की एक सिफारिश आई थी और वह यह है कि जेल वालों को जो सुबह का नाश्ता मिलता है वह, पहले मैं जानता हूं कि पांच दस साल पहले दो दिन रोटियां, दो दिन गेहूं और दो दिन चना मिलता था। अबकी मर्तबा मुझे पता चला कि सिवाय चने के कुछ नहीं दिया जाता। तो उन्होंने यह सुझाव भेजा था कि कम से कम चाय एक ऐसी वस्तु है जो उनको मिलनी चाहिए और जिसकी सुविधा उनको प्राप्त होनी चाहिए आपको चाय देनी चाहिए। आप महसूस करते होंगे कि उन लोगों को, जो अभागे पड़े हुए हैं, जो जरायमपेशा हो गए हैं, लेकिन इसकी जिम्मेदारी भी सोसायटी है बहुत हद तक, उनको सहूलियत देनी चाहिए। और उनको यह सहूलियत भी देनी कि वह प्राईवेट में बैठ कर अपने आपको ईज कर सकें, जेल के अन्दर।

फिर सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि हमने अपने जेल रिफार्म में अभी तक कुछ नहीं किया। वह दिन याद आता है जब जतीन्द्रनाथ दास वगैराह ने काम किए। उनकी याद आज भी कायम है। वे लोग जो पोलिटिकल एजीटेशन करते हैं, चाहे वह राज्य सरकार के कर्मचारी हों, वे पार्टीज के आदमी हों, वह सोशलिस्ट हों या जनसंघ वाले हों उन्हें भी जबरदस्ती बैरकों में रखा जाता है, उनके साथ में अच्छा सलूक नहीं किया जाता है। मैं यह नहीं कहता कि उनके लिए कोई खास केटेगरी होनी चाहिए। मैं केटेगरी का कायल नहीं हूं, न मैं, यह कायल हूं कि और कैदियों के मुकाबले उन्हें ज्यादा अच्छा राशन मिले। मुझे जो राशन मिलता रहा था मैं उसका ही उपयोग करता रहा था। मैंने कभी उस राशन का जो स्पेशल क्लास में मिलता था उसका उपयोग नहीं किया सिवाय दो मौकों पर जिसका मुझे अफसोस है, जब सेठों के साथ चला गया था और उस समय उपयोग करना पड़ा। ऑक्ट्रॉय का सवाल था, उसमें मैं, इस्लाम साहब और कुछ दूसरे सेठ लोग गए थे टोंक में, उस वक्त तो इसका उपयोग करना पड़ा, लेकिन उसके बाद किसी और मौके पर नहीं किया। बहरहाल उनको ऐसी सुविधा जिस पर आपको खर्चा नहीं करना पड़ता है, वह सुविधा उनको मिलनी चाहिए। जब कभी एजीटेशन होता है तो सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि उनको बैरकों में बन्द करते हैं। क्या आफत है? जो लोग खुद जाते हैं वे अपने आपको अरेस्ट कराते हैं उनको अगर आप बाहर रख देते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? लेकिन असल चीज यह है कि जो लोग राज्य सरकार को चला रहे हैं, उनमें से मुश्किल से एक दो लोग होंगे जो वहां गए होंगे और वहां के कष्टों को उठाया होगा, बाकी ने तो लक्जुरियस लाइफ लीड की होगी। जिस वक्त अंग्रेजों का जमाना था, प्रजामण्डल का एजीटेशन हुआ तो उस समय हमें ऐसी जगह रखा गया जहां से दो दो मील, चार चार मील तक घूम आया करते थे। उस समय हमको डाक बंगला दिया गया था। आज अंग्रेजों का जमाना नहीं है। तो अंग्रेजों के जमाने में तो डाक बंगले में रखा गया लेकिन आज हमारा हुकूमत

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

है तो हमारे साथ यह सुलूक किया जाता है कि बैरकों में कैद करने की कोशिश की जाती है। यह वाहियात बात है, इस पर हुकूमत को गौर करना चाहिए। जब जेल अधिकारियों के सामने यह सवाल आता है तो वे कह देते हैं कि हम तो मजबूर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, गवर्नमेंट के आदेश हैं। मैं कहता हूं कि इतनी छोटी छोटी बातों के अन्दर भी अगर गवर्नमेंट नहीं सोच सके तो फिर इस पच्चीस साल की आजादी का मकसद क्या हो सकता है?

तो संक्षेप में जेल के बारे में और कारावास के बारे में मैंने जो सौ रुपये का कटमोशन दिया है उसका मकसद यही था कि जेल के लोगों की जो दयनीय हालत है उसकी तरफ राज्य सरकार की तवज्जोह दिलाऊं।

इसके अलावा मैंने एक संशोधन एपॉइन्टमेंट और जी. ए. डी. के बारे में दिया है। उसके बारे में दो चीजें मुझे अर्ज करनी हैं। एक तो यह है कि 27 पर्सेंट, जो शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन किया गया है, मेरी मान्यता यह है कि जो रिजर्वेशन है उसका कम्प्लीटली उल्लंघन किया जाता है। मेरी जानकारी है कि बहुत सी दरख्वास्तें पेश होती हैं और यह लिख दिया जाता है महकमों की ओर से कि कोई दरख्वास्त पेश नहीं हुई। इसका नतीजा यह है कि आप एक तरफ तो यह कहते हैं कि हम शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों का उत्थान करना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप इनको इन्कम्पीटेंट बताते हैं, उनका कसूर बताते हैं कि दरख्वास्त नहीं दी। वे दस्तखत कराने आते हैं मेरे पास में। मैं आपको इसकी एक एग्जेम्पल देना चाहता हूं। थली के अन्दर रैगर रहते हैं, वे दो साल से परेशान हैं बेचारे। उनके साथ यह ज्यादती की जाती है। यह जो सवर्ण हिन्दू हैं वे चाहते हैं कि वे जूता ही गांठते रहें, चरस गांठते रहें, जिसके लिए वे तैयार नहीं हैं, फिर भी उनको मजबूर किया जाता है। उनका मकान जलाया गया, उनको परेशान किया गया और गवर्नमेंट यह कर सकी कि 107 के अन्दर चालान कर दिया और उसके मुकद्दमे आज तक चल रहे हैं। वे लोग तो पचास हजार की थैली जमा कर लाते हैं, लेकिन वे बेचारे रैगर दो रुपये तक वकील को नहीं दे सकते हैं। तो मैं यह अर्ज किया चाहता हूं कि जब आपने रिजर्वेशन कर रखा है तो इसके बारे में कोई एक सेल भी बनाया जाय। उसके अन्दर किसी भी पोस्ट की जगह हो वह 27 पर्सेंट रिजर्वेशन की दरख्वास्त वहीं पर आनी चाहिए और जो मुकाबला हो वह भी शिड्यूल्ड कास्ट्स के लड़कों के बीच में होना चाहिए, जो चाँच हो वह भी उनमें आपस में होनी चाहिए, उनका आपस में मुकाबला होना चाहिए। यह नहीं कि साहब आर. ए. एस. के काबिल नहीं हैं। वह काबिल ही होते तो रिजर्वेशन की जरूरत ही क्या थी? अगर वह साधन हीन नहीं होते तो आपकी नजर इनायत होने की जरूरत ही क्या थी? आपकी नजर इनायत के मुस्तहक ही क्यों होते? इनमें भी बहुत काबिल लोग हैं। इनमें से अम्बेडकर जैसे हुए हैं, जिन्होंने कांस्टीट्यूशन का निर्माण

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

किया। इन बेचारों के पास न साधन हैं, न उनकी माली हालत है, उनके ऐसे सरकमस्टांसेज भी नहीं हैं कि वह अपनी हालत को प्रकट कर सकें इसलिए वह आपके रहमोकरम पर पड़े हुए हैं। मैं इस मामले में सख्त रवैय्या लेना चाहता हूं। मैं यह भी चाहता हूं कि राज्य सरकार यह जवाब दे कि उसकी पॉलिसी क्या है ? क्या यह सब चीजें नुमायशी हैं, दिखावे के लिए हैं, क्या ये सब निराधार हैं ? क्या यह बातें, जो आप गांधीजी के नाम पर करते हैं, वह सब गलत हैं ? उन्होंने तो अपनी जिन्दगी को खत्म कर दिया, उन्होंने अपने आपको बलिदान कर दिया, लेकिन आप में से कितने ऐसे हैं जो उनकी दयनीय हालत पर अफसोस जाहिर करते हैं और तवज्जोह करते हैं ? मैं चाहता हूं कि यह 27 पर्सेंट का जो रिजर्वेशन है यह बहुत सख्ती से लागू होना चाहिए। और यह कहना कि दरख्वास्त नहीं आती इसको मैं पूर्णतया गलत मानता हूं, इसको झूठा मानता हूं। इसलिए कि पचासों, हजारों बी. ए., एम. ए. मेरे पास आते हैं। मेरे पास कोई एक्जीक्यूटिव मशीनरी तो है नहीं सिवाय मैं यह देख लूं कि यह हरिजन ही है। जिसने कसम खाकर कह दिया कि मैं हरिजन हूं तो मैं दस्तखत कर देता हूं। मैं उनसे यह तो कह देता हूं कि भाई कसम से कह दो कि तुम हरिजन ही हो, कहीं ऐसा न हो, कि झूठी बात कह कर सर्टीफिकेट लो और फिर तुम भी फंसो और मुझे भी फंसा दो। लेकिन मैं इसलिए दस्तखत कर देता हूं कि कोई इसका मुस्तहक महरूम न रह जाय। मेरी मान्यता है कि इनको कोई रिलीफ नहीं मिलती। इसलिए मुझे कहना यह है कि यह जो एपॉइंटमेंट की प्रथा है इसके अन्दर बहुत बड़ी तब्दीली होनी चाहिए।

दूसरी चीज जो मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि यह इन्टरव्यू का मसला है, इसको हटाना चाहिए। फर्स्ट क्लास लड़का है लेकिन इन्टरव्यू करने वाले उसको लेना न चाहें तो ऐसे सवाल पूछते हैं कि हवामहल में कितनी खिड़कियां हैं, विधान सभा के कितने दरवाजे हैं। सवाल करने के मुस्तहक हैं। इन्टरव्यू का सिस्टम वह अंग्रेजों के जमाने का था जहां कि नौकरशाही को बढ़ावा देना चाहते थे आजाद मुल्क में उसको रखते हैं तो उसके बारे में देख लें। उसमें मेरिट पर तय कर लें। इन्टरव्यू का सिस्टम इसके अन्दर रखते हैं तो उनके साथ बेइन्साफ होता है। इसकी तरफ मैं राज्य सरकार की तवज्जह दिलाऊंगा। इसके अन्दर बहुत बड़े परिवर्तन की जरूरत है। इसमें बहुत से मुस्तहक लड़के रह जाते हैं और ऐसे लड़के जो गैर-मुस्तहक हैं वह शामिल हो जाते हैं इसलिए कि उनकी स्ट्रिन्ग्स होती हैं, उनके पीछे डोरी होती है। उनके पीछे कुछ लोग होते हैं, वे किसी मिनिस्टर के रिश्तेदार हो सकते हैं, किसी बड़े अधिकारी के रिश्तेदार हो सकते हैं, किसी बड़े कांग्रेसी के रिश्तेदार हो सकते हैं, किसी बड़े कम्युनिस्ट के रिश्तेदार हो सकते हैं। मेरा अर्ज करना यह है कि इस प्रथा को हमें समाप्त करना चाहिए, इसको प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, और कोई ऐसा सिस्टम एपाइंटमेंट का होना चाहिए कि जिसके आधार पर सही लोग लिये जा सकें। तो यह सवाल है जी.ए.डी. के बारे में, जिसके बारे में मैंने गवर्नमेंट की

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

तवज्जह दिलाई है। उसके ऊपर पूरी तवज्जह देना चाहिए।

इसके बाद एक कटौती प्रस्ताव मैंने जन-स्वास्थ्य के मसले पर रखा है। यह पीने के पानी का मसला है। यह हमारे डेजर्ट एरिया में तो बहुत ही गम्भीर है। वहां तो बहुत ही खराब हालत है। उसके बारे में मैंने सुझाव रखा है विस्तार के साथ और तफसील के साथ और गवर्नमेंट को वार लेवल पर इस मसले को हल करना चाहिए। कहीं पर 100 फीट सड़क बनाते हैं, कहीं पर छोटे छोटे कलवर्ट्स बनाते हैं। इससे यह मसला मुस्तकिल तौर से हल होना चाहिए। इसके लिए ऐसे असबाब उठाने चाहिए कि जिससे डेजर्ट एरिया में पानी पहुंच सके लेकिन उन शहरों में, जिनमें पानी काफी मिलता है, उनकी भी हालत यह है कि मैं बोलना तो नहीं चाहता, लेकिन परसों मेरे एरिया में पानी कतई बन्द हो गया। अभी फरवरी में यह हाल है तो अप्रेल और मई में क्या हाल होगा और 24 घण्टे तक पानी न आये तो बड़ी परेशानी उठानी पड़ी तो ख्वामख्वाह मुझे बोलने को प्रोत्साहन मिला कि मैं इस विषय पर बोलूं और इसलिए भी कि वित्त मंत्रीजी इन्चार्ज हैं वाटर वर्क्स के भी, इसलिए मेरी गुजारिश है कि यह मसला गम्भीर रूप धारण कर रहा है। तो इस पर तुरन्त आप तवज्जह करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं 5 मिनिट में ही खत्म कर देता हूं।

इसमें कोई शक नहीं है कि सिविल लाइन्स में आप 24 घन्टों में 22 घन्टे पानी दे रहे हैं और ऐसी लोकेलिटीज में जहां गरीब लोग रहते हैं वहां पर आप 2-4 घंटे भी पानी नहीं दे सकते हैं। यह जो फर्क है वह समाजवाद का रूप नहीं दिखलाता है, यह समाजवाद की तरफ कोई दिशा नहीं दिखलाता है। इसलिए पानी के मसले पर बड़ी गम्भीरता के साथ सोच-विचार करना चाहिए, और अब ऐसा वक्त आ रहा है कि जिस वक्त में पानी की समस्या बहुत ही गम्भीर हो जायेगी। इसलिए मैं इस कटौती के प्रस्ताव द्वारा आप से यह निवेदन किया चाहता हूं कि इस मसले को आप लें।

जहां तक पुलिस का ताल्लुक है उनकी दुनियां ही न्यारी है। उनके बारे में कोई तफलीफ से ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि जितना रुपया पुलिस के महकमे पर सर्फ किया जाता है उसके बदले में जो पुलिस का इन्तजाम है वह बड़ा नाकाफी रहा है। एक चीज जरूर है कि अगर कोई पोलिटिकल जुलूस हो या पोलिटिकल लोगों का कोई डिमॉन्स्ट्रेशन हो तो उसमें बड़ी मुस्तैदी से काम करते हैं, उसके अलावा ऑर्डिनेरी कोई भी कार्य नहीं करते हैं, ऐसा जिसकी सराहना की जा सके। पहले जितने पुलिस के लोग थे आज न मालूम कितनी ज्यादा तादात उनकी है। वह लोग रिश्वतखोर या बेईमान थे, लेकिन वह यह नहीं करते थे कि गवर्नमेंट की ही प्रॉपर्टी गायब हो जाय। मेरे पास पचासों शिकायतें इस किस्म की आती है कि हमारी जेब से इतना पैसा लिया था और भर्ती के अन्दर इतना पैसा दिखलाया गया है। अब उनसे कहूं कि लोकायुक्त में शिकायत करो तो मुझे यह सोचना पड़ा कि लोकायुक्त

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)
में भेज दूं तो इसको तीन साल की सजा हो जायेगी। यहां पर एक डॉक्टर भारद्वाज हैं, जिन्होंने मेडिकल कालेज में घुसकर लड़कों को मारा। वह ऐसी शख्सियत है कि जिन्होंने एक डॉक्टर की अंगुली काट दी। मुकद्दमा चला तो न मालूम किन हालातों में मुकद्दमा वापिस ले लिया। वह लोग हमारे पास आते हैं। मैं उनसे यही कहता हूं कि लोकायुक्त के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि लोकायुक्त से कोई रिलीफ नहीं मिलने वाली है। यह पुलिस का एडमिनिस्ट्रेशन है इसके बारे में विस्तार के साथ जो मेरे साथ ज्यादतियां हुई हैं वह जब बजट सेशन होगा उस वक्त रखूंगा।

तो मैंने संक्षेप में इन तमाम मुद्दों पर प्रकाश डाला क्योंकि हो सकता है कि यह मुद्दे फिर डिसकस न हो सकें। मैंने आपकी तवज्जह इसलिए इन पर दिलवाई है कि राज्य सरकार को फौरन इन पर तवज्जह देना चाहिए। मेरे सुझावों को यह समझ कर कि यह कम्युनिस्ट पार्टी से आये हैं, आपको नामन्जूर नहीं करना चाहिए, बल्कि उन पर गौर करना चाहिए। इसके साथ मेरा यह कहना है कि जो मैंने कटौती प्रस्ताव दिये हैं, उनके हिसाब से 100-100 काट देंगे ताकि गवर्नमेंट को यह महसूस हो।

श्री उपाध्यक्ष : श्री यशवन्तसिंह नाहर।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं बोलना चाहता था एप्रोप्रियेशन बिल पर।

श्री उपाध्यक्ष : डिमाण्ड्स पर नहीं बोलना चाहते हैं।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : सब तो फर्मा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : I have called the names.

श्री यशवन्तसिंह नाहर : जैसा कि प्रारम्भ में, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह अर्ज किया था और कुछ स्पष्टीकरण मांगा था माननीय मंत्री महोदय से, तो उन्होंने कुछ कारण दिये थे और कहा था कि मन्जूर होना चाहिए। इसमें मुझे एतराज नहीं है कि गलत हुआ है तो उसको मन्जूर न करें। हम उसको एप्रोप्रियेट करेंगे लेकिन एप्रोप्रियेट करने से पहले मेरा मत यह है कि यह सदन सुप्रीम है और इस सदन में सारे राजस्थान की सत्ता वेस्ट करती है। यह हमारे मुनीम हैं जो कि काम काज चला रहे हैं कार्य संचालन में ज्यादा खर्च करके 4–5 बरस बाद आंकड़े पेश करें कि मालिक उन आइटम्स को देखकर यह निर्णय करे कि यह ज्यादा खर्चा हो चुका है सो ठीक है, तो उसके मन में एक पीड़ा होती है कि हम अपनी सत्ता के महत्व को खो बैठे हैं। मेरा मत यह हमेशा रहा है कि यह ढंग नहीं होना चाहिए। आपकी एक्जीक्यूटिव सुप्रीम है या लेजिस्लेटिव सुप्रीम है? संविधान की दृष्टि से यह सुप्रीम है लेजिस्लेटिव और एक्जीक्यूटिव केवल एक्जीक्यूशन के लिए है। यह तो सही है लेकिन वर्किंग में कौन सुप्रीम है? यह मुझे आश्चर्य होता है। इस असेम्बली में कुछ चीजें बहुत पहले कराना थीं, लेकिन कार्य संचालन समिति ने हमारे सब अधिकारों को रिपील करके यह प्रश्न आने से रोक दिया तो मैं भी मानने के लिए बाध्य हूं कि हमने अपने

(श्री यशवन्त सिंह नाहर)
अधिकारों का सही रूप में पालन नहीं किया है। मैं यह भी कहना चाहता हूं, वित्त मंत्री महोदय ने हमको बताया कि 69 में अगर जनलेखा समिति का प्रतिवेदन यदि गवर्नमेंट के पास पहुँच गया है जनलेखा समिति ने इन एक्सेस को एग्जामिन कर लिया है तो उसके बाद यह आइटम्स असेम्बली में आने चाहिए। यह तो सही है कि 60 में जनलेखा समिति ने लिखा लेकिन इसके लिए जनलेखा समिति ने 66, 68 और 69 इन तीन प्रतिवेदनों में कहा है कि जिन डिपार्टमेंट के विभागाध्यक्ष की ओर से इन एक्सेस को नियमित नहीं कराया उन्होंने बड़ी गलती की है। जनलेखा समिति ने राज्य सरकारको यह निवेदन किया है, यह रिक्वेस्ट की है कि आप इन अधिकारियों के खिलाफ, जिनसे यह जनलेखा समिति सन्तुष्ट नहीं है, कार्यवाही करें। कल आपके सामने बिल पेश हुआ है तो बाधा उठ गई। एक्जीक्यूशन के सम्बन्ध में आपने लोकायुक्त को ढूंढ लिया। लेकिन जो बेईमानी करते हैं उनके कारण इस प्रकार से लाखों रुपयों का गबन होता रहता है। मुझे याद आता है 1968 में एक डिपार्टमेंट में गबन हुआ। विधान सभा में मंत्री ने जवाब दिया है कि वह रिकार्ड में है। मैं रिकार्ड देखकर नहीं आया हूं। इसमें क्या बात है?

जनलेखा समिति को मैंने एक दफा यह निवेदन किया था कि हमारी विधान सभा जो सुप्रीम है, निर्णयों के अनुसार गवर्नमेंट काम नहीं करती है। उसमें जिन अधिकारियों की गलती रहती है उसके खिलाफ गवर्नमेंट ने आज तक कोई कदम नहीं उठाया है। यहाँ पर मन्त्री महोदय एश्योरेन्स दे जाते हैं कि अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिये जायेंगे। लेकिन कुछ नहीं किया गया है। किसी पर कोई रिस्पोंसिबिलिटी डालने का रास्ता इन्हें नजर नहीं आ रहा है। जहां डेमोक्रेसी विधान सभा सुप्रीम है, वहां पर क्लर्क की गलती भी मंत्री महोदय नहीं बता सकते हैं। डेमोक्रेसी में ऐसे उदाहरण भी होते हैं। लालबहादुर शास्त्री के बारे में मैं यहा पर कहना चाहूंगा। वह हमारे प्रधान मन्त्री थे। लेकिन जब वह रेलवे मिनिस्टर थे तो एक रेलवे की दुर्घटना हो गई थी। उन्होंने अपने उत्तरदायित्व को अनुभव करते हुये तुरन्त इस्तीफा दे दिया था।

श्री केदारनाथ : अब तो मांगो तो भी इस्तीफा नहीं दिया जाता है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं किसी को यह नहीं कहता हूं कि इस्तीफा दे दो। हमारे यहां पर डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को 25 वर्ष हो गये हैं। असेम्बली ने लोकपाल की व्यवस्था की है लेकिन डायरेक्टर आफ पब्लिक ग्रिवेंसेज की व्यवस्था नहीं की है। अगर डायरेक्टर आफ पब्लिक ग्रिवेंसेज इस असेम्बली के द्वारा होता तो जो गलतियां सामने आती हैं, वह नहीं आतीं। और यह 69 तक की जो सप्लीमेण्टरी डिमाण्ड है, यह भी नहीं आती।

मुझे बोलने का मौका मिला है, मेरे जैसा नॉन टैक्निकल आदमी, सम्भव है, मैं आंकड़ों को पकड़ न पाया होऊं। मैं आंकड़ों को गलत पेश करूं तो क्षमा

(श्री यशवन्त सिंह नाहर)

चाहूंगा। यह जो एक्सेस हुआ, उससे जब जनलेखा समिति सेटिसफाई नहीं है तो फिर हमारे पास इसे पास कराने के लिए आने का क्या मतलब है? आज तक 35 करोड़ 46 करोड़ रुपया दिया, अब हमारी ताकत नहीं है जो हम दे सकें। जनलेखा समिति की रिपोर्ट है उनमें और भी एतराजात हैं। वह भी हमारे सामने आयेंगे। मैं निवेदन करूं कि अधिकारी दिन रात अपने घरों की सुख सुविधा छोड़कर फाइलों में उलझे रहते हैं, मैं उससे भी इनकार नहीं करता हूं। यह भी नहीं है कि मैं उनकी इण्टेग्रिटी को चुनौती दूं। लेकिन अधिकारियों का जन सेवा के प्रति यह जो एरोगेंस चल रहा है, इसके सम्बन्ध में मैंने पहले भी निवेदन किया कि एक जनसेवी और प्रशासन के बीच में यह चलेगा तो यह चल नहीं पायेगा। इस देश में जनतन्त्र रहेगा। मैं अभिमान से यह कहना चाहता हूं कि जनतन्त्र रहेगा। मैं यह नहीं कहना चाहता हूं कि अभिमान हो गया है। लोकतन्त्र हमारे देश में स्थापित हो गया है। इसको अधिकारी भी तो समझें।

मैं कुछ बातें और निवेदन करना चाहता हूं कि आप किसी का ट्रांस्फर करें तो यह आपका अधिकार है। लेकिन मैं कहूं कि आप ट्रांस्फर कर दीजिये तो आप नहीं करेंगे। एक सुविधा आपके पास है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपका और हमारा सम्पर्क है, वह नौकरशाही और जनप्रतिनिधियों का समन्वय है। जनता और जनतन्त्र की बात बड़ी आवश्यक है। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, आज एक अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है। मेरे कहने पर भी वह अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है। लेकिन कल मैं मंत्री हो गया वह जैसे डण्डे के बल से चलाया जा रहा हो, वह मेरे पास चला आयेगा। यह सही है कुछ बातों में हमने सिफारिश की है। मैं इन्कार नहीं करता, हमने मर्डर को छुपाने की कोशिश की है। लेकिन मैं यह कहता हूं कि हमारे यहां के रहने वाले अधिकारी हमारी आवश्यकताओं के प्रति जागरूक नहीं हैं। वह हमारी कन्स्टीट्यूशन की सुविधा के लिए है। अगर नहीं है तो फिर हमारे जनप्रतिनिधि होने का कोई मतलब नहीं रहता है। रात दिन मैं यह चाहता हूं और जब मौका आता है तो हर जगह ऐसे अधिकारी को पकड़ने की कोशिश की है जिसने कहीं गलती की हो। अधिकारियों ने कहां गलती की, किस जगह पर उन्होंने डिले करके सरकार को नुकसान पहुंचाया, कहां पर आपत्तिजनक ढंग से सरकार को डुबाने का प्रयत्न किया जिसके कारण सरकार को रुपया कम मिला–कुछ आइटम्स मैं सदन के सामने रख कर बताने का प्रयत्न करूंगा। जो पैसा कानून के अनुसार नहीं दिया जा सकता था लेकिन डिले होने के आधार पर उस पैसे का भी सरकार को नुकसान हुआ–उसके लिए कौन जिम्मेदार है–माननीय सदस्य इस पर निर्णय करें, माननीय मंत्रीजी उस पर विचार करें और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लें। हमें तो सजेस्ट करने का अधिकार है, हम सजेस्ट करते चले जायेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं, तीन वर्षों के उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं, सदन उन पर गौर करे। 1966-67 की जनलेखा समिति की रिपोर्ट में इन एक्सेस डिमाण्ड के

(श्री यशवन्त सिंह नाहर)

सम्बन्ध को लेकर जनलेखा समिति ने अपने गत प्रतिवेदन में समिति के पांचवें, सातवें तथा दसवें प्रतिवेदनों में को गई सिफारिशों की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहा था कि जिन अधिकारियों ने दसवें प्रतिवेदन में उल्लिखित अतिरेक और उसके लिए प्रावधान न कराये जाने के बारे में विस्तृत मेमोरेन्डम विनियोग लेखे सदन में उपस्थापित किये जाने के 2 माह की अवधि में महालेखाकार के जरिये समिति को भेजे जाने सम्बन्धी आदेशों का परिपालन नहीं किया है उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जावे और समिति को भविष्य में सूचना भिजवाने की सुव्यवस्था की जावे। परन्तु खेद है कि राजकीय विभागों द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है।

विनियोग लेखे 1966–67 में बताये गये अतिरेक के कारणों का विस्तृत मेमोरेन्डम भिजवाने के लिये सम्बन्धित विभागों को दिनांक 30–4–68 को लिखा गया था तथा ये मेमोरेन्डम सभी सम्बन्धित विभागों को महालेखाकार के माध्यम से विधान सभा सचिवालय को दो माह में भिजवाने चाहिये थे किन्तु खेद है कि निश्चित समय तक किसी भी विभाग द्वारा यह सूचना नहीं भेजी गई। यहां तक कि अनुदान संख्या 1 और 9 के बारे में राजस्व विभाग ने तथा अनुदान संख्या 13 वर्ग शीर्षक घ. 3 और घ. 5 के बारे में सार्वजनिक निर्माण विभाग ने यह सूचना समिति को उनके परीक्षण की तिथि अर्थात् क्रमश: 12 फरवरी, 1969 और 23 जनवरी, 1969 तक भी नहीं भिजवायी।

समिति इस स्थिति को खेदजनक समझती है और आशा करती है कि राज्य सरकार इस सम्बन्ध में सक्रिय कदम उठायेगी और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगी ताकि भविष्य में इस प्रकार के विलम्ब को रोका जा सके।

इस तरह से इन आइटम्स के सम्बन्ध में उन्होंने सेटिस्फेक्शन व्यक्त नहीं किया है। एक दो आइटम्स और बताता हूं:

"समिति की राय में ऊपर बताये गये अतिरेकों के कारणों में से क्या अधिकांश कारण ऐसे हैं जिनके सम्बन्ध में विभागाध्यक्षों द्वारा पहिले ही सोचा जाकर आधिक्यों की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त निधि वर्ष के समाप्त होने से पहिले प्राप्त की जा सकती थी। समिति इस स्थिति को खेदजनक समझती है और सिफारिश करती है कि भविष्य में विभागाध्यक्षों द्वारा व्यय की प्रगति पर पूर्ण नियंत्रण रखा जाय, व्यय के आंकड़ों का मिलान महालेखाकार कार्यालय के आंकड़ों से प्रतिमाह किया जाय, देयतायें जिनका समायोजन द्वारा भुगतान किया जाता है, का पूरा लेखा जोखा रखा जाये तथा वास्तविक व्यय की प्रगति आयद देयताओं को दृष्टि में समय पर अतिरिक्त प्रावधान कराये जाने की कार्यवाही की जाय।

इस पर मैं अधिक निवेदन नहीं करना चाहता। यह डिटेल्ड आइटम्स हैं इन्हें बताने में समय नहीं लूंगा। इसी तरह हर वर्ष के प्रतिवेदन में यह बात कही गई है, इसको रिपीट किया गया है। इसका छोटा सा हिस्सा मैं पढ़कर सुनाऊंगा।

Page No 73

(73)

(श्री यशवंतसिंह नाहर)

गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी कुछ विभागों ने अपेक्षा प्रतिवेदन के पैराओं के उत्तर भेजते समय इस सूचना को भी उसके साथ संलग्न कर दिया। अतः समिति पुनः यह सिफारिश करती है कि सभी सम्बन्धित विभागों द्वारा भविष्य में अतिरेकों के बारे में विस्तृत टिप्पणियें, उनके लिये आय-व्यय में समय पर प्रावधान न किये जा सकने के कारणों सहित महालेखाकार कार्यालय के जरिये दो माह की अवधि में भिजवाई जावे ताकि उन पर विचार कर सदन को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सके तथा अतिरेकों को नियमित कराये जाने की कार्यवाही शीघ्र की जा सके। समिति सरकार से अपेक्षा करती है कि इस सिफारिश का अनुपालन सख्ती से कराया जाय, जिससे कि समिति को हर प्रतिवेदन में इसको दोहराना न पड़े।"

फिर दूसरे साल आया, फिर दोहराया गया-वह मैं निवेदन करना चाहता हूं: "समिति पुनः यह सिफारिश करती है" यह तीसरा साल मैं निवेदन कर रहा हूं, आप इसको पढ़ते जायं, हर वर्ष यह आता है, समिति आशा करती है, परिपालन करें। लेकिन फिर भी दोषी अधिकारियों को सजा देने कि सरकार जरूरत नहीं समझती। समिति आशा करती चली जाय फिर भी कोई झांकता नहीं है कि कहां क्या हो रहा है।

"समिति पुनः यह सिफारिश करती है कि सभी सम्बन्धित विभागों द्वारा भविष्य में अतिरेकों के बारे में विस्तुत टिप्पणियें, प्रावधान न किये जा सकने के कारणों सहित महालेखाकार कार्यालय के जरिये दो माह की अवधि में भिजवाई जावे ताकि समिति उन पर विचार कर सदन को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सके, तथा अतिरेकों को नियमित कराये जाने की कार्यवाही शीघ्र की जा सके।" दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगी ताकि भविष्य में इस प्रकार के विलम्ब को रोका जा सके।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि या तो जनलेखा समिति का प्रतिवेदन गलत है और हमारे अधिकारीगण सही हैं-यह मुझे नहीं मालूम। मेरे पास तो लिमिटेड साधन हैं, आपके द्वारा यह प्रतिवेदन सप्लाई किये गये हैं, इस सदन में रखे हैं उनमें से मैं अर्ज कर रहा हूं। हर साल उसके बारे में कहा है। 1966-67 में जो इसके बारे में अनुभव किया गया। उसको इसमें कहा गया। यद्यपि यह केवल तीन करोड़ की बात है, एक्सेस नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि कुछ डिपार्टमेंट्स इधर से उधर खर्च कर गये, एक आइटम के लिए मंजूर किया, लेकिन दूसरे आइटम में खर्च कर गये। इसलिए उस आइटम पर वर्धा आर्टिकल 205 आफ कान्स्टीट्यूशन के तहत यह सदन ही स्वीकार कर सकता है। इसलिए सदन के सामने यह लेकर आये हैं। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें आइटम्स ऐसे तो नहीं है, वैसे आडिट रिपोर्ट में मुझे तो नहीं मिल पाये, मैंने प्रयत्न भी किया, जनलेखा समिति को रिपोर्ट को पढ़ने का प्रयत्न किया, मुझे नहीं मिल पाये, मेरा कोई दोष है तो यही हो सकता है कि मैं ढूंढ नहीं पाया, या सही रूप में मैं चीज को नहीं पकड़ पाया हूं। बस मैं एक चीज

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

और पढ़ कर समाप्त करूंगा। आडिट रिपोर्ट सन् 1968–69 में है, मैं सारी रिपोर्ट को पढ़ कर तो सदन का समय बरबाद नहीं करूंगा, लेकिन रिपोर्ट के कुछ अंश हैं जिनको कोट किये बिना नहीं रह सकता हूं। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना पसन्द करूंगा कि कहीं इधर से उधर नहीं कर दिये गये हैं आइटम, जिसके कारण इधर खर्च हुआ हो और उधर मान लिया गया हो। यह मेरी समझ में आता है, वैसे मेरी जानकारी में नहीं है, कुछ आइटम्स ऐसे हैं due to non-enforcement of terms of agreements. पता नहीं, कैसे समायोजना कराया होगा? मैं दो आइटम पढ़ना चाहता हूं यह 1968–69 की रिपोर्ट पढ़ रहा हूं। 1956 में यह कान्ट्रैक्ट दिया गया है।

"According to an item rate agreement for the work in chains 138-152 executed in December, 1956, the contractor was to be paid at Rs. 55 per thousand cft. for earthwork excavation in good hard soil for earthen bank depositing in 6" layers on the bank with all leads and lifts including watering, rolling and final dressing etc. complete (39.97 cft.); the actual lead was not shown in the agreement for the notice inviting tenders. The work was completed in March 1958 and the contractor's final bill for Rs. 3.36 lakhs was paid in June 1958. The representation of the contractor made in September, 1958. The representation of the contractor made in September, 1958 for extra payment for earth brought from a distance of over 38 chains against 12 lakhs average shown in the departmental estimate was rejected by the Chief Engineer (April 1963) as not being covered under the terms of agreement. On another representation of the contractor submitted in May 1962, Government decided in January 1967 to pay the contractor on the basis of actual leads; the rate tendered by the contractor was taken as for a 12-chain lead. Accordingly, Rs. 1.50 lakhs were paid to the contractor during January 1967 to October 1968.

Since the rates tendered by the contractor were to cover all leads and lifts and under clause 15 of the notice inviting tenders the contractor was required to quote rates after examining the site plan and all contingencies including lead and lift of material and since the departmental estimate had not been shown to him no extra-payment was admissible.

The matter was reported to Government in March 1969, reply is awaited (October 1969).

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

दूसरा है इरीगेशन प्रोजेक्ट का। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा। यह भी 1952–53 का कान्ट्रैक्ट था और इसमें भी लिफ्ट और लीड का मामला है। इसके अन्दर जनवरी, 1967 में 41,000) दिए गए ःवकि एग्रीमेंट में लीड और लिफ्ट सब शामिल थे। सारा काम खतम हो गया, ठेके की सारी चीजें बंद हो गईं उसके बाद रिप्रजेन्टेशन आया कि मेरी लीड और लिफ्ट ज्यादा थी इसलिए पेमेंट किया जाए। इन्कार कर दिया गया, एग्जीक्यूटिव इंजनीयर व चीफ इंजनीयर दोनों ने इंकार कर दिया, फिर दूसरी बार 1961 में फिर 1962 में एप्लीकेशन दी और 1967 में फिर पेमेंट किया जिसके एक्सेस ग्रांट्स आज आप स्वीकार करने जा रहे हैं। तीसरा है बराज–टैंक इन उदयपुर। सिमिलर केस है। सब पेमेंट्स इन्हीं सालों में हुए जिनके एक्सेज पेमेंट्स आज मांग कर रहे हैं। क्योंकि आपके सामने जितने पेमेंट्स मन्जूर होने को आए है उसमें कहते हैं कि हमारे बजट आफिसर ने इधर से उधर कर दिया, कहां हुआ पेमेंट, मुझे मालूम नहीं। इसलिए मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि बजट आइटम्स मंजूर करें, एक्सेस ग्रांट्स मंजूर करें 6 वर्ष के बाद, किसी का दोष हो इन आइटम्स के सम्बन्ध में, लेकिन जन लेखा समिति के आदेशों व निर्देशों का पालन नहीं किए जाने पर किसी अधिकारी को सजा दी गई, चेतावनी दी गई या सी. आर. में कहीं भी लिखा हो? ये जो पेमेंट्स हुए हैं तीनों साल के अलग अलग पेमेंट्स हैं। 1952 में कोई चीज खरीदी गई, 1967 तक काम नहीं लिया गया। कोयला खरीदा गया 5-6 वर्ष तक पड़ा रहा, प्राइवेट फर्म होती तो कचूमर निकाल देती उस अधिकारी का लेकिन यह सरकार है। हम सुप्रीम हैं, ऐसी छोटी मोटी गलतियों को इगनोर करते हैं। लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने के लिए बहुत आवश्यक है कि इस विधान सभा का वर्चस्व एग्जीक्यूटिव पर रहे और एग्जीक्यूटिव सुप्रीम न हों, एग्जीक्यूटिव हमेशा सबोर्डीनेट रहे, उसके जितने अधिकार हैं, रहेंगे और न लोकायुक्त न उप-लोकायुक्त कुछ कर सकेगा, न डाइरेक्टर आफ पब्लिक प्रिवेन्सेज, न विजीलेन्स कमिश्नर। कल मैं निवेदन नहीं कर सका लेकिन आज निवेदन करना चाहता हूँ कि पी. बी. मुखर्जी सुप्रीम कोर्ट जज हैं, उन्होंने लोकपाल व लोकायुक्त के सम्बन्ध में, जैसे देसाई कमेटी रिपोर्ट पर सेमीनार हुआ था, दिल्ली में सेमीनार हुआ, उन्होंने कहा, मैं नहीं कहूंगा कि सदन उनको माने, लेकिन मुखर्जी ने कहा था कि हमारा दुर्भाग्य है कि वह दिन दूर नहीं कि जब लोकपाल और लोकायुक्त की कार्यवाही के लिए नया लोकपाल और लोकायुक्त मुकर्रर करना पड़े। हम किस सीमा तक बिगड़ गए? यह सही है कि डेवलपिंग इकोनामी में जहां भी यह बात हुई है वहां पर ऐसा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी हमने जनतन्त्र को अपनाया है और उसके मारफत ही हम जनता का कल्याण करेंगे।

श्री मोहनराज (बाली): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कट मोशन है दुर्भिक्ष सहायता की मांग पर। बात यह है कि जिन दिनों की मांग रख रहे हैं उन दिनों में अकाल था मेरे क्षेत्र में और आज भी अकाल है

(श्री मोहनराज)

और 1966–67 से लेकर 1973 तक तीन साल और भी अकाल उस क्षेत्र में रहा। जब अकाल पड़ता है तब कुछ राहत कार्य खुलते हैं और मजदूरी देने की तजवीज करते हैं लेकिन उन क्षेत्रों में ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई जिससे बार बार पड़ने वाले अकाल की वजह से लोग कम प्रभावित हों या उनमें भी ताकत पैदा हो सके ताकि अकाल के दिनों में भी उनको कुछ न कुछ सहारा मिल सके। मैंने इसमें यही सुझाव दिया था जब पिछला भयंकर अकाल था 1967–68 में तब तत्कालीन मुख्य मंत्री, वित्त मंत्री और अकाल राहत मंत्री आए थे और मेरे इलाके का जो आदिवासी क्षेत्र है, जो जवाई बांध का कैचमेंट एरिया है, न कोई तालाब बना सकते हैं न किसी तरह का एनीकट बना सकते हैं, उसके लिए मैंने सुझाव दिया था कि वहां आदिवासी, भील और मीणे लोग हैं, उनके कच्चे कच्चे नाले हैं, उनके किनारों पर कुए बने हुए हैं, अगर उन कुओं को पक्का बनाया जाए तो वे अकाल के वर्षों में एक आध सिंचाई करके एक फसल ले सकेंगे जिससे कि उनका निर्वाह हो सकेगा। लोग बार बार अकाल की चपेट में आकर बिल्कुल बेघर हो जाते हैं और हर बार छोटी मोटी मजदूरी के लिए इन लोगों को बाहर दूर जाना पड़ता है। तो उस समय योजना बनाई गई थी कि कम से कम प्रति वर्ष 100 कुओं को पक्का कराने के लिए प्रति कुए पर एक हजार रुपए अनुदान दिया जाए आदिवासियों को, तो 5 वर्ष के कार्यकाल में जितने कुए' वे पूरे हो जायेंगे और बहुत बड़ा कार्य हो जाएगा। उस योजना के तहत आदिवासियों की दरख्वास्तें आई वह मैंने तत्कालीन पाली के कलक्टर के मारफत वेरीफाई करके यहां पर भेजी और उन पर विचार होने के बाद तय हुआ कि किस तरह से योजना बनेगी, क्योंकि बीच में एक वर्ष के लिए अकाल नहीं रहा था इसलिए अकाल राहत विभाग ने कहा था कि हमारे पास इस तरह की योजना स्वीकार करके उस पर पैसा खर्च करने के लिए नहीं है।

हमने समाज कल्याण विभाग को सारे कागजात भेज दिए हैं और डाइरेक्शन्स भी दिए गए कि इस तरह की योजना बनाकर आदिवासी क्षेत्र में पैसा खर्च किया जाए। मैं समझता हूं अब तक वह सारी योजना खटाई में पड़ी रह गई और उसके बाद चौथा अकाल हम भुगत रहे हैं, बार बार पैसा खर्च हो रहा है लेकिन हमारी योजना और सोचने के तरीकों में भेद होने के कारण हम सफल नहीं हो पाते। अकाल को कैसे रोका जा सके या उसके प्रभाव को कम कैसे किया जा सकता है, इस तरह की कोई योजना की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। यदि अधिकारी से कहें तो कहा जाता है कि हमारे पास ऐसा हैड नहीं है जिससे पैसा खर्च कर सकें। हैड नहीं है, पैसा नहीं है, हैड सब के पास है लेकिन हैड में किस चीज की कमी है, हम गलत तरीकों से सोचते हैं। तो फिर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि ऐसी योजना बनाई जाय कि जो यह आदिवासी क्षेत्र है, जिसमें भील, मीणे और गिरासिया जाति के लोग हैं और जो प्रतिवर्ष अकाल की चपेट में आते हैं, वह आने से बच जायं। इस-

(श्री मोहनराज)

लिये मैंने जो योजना बताई है वह हाथ में ली जाय, ताकि इस आदिवासी क्षेत्र में अकाल का प्रभाव कम किया जा सके। आज वहां की जनता अकाल से भयंकर पीड़ित है। अकाल राहत कार्य पूरे खुले हुये नहीं हैं और जहां पर कार्य खुले हैं वहां पर मजदूरों की स्थिति ठीक नहीं है। मैं आपको आज ही का उदाहरण बताऊं। मेरे पास वहां से एक चिट्ठी आयी है। उस क्षेत्र के प्रधान और उप प्रधान की चिट्ठी है उसमें उन्होंने लिखा है कि अकाल राहत कार्य 15 और 17 नवम्बर से चल रहे हैं। वहां पिछले दो महीने से मजदूरों को मजदूरी नहीं मिली है, उपाध्यक्ष महोदय, पहला क्षेत्र आदिवासी लोगों का है, भील, मीणे, आसिये जाति के लोग हैं जो गरीब हैं, पिछड़े हुए हैं और अकाल से पीड़ित हैं। इधर बेचारों को दो महीनों से मजदूरी नहीं मिली है, कोई गुजर करने का दूसरा साधन नहीं है, कोई सहारा नहीं है उनके पास। इन अकाल राहत कार्यों में करीब 900 और 1000 के बीच मजदूर काम कर रहे हैं। मैं आपके मारफत राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करके निवेदन करूंगा, आप सोचिये कि उन गरीब लोगों की हालत कितनी दयनीय हो गयी होगी। उन्होंने आगे यह भी लिखा है कि हम अभी तो आसपास के इलाके से अनाज लाकर दिलवा रहे हैं लेकिन यह काम ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता। अतः जल्दी से जल्दी उन लोगों को मजदूरी दिलाने की व्यवस्था कराने की कृपा करें। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपसे पुरजोर निवेदन करूंगा कि अकाल राहत मन्त्रीजी से उन्हें जल्दी से जल्दी पिछले दो महीने की तनख्वाह का भुगतान कराने की तजवीज की जाय। तथा साथ में इस बात की सिफारिश करूंगा कि पिछले दो माह तक उन गरीब मजदूरों का भुगतान समय पर क्यों नहीं हुआ इसका कारण पूछा जाय। अगर मस्टर रोल नहीं बनें तो क्यों नहीं बनें, और अगर मस्टर रोल बनकर गुम गये तो कहां और कैसे गुम गये? उनके पेमेन्ट देने में किस ओर से गफलत रही? उसका पता लगाया जाय और, उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जानी चाहिये।

दूसरा कट मोशन मेरा, उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के सम्बन्ध में है। इसके विषय में भी कुछ क्षेत्र की समस्याओं के बारे में आपके मार्फत राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश करूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, वाली क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र है और हमेशा से पिछड़ा हुआ है। राज्य सरकार ने बजट में जो स्कूलें उस क्षेत्र में खोलने की घोषणायें की थीं, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, आज इतना अरसा हो गया है वहां स्कूलें बन्द ही पड़ी हैं। वहां पर अभी तक अध्यापक ही नहीं पहुंचे हैं। आप जरा सोचिये उपाध्यक्ष महोदय, कि बिना अध्यापकों के स्कूलें कैसे चलेंगी? बच्चे किनसे पढ़ेंगे? आज अकेली वाली पंचायत समिति में जो प्राथमिक पाठशालायें हैं, उनमें 32 अध्यापकों की कमी है। नाममात्र को स्कूलें खोलने की घोषणायें हुई हैं। इन्सपेक्टर्स आफ स्कूल्स से मिलते हैं तो वे डाईरेक्टर साहब का नाम बता देते हैं। हम बार बार इन्सपेक्टर्स आफ स्कूल्स को

(श्री मोहनराज)

लिखते हैं, डाईरेक्टर आफ एजूकेशन को लिखते हैं कि अध्यापकों की पूर्ति करके भिजवाने की कृपा करें। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल से अब तो फरवरी का महीना आ गया है और सत्र की समाप्ति का वक्त आ गया है, इसलिये अब तो जल्दी से जल्दी अध्यापकों की नियुक्ति करके वाली पंचायत समिति की प्राथमिक पाठशालाओं में भेजने की कृपा करें। मैं शिक्षा मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि आप जरा सोचिये उन स्कूलों के बच्चों की हालत पढ़ाई की क्या होगी जहां पर फरवरी तक अध्यापक ही उपलब्ध नहीं हो।

इसके लिये मैं एक बात और शिक्षा मन्त्री से निवेदन करूंगा कि हमारे आदिवासी क्षेत्रों में जहां कि ग्रासिया जाति के लोग अधिक हैं उनका रहन सहन और दूसरी स्थितियां दूसरी जगह से भिन्न हैं। अतः वहां पर 8–9 प्राथमिक शालायें चल रही हैं वहां पर आप जिस किसी अध्यापक को नियुक्त करके भेजते हैं तो वह दो चार दिन तो रहता है फिर वहां से चला जाता है और वापिस ही नहीं आता है। उसका कारण वहां की स्थिति ही अलग है। तो मेरा आपके माध्यम से राज्य सरकार से यह अनुरोध है कि वहां पर ग्रासिया जाति के लोग हैं उसी क्षेत्र के जो पढ़े लिखे लोग हैं, इसमें कुछ बी. ए. और मैट्रिक पास भी हैं उन्हें वहां पर अध्यापक बना दिया जाय ताकि इस स्थिति की पुनरावृति नहीं हो आप जिन्हें नियुक्त करके भेजें और वो दो चार दिन से ज्यादा नहीं टिकें इसके लिये भी मैंने कुछ समय पहले एजूकेशन डिपार्टमेंट के जो डाईरेक्टर साहब थे उन्हें लिखा था। वे श्री एल.एन. गुप्ता साहब थे, वे मेरी राय से सहमत भी थे क्योंकि वे पहले पाली जिले के कलेक्टर रह चुके थे इसलिये उनको सारी परिस्थितियां मालूम थीं। उन्होंने एक नोट इस बारे में राज्य सरकार को भेजा कि इस क्षेत्र में जो स्कूलें हैं वहां ग्रासिया जाति के लोगों को ही एपाइन्ट कर दिया जाय, उसमें इस बात का उल्लेख किया है। हालांकि ग्रासिया जाति के लोग, जो बी.ए. पास भी हैं, पर वे ट्रेन्ड नहीं हैं फिर भी उन्हें एपाइन्ट कर दिया जाय और उसमें ऐसा प्रोवीजन रख दिया जाय कि वे नियुक्ति के बाद एक दो साल बाद बी.एस.टी.सी. की ट्रेनिंग लें। ऐसा करने से एक तो आदिवासी क्षेत्र के लोगों को नौकरी मिल जायेगी, दूसरे उस क्षेत्र की पाठशालायें भी चलने लग जायेंगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इसके लिये मुख्य मंत्री को भी एक पत्र लिखा और उसमें इस सारी स्थिति का अवलोकन करके यह निवेदन किया कि जिस आदिवासी क्षेत्र में गिरासिया जाति के लोग हैं वहां पर ग्रासिया जाती के लोगों को पाठशालाओं में अध्यापकों की नियुक्ति की जाय। और उनकी नियुक्ति में ऐसा प्रोवीजन रख दिया जाये उन्हें नियुक्ति के एक दो साल बाद बी.एस. टी. सी. की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। उपाध्यक्ष महोदय, उस पर मुख्य मंत्रीजी ने नोट में लिखा है कि वास्तव में आदिवासी क्षेत्र बहुत पिछड़ा रह गया वहां पर शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब के लोगों को ही लगाया जाय और उनके लिये यह प्रोवीजन रखा जाय कि नियुक्ति के बाद एक दो साल में बी.एस.टी.सी. की ट्रेनिंग ले ले। लेकिन

(श्री मोहनराज)

वे कागजात कहां गये पता ही नहीं। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत राज्य सरकार से यह निवेदन करूंगा कि आप अगर सही माने में विकास आदिवासी क्षेत्र का करना चाहते हैं तो मैंने जो सुझाव दिये हैं उस मुताबिक कार्य करें तो राज्य सरकार का जो उद्देश्य है, पूरा हो सकता है।

तीसरा कट मोशन मैंने रखा है वह उपाध्यक्ष महोदय, सड़कों के लिये है। इसके लिये मैं आपके मारफत राज्य सरकार का ध्यान उन सड़कों की ओर विशेष तौर से आकृष्ट करने की कोशिश करूंगा कि जो कार्य अधूरे रह गये थे उन्हें पूरा कराया जाय। हमने बार बार मांग की पर राज्य सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। जिसमें एक सड़क तो सादड़ी से पिन्डवाड़ा की, दूसरी सड़क अरावली सड़क बनायी जाय जो कि सादड़ी से आबू रोड, अहमदाबाद, रनकपुर होती हुई उदयपुर को जाने के लिये। इसके पूरा करने से काफी बड़े बड़े कस्बे आपस में लिन्क हो जायेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, यह सड़क बनाने की योजना प्रथम पंच वर्षीय योजना में सेंक्शन थी लेकिन उसके बाद द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना अब खतम होने को जा रही है, और अब मेरा ख्याल है हम पंचम पंचवर्षीय योजना को शुरू करने जा रहे हैं लेकिन अभी यह सड़क पूरी नहीं हुई, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है। अगर इन योजनाओं के अन्तर्गत अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत इसे बनादो जाय तो इस क्षेत्र का काफी विकास हो सकता है। और स्थायी काम हो सकता है। लेकिन खेद है आज तक इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया और इसे हमेशा नेगलेक्ट किया गया। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री महोदय से आपके मार्फत निवेदन करूंगा कि इन सड़कों को पंचम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हाथ में लेकर जल्दी से जल्दी पूरा किया जाय। इसके अलावा मेरा एक कटमोशन है वह है, उपाध्यक्ष महोदय, जन स्वास्थ्य विभाग की मांगों के बारे में। इसके अन्दर मुख्य बात यह है कि हमारे यहां अभी पिछले चार पांच सालों से भयंकर अकाल पड़ रहा है। इसके लिये मैं बाली की जल प्रदाय योजना की तरफ जल प्रदाय मंत्री का ध्यान आकृष्ट करूंगा और निवेदन करूंगा कि हमारे यहां अकाल के कारण जो जल प्रदाय के कुए हैं, उनका पानी सूख गया है इसलिए हम दूसरे आसपास के किसानों के कुओं को लेते हैं किराये पर और बाली कस्बे की जल समस्या की पूर्ति उनसे पानी लेकर करते हैं। लेकिन किन्हीं कारणों से उनमें भी अब पानी सूख गया है। हो सकता है पानी बरसने की वजह से हो या उन कुओं में पानी की कमी आ गयी हो। इसलिये हमने जल प्रदाय योजना के कुओं को गहरा कराया और खुश किस्मती से उनमें से पानी आने लग गया। हमने सोचा चलो इससे काम चल जायेगा। लेकिन वहां की स्थिति भी खराब हो गयी और बाली शहर में जनता को वापिस पानी की कमी हो गयी है। हमने वहां पर जाकर जल प्रदाय योजना के ओवरसियर से निवेदन किया कि सही स्थिति क्या है पर कुछ भी पता नहीं लगा। बाद में एक दिन हमारे बाली कस्बे के जो युवक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बताया कि जल प्रदाय

(श्री मोहनराज)

योजना की जो पम्प लाइन टंकी से आ रही है उसके और शहर के बीच में एक खेत आया हुआ है, जिसमें गेहूं बोया हुआ है और वह खेत लहलहा रहा है, कारण देखने पर पता लगा कि पाइप लाइन बीच में ही टूटी हुई है, जिससे कि उस खेत को सिंचाई हो रही है और गेहूं का खेत लहलहा रहा है और खेत हरा भरा हो रहा था। जब इस बात की सूचना वहां के ओवरसियर को दी गयी तो उसने कहा कि मैं इसके लिए पुलिस को रिपोर्ट करूंगा और सब मामला ठीक हो जायेगा और बाद में पाइप लाइन को भी ठीक करवा दूंगा जिससे कि पानी की सुविधा ठीक हो जाएगी। लेकिन काफी दिन बीत जाने के बाद भी न तो कोई कार्यवाही पुलिस में की गयी और न ही वहां से एस. डी.ओ. के पास कोई इत्तिला ही दी गयी और न पाइप लाइन ठीक हुई। तो उसके बाद में बाली से तीन चार मील दूर ही फालना पड़ता है, वहां पर जल प्रदाय योजना के ए.ई.एन. और एक्स.ई.एन का आफिस हैं, उन्हें इत्तिला दी। तीन चार दिन बाद बड़े खेद की बात है, उपाध्यक्ष महोदय, जल प्रदाय योजना के ए.ई.एन. साहब ने इस बात की अनभिज्ञता प्रकट की। सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि इस महत्वपूर्ण घटना के बारे में सारे बाली कस्बे में चर्चा थी लेकिन बाली से तीन चार मील दूर बैठा हुआ ए.ई.एन. इस घटना से अपनी अनभिज्ञता प्रगट करे। उसने कहा क्या ऐसी कोई घटना हुई है? उन्होंने भी कोई दिलचस्पी इस बात की ओर नहीं दिखायी। होना तो यही चाहिये था कि वह खुद तुरन्त मौके पर जाकर इस सारी घटना का पता लगाता और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ एक्शन लेता। लेकिन सबकी मिलीभगत है अतः मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके मारफत राज्य के जल प्रदाय मन्त्री से निवेदन करूंगा कि इस सारी घटना के लिए कौन जिम्मेदार है, उसकी इन्क्वायरी कराकर दोषी व्यक्ति को सजा दिलवाने की कृपा करें। वहां जनता में बहुत ही असन्तोष है इस घटना से कि मौके पर जो ओवरसीयर और दूसरे कर्मचारी हैं वे लोगों को बिना पानी के रख कर अपने स्वार्थ के लिए खेती को पानी दे देते हैं। इसका एस. डी. एम. से जिक्र किया। उन्होंने जांच पड़ताल की। वे भी कहने लगे कि बिना इन कर्मचारियों की मिली भगत के काश्तकार ऐसा नहीं कर सकते।

मैं जब यहां विधान सभा में शरीक होने के लिए आया तो मुख्य अभियन्ता जल प्रदाय विभाग यहां थे तो मैंने उनसे निवेदन किया कि पानी में ऐसी घटना हुई है और लोगों में इसको लेकर बड़ा असन्तोष है इसलिए इस तरह का महा पाप करने वाले, जो कर्मचारी हैं उनको वहां से तत्काल हटाया जाय और दोषी लोगों को दंड दिया जाय। कहा, टेलीफोन से सूचित करूंगा। छुट्टी थी, इतवार था, मैं पासी गया और एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर वाटर वर्क्स से मैंने इसका जिक्र किया कि क्या कार्यवाही की, उन्होंने कहा कि कार्यवाही करना बेकार है। हल तो होता नहीं यह। पाइप रिप्लेस कर दिया है, ठीक कर दिया है। इस प्रकार यदि गम्भीर मामलों में भी लापरवाही बरती जावेगी और जन जीवन के साथ इस प्रकार से खिलवाड की जायगी तो एक बड़ी शोच-

(श्री मोहन राज)

नीय हालत हो जावेगी । इसको गम्भीरता से लेना चाहिये था । गांवों में काम करने वाले कर्मचारियों पर सतर्कता रखें और दोषी अधिकारियों को दंडित करना चाहिये । वरना होगा क्या कि बड़ी से बड़ी घटना पर भी दोषी लोगों को दंड नहीं दिया जावेगा । मुझे अपने कट मोशन द्वारा यही निवेदन करना है कि इस पर विभाग सोचेगा और दोषी लोगों को दण्ड देगा ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मनोहरलाल ।

श्री मनोहरलाल (कामां) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी हाल ही में सिंचाई मन्त्री जी कह रहे थे कि एक लाख का काम हो और 3 लाख का घपला कैसे हो गया । मैं विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मन्त्रीजी को यह अच्छी तरह से मालूम है कि कामां तहसील में और डीग तहसील में गुड़गांव केनाल का निर्माण हो रहा है । गुड़गांव केनाल को राजस्थान सरकार ने कहीं से भी केन्द्रीय सरकार से लेकर या अपने बजट से उस पर लगभग 1½ करोड़ रुपया खर्च किया । और यह खर्च होने के बाद केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार यह कहती है कि यह गुड़गांव केनाल, जो करीब 2/3 बन चुकी है, आज उसके बारे में यह कहा जाता है कि यह गुड़गांव केनाल के लिये तो पानी नहीं है, इसको बिला वजह बनाया गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय, 67–68, 66–67 और 65–66 की अतिरिक्त डिमान्ड्स का जहां तक सवाल है मैं उस सिलसिले में निवेदन कर रहा हूं कि 65-66 के एक्सेसिव खर्चे को नियमित कराने के लिये सदन के सामने वित्त मंत्री महोदय उपस्थित हुए हैं । मैं निवेदन कर दूं कि गुड़गांव केनाल में 1½ करोड़ रुपया खर्च हुआ । आज सरकार इस नतीजे पर पहुंची है कि इसको बन्द कर दिया जाय क्योंकि पानी नहीं है । गुड़गांव केनाल का भविष्य क्या है ? जहां 65–66 का खर्चा रेगुलेराइज कराना चाहते हैं वहां यह बताने का कष्ट करें कि 1½ करोड़ रुपया बर्बाद क्यों किया गया और उसके बाद आगे की योजना क्या है ?

जहां तक 1 लाख से 3 लाख खर्च करने की बात है मैं मिसाल दूं, वित्त मंत्री जी राजस्व मंत्री जी, सिंचाई मंत्री जी कामां पधारे । उनके सामने प्रश्न आया, 1 लाख 80 हजार का काम था, 3 लाख 80 हजार का ओवर पेमेंट हो गया, अधिकारी सब जानते हैं । मंत्री महोदय सब जानते हैं । आज तक चुप हैं । अभी मंत्री महोदय कह रहे थे कि 3 लाख का कैसे घपला हो गया ? गुड़गांव केनाल में 1.80 हजार का काम हुआ और 3 लाख 80 हजार का पेमेंट हुआ । दो लाख का ओवर पेमेन्ट हुआ उसका आज तक कोई जवाब नहीं ।

एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर थे । उन्होंने राख खरीदी । 5 रुपये 30 पैसे बोरे से राख खरीदी । ट्रकों पर लाया जा सकता था लेकिन नहीं लाया गया । 1 रुपये का बोरा खरीदा । राख फरीदाबाद से कामां लायी गयी । टेक्निशियन्स ने उसको

(श्री मनोहर लाल)

रिजेक्ट कर दिया। आज भी वह कामां में पड़ी हुई है। हर साल उनकी गिनती होती है और गिनती के दो हजार रुपया और किराया हर महीने 200 रुपया दिया जाता है। इस प्रकार के गबन और घोटाले राजस्थान के बजट के साथ किये जाते हैं। 5 हजार बोरे, वे सब फट चुके हैं और गल चुके हैं। बोरों की गिनती होती है, 2 हजार रुपया साल गिनती में दिया जाता है और 200 रुपया महीना किराया दिया जाता है। इसकी जांच होनी चाहिये। हमने मांग की। गुड़गांव केनाल में मिट्टी खोदी, गरीब लोग मारे जा रहे हैं। हजारों बीघा काश्तकारों की जमीन में गड़बड़ी की, सतपरा, कामां आदि के काश्तकार आज रोते फिर रहे हैं। अधिकारियों ने मिल कर मुआवजा उठा लिया और खा गये और आज तक काश्तकार तड़प रहे हैं। हमने मांग की थी कि केनाल मत बनाओ। बांध बनाओ लेकिन नहीं। छैनपुरी फुलेरा में बांध नहीं बनाया। खोरा बांध पन्ना, सुनेरा, लाड़पुरा में स्कोप होते हुए भी बांध नहीं बनाया। मैं सिंचाई मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि कोयला के बांध से कितना आबयाना वसूल हुआ, कितनी जमीन सिंचित हुई? 3 लाख रुपया लगा एक इंच भी इससे सिंचायी नहीं। एक पैसा आबयाना का नहीं। किसने कराया यह? इसकी जांच होनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं क्या कोई सिंचायी की इन्कम है क्या? मेरी किसी व्यक्ति से कोई रंजिश नहीं है क्योंकि मेरे कहने से आपके मन में दूसरी बात हो सकती है इसलिए कहना चाहता हूं कि मेरी किसी व्यक्ति विशेष से कोई शिकायत नहीं, कोई रंजिश नहीं आपको एक पैसा भी आबयाना का मिला हो, उसमें पानी हो और एक इंच भी सिंचायी हुई हो तो विधान सभा से इस्तीफा देने के लिये तैयार हूं आप जांच कराइये। मैं राजनीति की दृष्टि से भी नहीं कह रहा हूँ। हकीकत कह रहा हूं। आपने बांध खोपरा के करीब नहीं बनाया। भंवरपुरी के पास बान्ध बनाना लाभकारी था, आपने वहां नहीं बनाया। खोपरा में बनाया जिसके पीछे राजनैतिक कारण थे। आपने बरोली धाऊ, सुनहरा, पल्ला में बान्ध नहीं बनाया, जहां बनाने से काश्तकारों को लाभ हो सकता था। आपने तो किसानों को लूटने के लिए उनको उजाड़ने के लिये खोपरा में बान्ध बनाया। एक करोड़ रुपया खर्च करने के बाद भी जब उससे कोई लाभ नजर नहीं आया तो राजबहादुरजी कहते हैं कि वहां पानी नहीं है, इस योजना को बन्द करो। तो मेरा निवेदन करना यह है कि इस तरह के बान्धों की खुली जांच होनी चाहिये। घोलेट से घाटमी को होकर, भौरों का नाला बान्ध बनाते तो वह इलाका हराभरा बनता, पर आपको उनकी खुशहाली स्वीकार नहीं थी, आपको तो अपने घर भरने थे। अपना राजनैतिक स्वार्थ पूरा करना था। इसके लिए खास तौर से अर्ज है कि जिन लोगों ने इनमें घोटाले किये हैं। आज से चार पांच दिन पहले बोरे खरीदना शुरू कर दिये। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज से ही इसकी जांच शुरू हो जानी चाहिये, नहीं तो आगे जांच करना भी कठिन हो जावेगा।

(श्री मनोहर लाल)

भरतपुर जिले में, उपाध्यक्ष महोदय, जानबूझ कर इस तरह से पक्षपातपूर्ण बर्ताव किया जाता है क्योंकि यहां का कोई मिनिस्टर नहीं है। इसके लिए वे लोग कहते हैं कि भरतपुर के लोग ग्राम तौर से कांग्रेस के खिलाफ जाते हैं।

पाली से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि वहां पंचायत समितियों के स्कूल अध्यापकों के बिना खाली पड़े हैं। वहां अध्यापक नहीं जाते। यह नहीं कि वहां विद्यार्थी नहीं हैं इसलिए अध्यापक नहीं जाते बल्कि इस काम में दिक्कतें अधिक हैं तो कोई वहां जाना पसन्द नहीं करता। पर भरतपुर के लोगों से सरकार को गुस्सा है इसलिये जहां कोई नहीं जाता वहां भरतपुर के लोगों को जबर्दस्ती भेजा जाता है। भरतपुर के लोगों के साथ भेदभाव होता है, अन्याय होता है। जयपुर का रहने वाला आई. ए. एस. अधिकारी हो या आर. ए. एस. अधिकारी हो अथवा आई. पी. एस. और आर. पी. एस. हो जयपुर में ही रहने का अवसर पा जाता है, जब कि भरतपुर के ग्राम सेवक, चपरासी और अध्यापकों तक को भरतपुर के आस पास में भेजना दूर, उनको तो दूर दूर जैसलमेर, बाड़मेर, पाली जैसे दूर, इलाकों में भेजा जाता है। आज दस दस सालों से भरतपुर के लोग वहां पड़े हैं। बीकानेर में पड़े हैं। वित्त मंत्री को तो आराम है। दिक्कत नहीं है, बड़े आदमी हैं। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भरतपुर के उस गरीब अध्यापक, चपरासी ने और दूसरे छोटे छोटे कर्मचारियों ने क्या पाप किया है कि उनको जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर जैसे दूरस्थ भागों में भेजा जाता है पर उधर के लोगों को इधर नहीं आने देते। जयपुर के लोगों को जयपुर से बाहर नहीं भेजते, यही हाल बीकानेर, जोधपुर और उदयपुर का है। भरतपुर के लोग उधर जाकर बीमार पड़ते हैं, वहां की जलवायु उनके अनुकूल नहीं पड़ती, बोली नहीं जानते उधर की, पानी पूरा नहीं मिलता पीने का जहां, ऐसी जगहों पर आप उनको भेजते हैं। तो इस तरह से भरतपुर के अधिकारियों को ही नहीं, छोटे छोटे कर्मचारियों को जानबूझ कर परेशान किया जाता है। और नतीजा यह है कि पिछले साल जो पैसा भरतपुर में गलत कामों में गलत तरीके से खर्च किया, उस पर सदन की मोहर लगवाना चाहते हैं। जो सड़कें मन्जूरशुदा हैं, वे तक नहीं बनाई गई। अधूरी पड़ी हैं। नालावे की सड़क है, वह नहीं बनाई गई जो बहुत जरूरी है। मैं यह सब इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि हमारे इलाके से लगता हुआ हरियाणा का इलाका है दिल्ली पास लगती है, दिल्ली जाते हैं, हरियाणा जाते हैं तो वहां सड़कें अच्छी हैं अपनी सरसों आदि की उपज वे उधर ले जाते हैं। हरियाणा में गांव गांव में सड़कें मिलेंगी, दिल्ली में मिलेंगी। पर भरतपुर में मन्जूरशुदा सड़कें सरकार नहीं बनाती।

इसके साथ ही वदतमीजी एक और है। 22 लाख रुपया इस महीने में भरतपुर जिले में नसबन्दी के नाम पर खर्च किया जा रहा है। हमारी संस्कृति और धर्म को बिगाड़ा जा रहा है। राजनैतिक साजिशें की जा रही हैं। हमारे नेता रूस से मिले

(श्री मनोहर लाल)

हुए है। रूस को साजिश पर इस देश की जनसंख्या को कम करना चाह रहे हैं। मैं मिसाल देकर निवेदन करना चाहता हूं कि रूस अमेरिका जानते हैं कि चूंकि भारत में सूरमा लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है इसलिए एक दिन ऐसा आवेगा कि दुनिया में हमारा बोलबाला खत्म हो जावेगा, भारत एक बहुत बड़ी शक्ति बनकर आ जावेगा इसलिए उसकी इस शक्ति को समाप्त कर दो। उसकी शक्ति का कारण वहां की आबादी की अधिकता है तो वहां की आबादी को कम कर दो। वे चीन से भी इसीलिए घबराते हैं कि वहां की जनसंख्या बहुत है और बढ़ती ही जा रही है। आज ये देश यह भी देख रहे हैं कि इस जनसंख्या के होते हुए भी भारत पाकिस्तान को बराबर पीटता जा रहा है इसलिये इसकी जनसंख्या घटे ऐसा करो।

रूस हमें नसबन्दी की बात कहता है, जब कि उसके यहां नहीं है। अमेरिका में नहीं है। रूस में संविधान में आर्टिकल 129 है, जिसमें लिखा है कि जो ज्यादा बच्चे पैदा करेगा उसे ज्यादा से ज्यादा इनाम मिलेगा। यहां तक है कि क्वांरी माताएं तक जितने बच्चे पैदा करेंगी उनको ज्यादा काम मिलेगा और ये रूस की पिट्ठू सरकार के लोग भारत में जनसंख्या कम करना चाहते हैं। अमेरिका में नसबन्दी समाप्त कर दी गई है।

श्री मोहनराज : क्या हिन्दुस्तान के लिये भी आप क्वांरी माताओं की बात सोच रहे हैं ?

श्री मनोहरलाल : आप घबरा रहे हैं। परिवर्तन से घबराते हैं। 22 लाख रुपया भरतपुर में आज खर्च हो रहा है। सारा सरकारी अमला इसमें लगा है। स्कूल के छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां आज नसबन्दी के गीत गावें इसके लिये तैयार किये जा रहे हैं। औरतों, बच्चों, बच्चियों को ये गलत गीत सिखाये जा रहे हैं, गन्दी आदतें उनको सिखाई जा रही हैं। सरकारी अधिकारी, पटवारी, तहसीलदार, कलेक्टर और सारे डाक्टर और अधिकारीगण गांव गांव जाकर बच्चे कम पैदा करने की बात कह रहे हैं। आज औरतें, बच्चे उनको किस तरह की गालियां देते हैं और किस तरह से उन लोगों से चमकते हैं मैं बयान नहीं कर सकता। मुझे उन शब्दों को यहां दोहराते शर्म महसूस होती है। अध्यापक, पटवारी मजबूर किये जा रहे हैं कि अगर आपने बीस आदमी नहीं पकड़वाये नसबन्दी के लिये तो आपका यहां से ट्रांसफर कर दिया जावेगा। नोटिस तक मिल चुके हैं इस तरह के कि सस्पेण्ड कर दिये जा सकते हो। अगर आप चाहें तो उनको मैं सदन में पेश कर सकता हूं।

मैं कहता हूं आप ऐसा क्यों कर रहे हैं ? आप हमारी ग्रोथ क्यों रोक रहे हैं।

श्री जयकिशन लाल (तोसावड़ा): आपका नाम उनकी लिस्ट में है कि नहीं ? नस कटवाने में आपका नाम है कि नहीं ?

श्री मनोहर लाल : आप सुनिये। रूस अमेरिका में 2.5 पर्सेन्ट आबादी बढ़ रही है। नसबन्दी के बावजूद हमारी ग्रोथ

(श्री मनोहर लाल)

भी इतनी ही है। आप ध्यान करें कि अमेरिका और रूस हमारी ग्रोथ नहीं चाहते। अब आप अगर यह कहें कि इतनी आबादी को कहां से खिलावेंगे तो मैं निश्चित आंकड़ों के आधार पर आपको कनविंस करा सकता हूं कि राजस्थान में अगर पानी का प्रबन्ध कर दिया जाय, राजस्थान नहर ला दी जाय, सिंचाई के साधन दे दिये जावें तो अकेला राजस्थान 20 करोड़ की आबादी को खिला पिला सकता है। अगर आप हिसाब नहीं जानते तो मुझ से पूछ लें। मैं बता दूंगा।

आप चाहते तो इन बीस बाईस लाख रुपयों से चार ट्यूब वेल वहां खुदा सकते थे। भरतपुर, कामां, डीग में अनाज की पैदावार बढ़ा सकते थे। 25·30 हजार लोगों के लिये सिंचाई के साधन बढ़ा सकते थे।

पर आप तो रूस के चक्कर में पड़े हुए हो। इससे आप क्या कहना चाहते हैं कि पांच हजार आदमियों की नसबन्दी कर दो। गांव गाव में आप यह बदतमीजी फैला रहे हैं। औरतें जो आपके बारे में कहती हैं वह मैं शब्दों में यहां जाहिर नही कर सकता। वे यहां तक कहती हैं ×कि अधिकारियों और आपके ही कार्यकर्ताओं को वहां गालियां पड़ती हैं, उनकी हालत गांवों में बुरी कर रहे हैं लोग।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, ये शब्द कार्यवाही में से एक्सपन्ज किये जायं।

श्री मनोहरलाल : ये शब्द निकलवा दिये जावें।

श्री उपाध्यक्ष : निकलवा दिये गये हैं।

(शोरगुल अश्रव्य)

श्री मनोहर लाल : इसके सोशल कारण भी हैं। रूस, अमेरिका देखते हैं कि भारत में बुद्धिमान लोग अधिक हैं। विद्वान वहां बहुत पैदा होते हैं। उनका संसार में किसी से मुकाबला नहीं किया जा सकता। इसलिये उनकी उत्पत्ति को भी कम करो। नतीजा इसका यह होगा कि भारत रूस अमेरिका का वर्चस्व बना रहेगा और हम उनके पिछलग्गू होकर रह जावेंगे। मैं हर समाजवादी को इस बात के लिये चुनौती देता हूं। चिकित्सा शास्त्री को भी चुनौती देता हूं और यह वैज्ञानिक आधार पर कहना चाहता हूं कि हर इश्यू के बाद दूसरी तीसरी जो सन्तान होती है वह अधिक बुद्धिमान होती हैं। अच्छे इन्टेलीजेन्ट होते हैं। तीन इश्यू डल होते हैं, चौथा इश्यू इन्टेलीजेन्ट होता है। मैंने आंकड़े इकट्ठे किये हैं...

एक माननीय सदस्य : आप कौनसे में हैं?

श्री मनोहर लाल : यह इतिहास जानता है, यह हमारी संस्कृति जानती है, यह धर्म जानता है, गांधीजी चौथे इश्यू थे। अगर उस समय नसबन्दी होती तो महात्मा गांधी पैदा नहीं होते··

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अभिव्यक्ति निकाली गयी।

(श्री मनोहर लाल)

भरतपुर के महाराजा श्री जवाहर सिंहजी पांचवे इश्यू थे जिन्होंने मुगलों के छक्के छुड़ाये। आप नसबन्दी से अच्छी संस्कृति को मिटाना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण आठवें इश्यू थे, पान्डव पांचवें इश्यू थे

(व्यवधान, अश्रव्य)

भरतपुर के महाराजा जवाहर सिंह जी पांचवें इश्यू थे जिन्होंने मुगलों के छक्के छुड़ा दिये..

(माननीय सदस्यों के हंसने पर)

आप हंस ले, आप अपने कर्मों पर कुछ नहीं कर सकते लेकिन समय दिखायेगा कि हमने इस देश की अच्छी संस्कृति को रोक कर कितना बड़ा पाप किया है, कितनी बड़ी इस देश के साथ गद्दारी की है। आप आज जनता को खाना नहीं खिला सकते, रोटी नहीं दे सकते, आप कपड़ा नहीं दे सकते हैं, आप मरीज को दवा नहीं दे सकते हैं, और फिर समाजवाद का कोरा ढोल पीटते हैं—शराब बन्दी आप नहीं कर सकते फिर आप समाजवाद की क्या चीज कर सकते हैं? आज नसबन्दी में पटवारी, तहसीलदार, एस. डी. ओ., कलेक्टर सबके सब लगे हुये हैं और सारा काम ठप्प हो रहा है और ऐसे निकम्मे बजट के लिये इस सदन में मांग की जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, भरतपुर जिले में इस नसबन्दी के चक्कर में आज परीक्षाओं के समय में कांग्रेसी लोग चिल्लाते हैं अध्यापक परीक्षाओं के समय हड़ताल करते हैं, लेकिन आज डेढ़ महीने से भरतपुर जिले में सारे टीचर्स और पटवारी नस कटवाने में लगे हुये हैं और बच्चे स्कूलों से वाहियात घूम रहे हैं। नतीजा यह होगा सब फेल होंगे। बच्चे दिन भर सड़कों पर घूमते फिरते हैं, दिन भर जंगलों में घूमते फिरते हैं। शायद यह आपको मालूम होगा राज्य सरकार का काम चल रहा है कलेक्टर साहब उनके इनचार्ज हैं। सारा काम ठप्प हो रहा है। हमारे स्कूलों के सारे बच्चे आवारा घूम रहे हैं। कोई पढ़ाने वाला स्कूल में नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, विशेष ध्यान रखते हुये मंत्री महोदय अपना बजट पेश करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अजीतसिंह।

श्री अजीतसिंह (टोंक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सामने आज अतिरेक मांगें देने का प्रश्न सामने आया है। इसके बारे में मुझे निवेदन करना है। एक आइटम है 31, जिसमें 67 भारतीय नरेशों के निजी व्यय तथा भत्ते दिये गये हैं। इसमें नवाब टोंक के सम्बन्धियों आदि के पिछले कुछ वर्षों से रुके हुये खान पान के मामलों के फलस्वरूप बकाया भुगतान की स्वीकृति 67,421 रु. अधिक व्यय हुआ, इसकी स्वीकृति मांगी गई है।

श्रीमान उपाध्यक्ष महोदय, यह जितना भी खर्चा हुआ है राज्य सरकार ने किया है यह बहुत ही गलत ढंग से, अनियमिततायें बरतते हुये हुआ है और इसको सदन में प्रस्तुत किया गया है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा इसकी स्वीकृति न दी जाय क्योंकि यह अनियमित और गलत ढंग का खर्चा है। इस पर विचार करके निर्णय लिया

(श्री अजीत सिंह)
जाय, तभी स्वीकृत किया जाय। यह बहुत ही गलत खर्च हुआ है, ऐसा मेरा निवेदन है।

दूसरा 69 में हमारे टौंक में 220 गज में सड़क बनाई सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से। उपाध्यक्ष महोदय, एक लाख खर्च किया है। बहुत मना किया, इसकी जरूरत नहीं है किन्तु न मालूम किन कारणों से यह सड़क बनाई गई जो 6 फुट ऊंची बनाई गई है, इससे सारे कच्चे मकान गिर गये। फिर हमने भागा दौड़ी की और खूब अर्ज करने के बाद इसको बंद किया। इस तरह अनियमित खर्च यह सार्वजनिक निर्माण विभाग करता रहता है और फिर सदन में इस की मंजूरी लेने हाजिर हो जाते हैं। इन पर कन्ट्रोल क्यों नहीं करते, यह समझ में नहीं बैठता है? यह डिपार्टमेंट अनावश्यक रूप से खर्चा करता है। जहां खर्चा करना चाहिये वहां तो खर्चा करता नहीं है और जहां खर्चा नहीं करना चाहिये, वहां खर्चा करता है और गलत ढंग से करता है और फिर गलत ढंग से डिमाण्ड लेकर सदन में उपस्थित होते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है इस डिपार्टमेंट को यह जो राशि मांगी है वह न दी जाय।

दूसरा मेरा निवेदन अकाल राहत मंत्री जी से है, बात हमारे टौंक जिले की है क्योंकि मैं ज्यादा जानकारी वहीं की रखता हूं। वहां पर कंकर कुटवाये, पत्थर कुटवाये, रोड़ी कुटवाई और अकाल राहत का काम शुरू हो जाता है, लेकिन ज्योंही अकाल खत्म होता है वहां की सारी एक्टिविटी खत्म हो जाती है और जितने पत्थर कंकर वगैरह होते हैं वह ज्यों के ज्यों रह जाते हैं। हजारों मन कंकर, पत्थर खोदे गये, उसका ठेका एक ठेकेदार को दे दिया गया। अब उसने खोदे हुये कंकर, पत्थर उठाने नहीं दिये। लाखों रुपयों की जो मजदूरी लगी वह बेकार गई और जो कंकर खोदे हुये थे वह सड़क पर नहीं गिराये गये। आज भी जो ठेकेदार है वह उनको लिये हुये बैठा है। अकाल के अन्दर काम होता है लेकिन पत्थरों को और कंकरों को ठेकेदार लोग उठा उठा कर ले जाते हैं और धन का बड़ा भारी दुरुपयोग होता है।

यह ठीक है, अबके जो व्यवस्था की गई है उसमें यह की गई है कि भ्रष्टाचार न हो लेकिन गये वक्त इतना भ्रष्टाचार हुआ था उसका कोई कहना ही नहीं है। अब भी जो माल पड़ा है, उसको उठा उठा कर ले जाते हैं। चन्दलाई और नैनवास में जो सड़कों पर काम हो रहा है, वहां पर पत्थरों को और कंकरों को उठा उठा कर ले जा रहे हैं और जो अकाल में सड़कें बनी थीं उनका कोई मालिक नहीं है। अकाल खत्म हो जाता है तो काम भी बन्द हो जाता है। आखिर काम को पूरे करने की कोई व्यवस्था तो होनी चाहिये। जो सरकार की प्रापर्टी है, कोई तो उसको सम्भालें लेकिन कोई तवज्जह नहीं दी जाती है। लोग उठा उठा कर काम में ले लेते हैं। मेरा निवेदन है, जो डिमान्ड आ रही है, उसके अन्दर स्वीकृति न दी जाय।

दूसरा मेरा निवेदन है भरतपुर में 500 अध्यापक हैं जो विशारद हैं, उनको मैट्रिक

(श्री अजीत सिंह)

के बराबर मान लिया लेकिन आज तक उनको तनख्वाह नहीं दी गई है। समझ में नहीं आता अधिकारी उनकी डिमान्ड को क्यों नहीं तय कर पाते हैं। इसलिये इसके ऊपर सम्बन्धित मंत्री महोदय ध्यान देकर निपटारा करा दें।

इसी तरह वन विभाग के बारे में निवेदन है। हमारे टोंक में एक पहाड़ है, वही एरिया वन विभाग का है। उपाध्यक्ष महोदय, एक पेड़ नहीं है उस पहाड़ पर। हजारों रुपया वन विभाग के खर्च हो जाते हैं और उसका कोई नतीजा नहीं निकलता है। जो जानवर वहां आते थे, उससे भी गये। वनों को काट काट कर ले जाते हैं। तार लगाते हैं, फेन्सिंग होता है लेकिन नतीजा कुछ नहीं होता है। अगर कहीं पैसे का उपयोग हो तो लगाना भी जाय लेकिन नाजायज तरीके से खर्च करके वन सम्पदा को सुरक्षित भी नहीं रखा जाता है। उसके लिये यहां मांग रखना मेरे ख्याल से उचित नहीं है। कई बार डी. एफ. ओ. काम देखने की दृष्टि से इधर उधर करते रहते हैं और लाखों रुपया बेकार खर्च होता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इन आइटम्स पर भी विचार किया जाये।

दूसरे भूजल के सम्बन्ध में निवेदन करूंगा। हमारे यहां टोंक जिले में 6 तो ब्लास्टिंग मशीन और एक ड्रिल मशीन दे रखी है। यह 6 मशीनें हमारे टोंक के अन्दर ही काम करती हैं। उसका दफ्तर सवाई माधोपुर लगा रखा है और सवाई माधोपुर से आफिसर्स आते हैं, लाखों का खर्चा होता है उनके आने जाने में और इधर के काश्तकारों को वहां जाना पड़ता है। इस मामले में सवाई माधोपुर और टोंक को शामिल कर रखा है। सवाई माधोपुर में कोई काम नहीं होता जब कि टोंक के अन्दर सारी मशीनें काम करती थीं, अब तो हटा दी हैं लेकिन उन सालों में हमारे टोंक जिले में काफी काम था और दफ्तर सवाई माधोपुर कर दिया। मेरी समझ में नहीं आता कि काम की प्रायोरिटी को देख कर उसका दफ्तर टोंक में लगाना चाहिए था लेकिन सवाई माधोपुर कर रखा है। इससे अननेसेसरी खर्चा सरकार पर पड़ता है और काश्तकारों के ऊपर भी खर्चा पड़ता है क्योंकि उनको हर काम के लिए वहां जाना पड़ता है। मोटरें खराब हो जाती हैं तो उनको वहां आना जाना पड़ जाता है। मेरी समझ में नहीं आता है कि वहां दफ्तर का होना क्यों आवश्यक समझा। इसलिए मेरा निवेदन है कि जहां काम हो वहीं उसका दफ्तर रखें तो काश्तकारों को भी सुविधा रहे और सरकार का भी खर्चा कम आये।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से मैं निवेदन करूंगा सिंचाई विभाग के बारे में कि अकाल राहत के अन्दर हमारे यहां बांध बन रहे हैं, तालाब बन रहे हैं। उनका वहां काफी डेवलपमेंट हो गया और बड़े हो गये लेकिन सिंचाई विभाग जब तक उनको नहीं संभालेगा तब तक पंचायतें उनको नहीं संभाल सकती। लाखों रुपया हमने खर्च किया है अकाल के अन्दर लेकिन उनका कोई मालिक नहीं है। सिंचाई विभाग अपने अण्डर में लेना नहीं चाहता है और पंचायतों की सामर्थ्य है नहीं कि वह संभालें इसलिए एक बीघा भी पिलाई नहीं होती

(श्री अजीतसिंह)

है। किसी जगह मोरी नहीं है तो किसी जगह नहर नहीं है और लाखों रुपया बरबाद हुए उनका कोई मालिक नहीं बनता। इसलिए संबंधित मंत्री से निवेदन है कि ऐसे तालाब जो कि आपके दायरे में आते हैं उनको तो आप लें और उनकी व्यवस्था करें ताकि जो हमारा खर्चा हुआ है उसका सही उपयोग हो और काश्तकारों को भी उससे पानी मिले।

धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, एक्सेस ग्रान्ट्स के सिलसिले में बहुत सी बातों का जिक्र किया गया लेकिन मैं सदन का कीमती समय उन सब बातों का जवाब देने में नहीं लूंगा क्योंकि अगली 5 तारीख को सन् 1973–74 का बजट पेश होने वाला है, उस पर सामान्य वाद-विवाद चार दिन तक चलेगा, उसके बाद अलग अलग डिमाण्ड्स पर भी वाद-विवाद होगा उस समय सारी जो विभागों की बातें हैं और उनके कार्यकलाप हैं उनके बारे में माननीय सदस्यों को चर्चा करने और विचार विमर्श करने का पूरा मौका मिलेगा। उस समय जो उन विभागों से संबंधित मंत्री महोदय हैं उनको जवाब देने का भी खुला मौका मिलेगा। आज तो मैं केवल दो तीन बातों का ही जिक्र करके सदन से यह उम्मीद करूंगा कि जो आज एक्सेस डिमाण्ड्स मैंने पेश की हैं उनको हम पारित करें।

एक बात तो उठाई गई है कि एक्सेस डिमाण्ड 46 करोड़ की हैं वह सही बात नहीं है। एक्सेस डिमाण्ड 3 साल की 1966-67, 1967-68 और 1968-69 की केवल 11 करोड़ 81 लाख रुपये की है। इसमें से 1966-67 और 1968-69 की माही और भाखरा के एडजस्टमेण्ट्स जो कि हमारे हाथ की बात नहीं है, जिनका काम दूसरी स्टेट्स में हो रहा है, उनके एडजेस्टमेंट के जरिये ही केवल 1 करोड़ 40 लाख और 2 करोड़ 37 लाख है यानी 3 करोड़ 79 लाख तो केवल एडजस्टमेंट के हैं जो कि दूसरी स्टेट्स से आये हैं। 2 करोड़ 14 लाख रुपये ऐसे हैं जो रिजर्व बैंक की एडजस्टमेंट के भेजे हैं। रिजर्व बैंक से जो हमारा एडजस्टमेंट होता है उसके लिए यह नहीं कह सकते हैं कि हमने कान्ट्रेक्टर को पेमेन्ट कर दिया। तो कुल मिला कर 2 लाख रुपया डिक्री के हैं। तो इस तरह से 6 करोड़ रुपया 11 करोड़ 81 लाख में से ऐसा है कि जिसके बारे में राजस्थान सरकार का कोई कन्ट्रोल नहीं है। इसके अलावा 1966–67 और 1967–68 के 47 लाख रुपये एक्सेस हैं फेमिन के। तो 6 करोड़ 47 लाख रुपये तो ऐसा है, जिसके बारे में मैं समझता हूं कि इसके बारे में कोई एतराज नहीं हो सकता। अब 3 साल की एक्सेस ग्रान्ट अगर करीब 5 करोड़ के होती हैं तो यह ऐसी नहीं है कि जिसके लिए बहुत बड़ा उलाहना या बहुत बड़ा कसूर हमारे ऊपर निकाला जाना चाहिए।

एक बात कही उनको मैं मानता हूं कि पी. ए. सी. ने बार बार इसकी ताकीद की है कि जो भी एक्सेस ग्रान्ट है उसके बारे में जवाब दो महीने के अन्दर अन्दर ए. जी. के

(श्री चन्दनमल बेद)

मार्फत भेजें और बहुत से डिपार्टमेन्ट्स ने इसकी ताईद की। इसको मैं मानता हूं कि गलती है। फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट बराबर ताकीद करता रहता है कि डिपार्टमेन्ट्स दो महीने के अन्दर अन्दर जो एक्सेस ग्रान्ट हैं, उसके बारे में अपना एक्सप्लनेशन कि वह क्यों कि है इसके बारे ए.जी. की मार्फत पी. ए. सी. को सूचना भेजें। इसमें देरी हुई है मैं मानता हूं। हमने सरकुलर्स भी इश्यू किये हैं और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आगे से इसके बारे में और भी ताकीद करेंगे कि जो पी. ए. सी. इस तरह की सूचना मांगे जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करें।

एक बात जो शुरू में कही गयी कि 1966–67, 1967–68 और 1968–69 की हमने इतनी देरी से एक्सेस ग्रान्ट पेश की मैं उसके कारणों का पहले ही जिक्र कर चुका हूं लेकिन फिर भी मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आगे से इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि कारण चाहे कुछ भी हो लेकिन इस बात के लिए हमें लेजिस्लेचर से भी और बिजनिस एडवाजरी कमेटी से हम बराबर अनुरोध करते रहेंगे कि ज्यों ही एक्सेस ग्रान्ट्स पी. ए. सी. से क्लियर हो तो हमें अनुमति मिल जाये कि सदन के सामने पेश करें जिससे किसी के मन में शुबहा नहीं रहे कि हम किसी चीज को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर राज्य में जो भी एक एक पैसा खर्च होता है, वह विधान सभा की अनुमति से होता है, चाहे बजट के जरिये से हो, चाहे सप्लीमेन्ट्री ग्रान्ट के जरिये से हो या एक्सेस ग्रान्ट के जरिये से हो। इसलिये सदन से छिपाने का प्रश्न पैदा नहीं होता कोई देर से करें या जल्दी करें उसमें फायदा नहीं होता है इसलिए जितना जल्दी हो जाये तो वह सरकार के ही हित में ही है लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि आगे से कोशिश करेंगे कि पी. ए. सी. से ज्यों ही एक्सेस ग्रान्ट्स क्लियर हो जायें, वह सदन में पेश हो जाये। एक्सेस ग्रान्ट्स को रोकना किसी के बस की बात नहीं है. वह होगी लेकिन उसको जितना जल्दी हम यहां से क्लियर करा सकें उतना जल्दी क्लियर कराने की को कोशिश करेंगे।

इसके अलावा दो तीन मुद्दे ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाये हैं एक बहुत अहम मसला है वे यह चाहते हैं कि जितनी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन्स हैं एजूकेशन की उनका राष्ट्रीकरण कर दिया जावे। गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी, जो टीचर्स का एजीटेशन हुआ और उस समय मैंने स्टेटमेंट दिया था तो उस समय उन्होंने इस बात का जिक्र किया था और कहा था कि इसके बारे में सरकार एक मंतव्य क्यों नहीं बना लेती कि जितनी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन्स हैं उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जावे या नहीं कर दिया जावे।

हर चीज का इलाज राष्ट्रीकरण नहीं है। मैं मानता हूं इस बात को कि कुछ प्राईवेट इंस्टीट्यूशन्स खराब हो सकती हैं। कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन्स ऐसी भी हो सकती हैं जो कि अपने टीचर्स को, हमसे तो पूरा अनुदान ले ले और अपने

(श्री चन्दनमल बैद)

अध्यापकों को उस अनुदान का पूरा हिस्सा नही दे। ऐसा हो सकता है लेकिन केवल इस वास्ते कि कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन्स खराब है उनको रोकने की हम कोशिश नहीं करें, उनको चेक नहीं करे और सारी की सारी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन्स का राष्ट्रीयकरण कर दे, मैं समझता हूं कि यह सही इलाज नहीं हैं। अगर हमारे शरीर के अन्दर कोई फोड़ा हो जाय तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम सारे शरीर को जला दें। कोशिश यह होनी चाहिए कि जो फोड़ा हुआ है उसका हम इलाज करें। हम इस बात की पूरी कोशिश कर रहे है कि ऐसी इन्स्टीट्यूशन्स का पता लगायें जो इन्स्टीटयूशन्स हमसे तो पूरा पैसा ले लेती है लेकिन अध्यापकों को पूरा पैसा नहीं देती। उसके लिए कोई तरीका अपनायें, कोई तरीका खोजें। हमने कई तरीकों का अध्ययन किया हैं। उत्तर प्रदेश और दूसरे प्रदेशों में भी तरीका अपनाया है। चैक के जरिये सीधा उन्हें अनुदान दे दें, इसका पेमेंट टीचर्स को दे दिया जाय। उत्तर प्रदेश ने इस पद्धति को अपनाया और अपनाकर छोड़ दिया। तो मैं यह सोच रहा हूं कि हमारे शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी को इस बात का पता लगाने को कुछ स्टेट में भेजा जाय कि उनके यहां क्या पद्धति है। और जो सही पद्धति दूसरी स्टेट्स में चल रही हो उनको देख कर हम भी एक पद्धति को अपनावें जिससे अध्यापकों के साथ प्राइवेट इंस्टीटयूसन्स की तरफ से जो अन्याय हो रहा है उस अन्याय को रोक सकें। लेकिन यह कहना कि सारी प्राइवेट इंस्टीटयूसन्स को बिना किसी सोच विचार के राष्ट्रीयकरण कर दिया जावे, कम से कम मैं इस राय का नहीं हूं। आज बहुत सी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन्स ऐसी हैं जो सौभाग्यवश बहुत अच्छा काम कर रही हैं और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रयोग कर रही हैं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, चाहे हमारी सरकारी शिक्षण संस्थाएं अच्छा काम कर रही हों लेकिन उसके बावजूद नतीजे के लिहाज से, क्वालिटी के लिहाज से, अनुशासन के लिहाज से अगर हम मुकाबला करें प्राईवेट इंस्टीट्यूशन्स हमारी सरकारी संस्थाओं से ज्यादा अच्छा काम रही हैं तो हम ज्यादा उनको, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन्स को प्रोत्साहन दें, उत्साहित करेंगे बजाय इसके कि हम उनका राष्ट्रीयकरण कर दें। यह नही हो सकता कि जो दो तीन चार इंस्टीट्यूशन्स खराब है उनके लिए जो अच्छा काम करती हैं उनको भी हम अलग हटा दें और आज प्राईवेट इंस्टीट्यूशन्स के द्वारा कुछ लोग जो अपनी क्षेत्रीय भावनाओं के कारण, अपने शहर की भावना के कारण अपने इलाके की भावना के कारण बिल्डिंग बना कर और दूसरे तरीके से पैसा खर्च कर रहे हैं, उससे वो मिलती है। अगर आज राजस्थान की शिक्षा का बजट 50 करोड़ का है तो ये प्राईवेट इंस्टीट्यूशन्स भी दो तीन करोड़ खर्चा करती हैं। तो उपाध्यक्ष महोदय, अगर शिक्षा के क्षेत्र में 55 करोड़, 54 करोड खर्च कर रहे हैं तो क्या बुरा काम काम कर रहे हैं। पचास करोड़ की जगह 55 करोड़ खर्च हो रहा है तो अच्छा ही काम कर रहे हैं।

दूसरी बात वालों से आने वाले माननीय सदस्य ने कही कि कुछ जगहों पर अध्यापकों की कमी है। मैं मानता हूं इस बात को कि अध्यापकों की कमी है

(श्री चन्दनमल बैद)

और वह कभी अध्यापकों की, शिक्षा विभाग के कारण से नहीं है, डवलपमेंट डिपार्टमेंट के कारण है। डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में स्टाफ भर्ती करने का जो तरीका है उसी तरीके से भर्ती कर सकते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसी तरीके को बदलें। पहले उनकी अर्जियां लेना, उसके बाद साक्षात्कार जिले के हैड क्वार्टर पर जाकर जिला प्रमुख के साथ बैठ कर साक्षात्कार में शामिल होना यह एक ऐसा लम्बा प्रोसेस है कि अगर जुलाई से शुरू किया जाय तो जाकर खत्म होता है फरवरी मार्च में। हम चाहते हैं कि इस पद्धति को बदले जिससे कि यह पद्धति साक्षात्कार करने की और इस तरीके से स्टाफ भर्ती करने की कुछ ऐसी प्रणाली हो सके कि हम शिक्षकों को जल्दी भर्ती कर सकें।

यह कहना कि हम कोई खास जिलों के साथ भेदभाव बरत रहे हैं और अलवर या भरतपुर या जयपुर के शिक्षकों को भर्ती नहीं करना चाहते हैं, यह सही नहीं है। आज अलवर, भरतपुर का जो शिक्षक है, एक तरफ वह बाड़मेर में जालोर में या सिरोही में या पाली में एक दफा तो वह अपनी नियुक्ति ले लेता है लेकिन नियुक्ति लेने के बाद पढ़ाने के लिए जाता नहीं। फिर कोशिश हमेशा इस बात को करता रहता है कि किसी तरह अलवर या भरतपुर में तबादला हो जाय। अगर अलवर में पांच सौ शिक्षकों की जगह है और अलवर के दो हजार शिक्षक सारे राजस्थान में काम कर रहे हैं तो किसी भी शिक्षा मंत्री के लिए सम्भव नहीं है कि वह इन दो हजार शिक्षकों को अलवर भेज दे या भरतपुर भेज दे। आखिर पन्द्रह सौ को तो अलवर से, भरतपुर से बाहर रहना ही पड़ेगा। हालांकि इस बात की कोशिश की है कि वह इलाके, जहां शिक्षकों की कमी है वहां कुछ क्रैश प्रोग्राम के रूप में ऐसी चीज खोली गई है कि वहीं के लोगों को लिया गया है और वहां के लोगों को भर्ती करने की कोशिश की है जिससे कम से कम वहां के जो शिक्षक होंगे वह जिले में रहेंगे और जिले के स्कूल बन्द नहीं होंगे। मैं मानता हूं कि इस साल में इस काम को शुरू में नहीं कर सके, इस कारण से कुछ स्कूलों को बन्द रहना पड़ा है। कुछ नागौर में और दूसरी जगह भी इस तरह की तकलीफ हुई है लेकिन मैं समझता हूं कि अगले साल ऐसी तकलीफ नहीं होगी। इसका इन्तजाम इसी साल से शुरू कर दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा कुछ बातें और भी कही गईं। मैं, जैसा कि पहले आपसे अर्ज कर चुका हूं, मेरा मंशा यह नहीं है कि जो कुछ भी बातें यहां कही गई हैं उन सबका जवाब दूं। लेकिन फेमिन के बारे में, अकाल के बारे में जो बातें कही गई हैं उसके बारे में थोड़ा अर्ज करना चाहूंगा। बार बार यह कहा जाता है कि आखिर हम फेमिन का कोई स्थायी हल क्यों नहीं निकालते और जब अकाल पड़ता है तब ही लोगों को काम देने के लिए क्यों भागते हैं, उसके पहले क्यों नहीं कर लेते हैं। हम चाहते हैं और कौन नहीं चाहता और खास करके मेरे जैसे आदमी जो उस इलाके से आता है जिसमें दो साल में एक फेमिन जरूर पड़ता है। हम भी यह चाहते हैं कि वहां के लोगों को राहत मिले। लेकिन

(श्री चन्दनमल बैद)

हमारे सामने समस्या यह है कि जिस इलाके में, सैकड़ों गांवों में सात सौ, आठ सौ फिट खोदने के बाद भी अगर एक लोटा पानी नहीं निकल सकता हो तो वहां कौन सी स्कीम बनाई जाय कि जिस स्कीम से लोगों को राहत मिल सके। मैंने मुख्य मंत्रीजी से निवेदन किया था कि आप फाईनेंस डिपार्टमेन्ट मुझे दे रहे हैं तो साथ में पानी का डिपार्टमेन्ट भी दीजिए ताकि मैं उस इलाके को जहां से मैं चुनकर आया हूं, वहां की पानी की तकलीफ को दूर कर सकूं, इससे कम से उस इलाके के लोगों को यह तो संतोष हो कि उन्होंने जिसको वोट दिया तो उसकी वजह से उनको पानी की तकलीफ दूर हो सके। मैंने सारी कोशिश की। अच्छा से अच्छा अण्डर ग्राउण्ड वाटर बोर्ड का स्टाफ भेजा, सात सौ आठसौ फुट तक खुदाई कराई लेकिन एक बूंद भी पानी नहीं मिल सका। एक बूंद भी पानी वहां नहीं है। जहां सैकड़ों गांवों की ऐसी हालत हो वहां हम कौन सी स्कीम चालू करें। कहना बड़ा आसान है लेकिन जब अकाल पड़ता है तब आदमी को राहत देने के लिए, मजदूरी देने के लिए हमारे पास सिवाय इसके क्या काम हो सकते हैं कि हम सड़कों का निर्माण करावें। मैं जानता हूं कि जब आंधियां चलती हैं तो जो सड़क बनती है वह उड़ जाती है और चार्ज यह लगता है कि बेईमानी की, भले ही बेईमानी नहीं की हो। आज भी जो काम हम कर रहे हैं, मुझे खुशी है इस बात की कि आज सदन इस बात की तारीफ कर रहा है कि भ्रष्टाचार कम हो रहा है, लेकिन दो साल के बाद इसी सदन में कुछ लोग खड़े होकर कहने लग जायं कि दो साल पहले फलां 2 फेमिन के काम में भ्रष्टाचार हुआ। इस वक्त भी अपनी आर्थिक स्थिति के खराब होते हुए भी हमने इस बात की कोशिश की और भारत सरकार से भी हमने यह कहा कि मैटेरियल कम्पोनेंट में चाहे थर्टी परसेंट पैसा दें, न दें, लेकिन केबिनेट से यह डिसिजन लिया कि मैटिरियल कम्पोनेंट में चाहे थर्टी पर्सेन्ट खर्चा हो, फोर्टीफाइव परसेंट खर्चा हो, 55 परसेंट खर्चा हो और पुराने अधूरे काम पर चाहे नाईन्टी परसेंट खर्चा हो, मेटिरियल कम्पोनेंट पर लेकिन काम पूरे परमानेंट होने चाहिए ताकि लोगों को मालूम हो कि फेमिन में काम पूरे किए हैं। आज अगर हमारा फेमिन पर सौ करोड़ का खर्चा होता है तो उसकी जगह भले ही 125 करोड़ का खर्चा हो लेकिन हम यह दिखाना चाहते हैं कि फेमिन में हमने कुछ परमानेंट काम किए हैं। मैं उन लोगों का स्वागत करूंगा, उन लोगों को दावत दूंगा, निमंत्रण दूंगा और जब प्लानिंग कमीशन ने कहा कि आप लोग हमेशा के लिए परमानेंट काम हाथ में क्यों नहीं लेते तो मैंने उनसे कहा कि आप टीम भेजिए जो स्टडी करके यह बताये कि डेजर्ट एरिया में क्या परमानेंट कार्य किए जा सकते हैं, क्या परमानेंट काम हो सकते हैं। कहना बड़ा आसान है, लेकिन यह बताना बड़ा मुश्किल है कि परमेनेन्ट काम क्या हो सकता है और किस तरह से हो सकता है। माननीय सदस्य, जो कल से इतनी लम्बी चौड़ी बहस कर रहे है उनसे कहना चाहता हूं कि महरबानी करके मेरे साथ बजट पास होने के बाद मेरे इलाके में

(श्री चन्दनमल बैद)
चलें और उस इलाके की हालत को देखें और मुझे बतलाएं कि वहां पर कौन से परमानेन्ट काम हो सकते हैं और कोई परमानेन्ट काम वहां पर हो सकता भी है या नहीं हो सकता है। राजस्थान का एक हिस्सा जिसमें एक करोड़ लोग रहते हैं उसको केवल इस बात के लिए छोड़ दें कि वहां पर परमानेन्ट काम नहीं हो सकते हैं। उसकी उन्नति हमें करनी पड़ेगी, उनकी प्रगति हमें करनी पड़ेगी। जिस समय पाकिस्तान का हमला हो रहा था और जोधपुर पर बम पड़ रहे थे, जैसलमेर पर बम पड रहे थे, बीकानेर पर बम पड़ रहे थे तो हम रेडियो पर सुनते थे उस समय नहीं बोले....

श्री केदारनाथ : गंगानगर को छोड़ दिया।

श्री चन्दनमल बैद : गंगानगर की ही बात मैं कह रहा हूं। जिस समय फौज की जरूरत पड़ती है तो उस इलाके में जाते हैं, उन इलाकों को खाली करवाते हैं, उस समय यह भूल जाते हैं कि किस इलाके की प्रगति हो रही है और किस इलाके की प्रगति नहीं हो रही है। राजस्थान एक है और राजस्थान एक रहेगा और जब तक हमारे दम में दम है राजस्थान को एक ही रखेंगे। राजस्थान बहुत सदियों के बाद 22-23 रियासतों को मिलाकर एक बना है। चाहे इस तरफ बैठने वाले हों या उस तरफ बैठने वाले हों, वह चाहते हैं कि अखण्ड हिन्दुस्तान हो या न हो, लेकिन राजस्थान अखण्ड रहे। यही हमारी कोशिश है होनी चाहिये और यही हमारी कोशिश है।

इन्हीं शब्दों के साथ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन से बहुत नम्रता पूर्वक यह प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो मैंने एक्सेस डिमाण्ड्स सदन के समक्ष पेश की हैं उनको पारित करें।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आर. एस. एस. के द्वारा चलाई गई संस्थाओं के बारे में आपने कुछ नहीं बताया।

श्री चन्दनमल बैद : एज्यूकेशन डिपार्टमेंट पर जब डिमाण्ड आयेगी उस वक्त में इस पर विस्तार से बात होगी।

मुखबन्द और अधिक अनुदान की मांगों पर मतदान

श्री उपाध्यक्ष : मैं मुखबन्द का प्रयोग करके अधिक अनुदान की मांगें मतदान के लिए रखता हूं।

मांग संख्या 27

प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक—

50—सार्वजनिक निर्माण कार्य

50—सार्वजनिक निर्माण कार्य—भवन और सड़कें (संयुक्त) स्थापना तथा औजार और स्थिर संयन्त्र पर व्यय।

52—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1967 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को

(श्री उपाध्यक्ष)

1,34,31,83 । रु. तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 28

प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64–दुर्भिक्ष सहायता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1967 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 41,98, 376 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 39

प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 95,—कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1967 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को 22,47,326 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 12

प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या, 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1967 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 51,23 546 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 17

प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन स्वास्थ्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1968 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 27,72,563 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 19

प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 33–पशुपालन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1968 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,44,464 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 9

प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1969 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त

(श्री उपाध्यक्ष)
राज्यपाल महोदय को 4,42,588 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 11

प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22–कारागार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1969 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 5,15,528 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 15

प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1969 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 34,28,780 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 1

प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के सम्बन्ध मे 31 मार्च, 1967 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 6,86,155 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 4

प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12–बिक्री कर के संबंध में 31 मार्च, 1967 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 26,294 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 9

प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1967 को समाप्त हुए वर्ष मे किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,54,758 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 11

प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या 11 मुख्य शीर्षक 22—कारागार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1967 को

(श्री उपाध्यक्ष)
समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय, को 1,30,558 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 13

प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26–विविध विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1967 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 64,638 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 16

प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1967 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 93,910 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 19

प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 33—पशुपालन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1967 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 5,41,510 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 22

प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1967 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,20,142 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 26

प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक—

43–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (वाणिज्यिक)

44–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जलनिकास निर्माण कार्य (अवाणिज्यिक)

44–सिंचन, (संयुक्त) स्थापना तथा औजार और स्थिर संयन्त्र पर व्यय के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1967 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 13,90,406 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग संख्या 29

प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या 29, मुख्य शीर्षक 65-निवृत्ति वेतन और अन्य निवृत्ति लाभ

72-निवृत्ति वेतनों का संराशिकरण

के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1967 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,30,265 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 31

प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या 31, मुख्य शीर्षक 67-भारती नरेशों के निजी व्यय तथा भत्ते के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1967 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 67,421 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 38

प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 94-जन-स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1967 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,33,358 रुपये तक की और राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 41

प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या 41, मुख्यशीर्षक-

98-बहु प्रयोजन नदी योजनाओं पर पूंजी की लागत

99-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (वाणिज्यक)

100-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (अवाणिज्यिक)

के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1967 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,40,30,007 रुपये तक कि राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 42

प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 103-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1967 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्य-

(श्री उपाध्यक्ष)
पाल महोदय को 21,96,928 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 45

प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 120–निवृत्ति वेतनों के संराशिकृत मूल्य. के भुगतान के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1967 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,306 रुपयों तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 2

प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के सम्बन्ध में 31 मार्च 1968 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 57,680 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 2

प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10–राजकीय आबकारी कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1968 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 14,823 रु. तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 6

प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 14–स्टाम्प्स के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1968 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 6,747 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 11

प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22–कारागार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1968 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 92,004 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 13

प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26–विविध के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1968 को समाप्त हुये वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,33,383 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग संख्या 25

प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 42—बहुप्रयोजन नदी योजनाओं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1968 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 5,79,167 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 26

प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक—

43—सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (वाणिज्यिक)

44—सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (अवाणिज्यिक)

45—सिंचन (संयुक्त) स्थापना तथा औजार और स्थिर संयन्त्र पर व्यय

के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1968 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,58,008 रु. तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 28

प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64—दुर्भिक्ष सहायता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1968 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,74,796 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 29

प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या 29, मुख्य शीर्षक 65—निवृत्ति वेतन और अन्य निवृत्ति लाभ, 72—निवृत्ति वेतनों का संराशिकरण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1968 को समाप्त हुए वर्ष में किये गए व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 21,72,615 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 38

प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 94—जन-स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1968 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 6,36,910 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 39

प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 95—कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर

(श्री उपाध्यक्ष)

पूंजी की लागत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1968 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 17,02,705 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 42

प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 103–सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1968 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 12,83,188 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 45

प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 120–निवृत्ति वेतनों के संराशिकृत मूल्य के भुगतान के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1968 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 31,393 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 2

प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10–राजकीय आबकारी कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1969 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 7,581रु. तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 6

प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 14–स्टाम्प्स के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1969 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 58,547 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 13

प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26–विविध विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1969 को समाप्त हुए वर्ष में किये गए व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,00,994 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 17

प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जनस्वास्थ्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1969 को समाप्त हुए वर्ष में किये गए व्यय के निमित्त

(श्री उपाध्यक्ष)

राज्यपाल महोदय को 14,06,370 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 26

प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक—

43—सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (वाणिज्यिक)

44—सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (अवाणिज्यिक)

4[illegible]—सिंचन, (संयुक्त) स्थापना तथा औजार और स्थिर संयन्त्र पर व्यय के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1969 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 17,93,163 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 27

प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक—

50—सार्वजनिक निर्माण कार्य

50—सार्वजनिक निर्माण कार्य—भवन और सड़कें (संयुक्त) स्थापना तथा औजार और स्थिर संयन्त्र पर व्यय

52—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत

के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1969 को समाप्त हुए वर्ष में किये गए व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 8, 97, 648 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 39

प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक—

95—कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत

के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1969 को समाप्त हुए वर्ष में किये गए व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,00,625 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 41

प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक—

98—बहु प्रयोजन नदी योजनाओं पर पूंजी की लागत

99—सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी को लागत (वाणिज्यिक)

100—सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (अवाणिज्यिक)

(श्री उपाध्यक्ष)
के सम्बन्ध में 31 मार्च 1969 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,39,33,819 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 42

प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक
103–सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत
के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1969 को समाप्त हुए वर्ष में किये गए व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 9,03,093 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

राजस्थान विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 1973—पुरःस्थापन, विचार एवं पारण

विनियोग विधेयक ! माननीय वित्त मंत्री।

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 1973 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है, क्या सदन की अनुमति है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री चन्दनमल बैद : मैं राजस्थान विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 1973 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : विधेयक पुरःस्थापित हुआ।

श्री चन्दनमल बैद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 1973 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री केदारनाथ : उपाध्यक्ष जी, हम आज हमारे वित्त मंत्रीजी को परेशान नहीं करना चाहते क्योंकि पांच तारीख को बजट पेश करना है। उन्होंने कुछ इम्प्रूवमेन्ट किये हैं, अब कुछ टैक्स न लगे, जो पैसा खर्च हो वह अनप्रोडक्टिव न रहे, प्रोडक्टिव हो, जो टैक्स लगे, उसकी कुछ लिमिटेशन हों–इस आशा के साथ मेरा निवेदन है कि वित्त मंत्री को हमें परेशान नहीं करना है।

श्री चन्दनमल बैद : मैं धन्यवाद देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं, राजस्थान विनियोग ...

श्री उपाध्यक्ष : अभी विचार के लिए रखा है।

श्री चन्दनमल बैद : विचार के लिए तो रख दिया।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 1973 को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान विनियोग (संख्या 1) विधेयक को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 1973 को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1973—पुरःस्थापन, विचार एवं पारण

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1973 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1973 को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति दी जाती है।

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1973 को पुरःस्थापित करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : विधेयक पुरःस्थापित हुआ।

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1973 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1973 को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1973 को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1973 को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक को पारित किया गया।

राजस्थान विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1973—पुरः स्थापन, विचार एवं पारण

श्री चन्दन मल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1973 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1973 को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति दी जाती है।

श्री गुमानमल लोढा : सारी ही अनुमति आज ?

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : पुरःस्थापित हुआ।

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान विनियोग

(श्री चन्दनमल बैद)
(संख्या 3) विधेयक, 1973 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1973 को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विनियोग विधेयक संख्या 3 को विचारार्थ लिया गया।

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या 3) विधेयक को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1973 को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विनियोग विधेयक संख्या (3) को पारित किया गया।

राजस्थान आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1973-पुरः स्थापन, विचार एवं पारण

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1973 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि राजस्थान आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1973 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति दी जाती है।

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1973 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री केदार नाथ : हाथी निकल गया, पूंछ क्या पकड़नी है।

श्री उपाध्यक्ष : पुरःस्थापित हुआ।

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1973 को विचारार्थ लिया जाय

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1973 को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

राजस्थान आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1973 विचारार्थ लिया गया।

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1973 को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1973 को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

राजस्थान आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1973 पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही दिनांक 5 मार्च 1973 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही मध्याह्न पश्चात् 4 बज कर 5 मिनिट पर सोमवार दिनांक, 5 मार्च, 1973 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(106)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 251 की सूची)

Appendix 'A'

The Works Manager,
M/s. Jaipur Udyog. Ltd.
Sawaimadhopur.

Dear Sir,

We are giving you the Chambal Power at your Phalodi quarries, Banas Pumping Station and to the Factory when you are in a position to take power to the extent as decided by the Board.

Please note that the supply is purely temporary and we can disconnect the same without notice. The rates to be charged will be that as decided by the Board.

Yours faithfully,
Sd/-
Executive Engineer, 14-8-72
District Division
R.S.E.B. Kota
Camp-Sawaimadhopur.

Provisionally we agree till final agreement is entered for this supply with the Board. Till final decision of rates and agreement terms, present tariff of Chambal for industries may apply.

Sd/-
W. M.
14.8.62

———

परिशिष्ट 2

(ता. प्र. सं. 257 की सूची)

1.	श्री हीरालाल वरिष्ठ लिपिक	19-4-52 से
2	श्री रघुवीरसिंह कनिष्ठ लिपिक	2-7-72 से
3.	श्री महेशचन्द्र पारीक कनिष्ठ लिपिक	26-7-72 से
4.	श्री मानकचन्द्र देशमुख कनिष्ठ लिपिक	5-4-71 से

	स्थानान्तरण आदेश	स्थगन आदेश
1.	डीएमजी/एस्टे/828/2532-55 दिनांक 25-5-59.	डीएमजी/एस्टे/828/3618/59 दिनांक 18-7-59.
2.	डीएसजी/एस्टे/ 3/एफ-828/ 407 दिनांक 8-2-66.	डीएमजी/एस्टे/ 3/ 807/ दिनांक 4-4-66.
3.	निदे/नियुक्ति/एफ-828/1112 दिनांक 6-6-69	निदे/नियुक्ति/प-32/ 1058-63 दिनांक 22-7-69.
4.	निदे/ नियुक्ति/4/प 828/ 906-16 दिनांक 18-5-72	निदे/नियुक्ति/4/ प-141/1236 दिनांक 14-7-72.

परिशिष्ट 3

समयाभाव के कारण न लिये गये तारांकित प्रश्नोत्तर

सीकर जिले में क्रेश प्रोग्राम के अन्तर्गत कार्य

261. श्री झाबरमल सुण्डा (फतेहपुर): क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सीकर जिले में सन् 1970-71 में क्रेश प्रोग्राम के तहत कौन कौन से कार्य हाथ में लिये गये तथा कुल कितने व्यक्तियों को काम पर लगाया ?

(2) क्या यह सही है कि सन् 1970-71 में जिले के लिए निर्धारित कुल रकम खर्च नहीं हो सकी ? यदि हां, तो क्यों और कितनी रकम लैप्स हुई ?

(3) क्या सन् 1971-72 में क्रेश के लिए निर्धारित कुल रकम खर्च होने के अनुमान है तथा इस वक्त कितने स्थानों पर काम चल रहा है।

(4) क्या यह सही है कि जरूरतमन्द लोगों के लिए क्रेश कार्य शुरू नहीं किया जाकर कार्य वहां शुरु किये गये जहां कि मजदूर नहीं मिले ?

(5) क्या सरकार का भविष्य में भी यह इरादा नहीं है कि काम व मजदूर का सामंजस्य न हो वहां कार्य शुरु नहीं किये जावें ?

उत्तर

(1) वर्ष 1970–71 के कोई क्रेश योजना स्वीकृत नहीं हुई है इसलिये कार्य हाथ में लेने का प्रश्न ही नहीं उठता तथा व्यक्तियों को कार्य पर नहीं लगाया गया।

(2) वर्ष 70–71 में क्रेश योजना स्वीकृत न होने से किसी राशि के खर्च होने व लैप्स होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) वर्ष 71-72 में 12,50,000.00 खर्च होने का अनुमान था परन्तु 2,34,720 रुपये खर्च किये गये। इस समय 32 स्थानों पर कार्य चल रहा है।

(4) जी नहीं।

(5) कार्य एवं मजदूर का सामंजस्य होने पर ही उस स्थान पर कार्य प्रारंभ करवाया जाता है और भविष्य में भी इसी आधार पर कार्य शुरु कराये जावेंगे।

भूतपूर्व नरेशों की निजी सम्पत्ति में दर्ज काश्त की भूमि

202. श्री मोहनलाल छंगाणी (फलोदी) श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान लैंड रिफार्म्स एवं एक्वोजीशन आफ लैण्ड ओनर्स एक्ट 1963 के अन्तर्गत भूतपूर्व नरेशों को निजी सम्पति

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

में दर्ज काश्त योग्य एवं गैर मुमकिन कृषि भूमि कितनी अधिग्रहण करनी थी ?

(2) प्रत्येक भूतपूर्व नरेश की भूमि कितनी कितनी है ? तालाव, जंगल, बागान, और काश्त भूमि के आंकड़े पृथक् पृथक् बताने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि कई भूतपूर्व नरेशों ने उक्त कानून के प्रभावशाली होने के पश्चात् ऐसी जमीनों को बेचा है ? यदि हां तो किस किस ने व कितना कितना क्षेत्रफल व किस किस मूल्य पर ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(4) क्या यह सही है कि भूतपूर्व नरेशों ने ऐसी जमीनों को सहकारी समितियों को बेचा है ? कृपया उन नरेशों के नाम एवं भूमि का क्षेत्रफल एवं मूल्य बताने का कष्ट करें।

(5) क्या यह सही है कि उक्त बेचान सीलिंग कानून के अन्तर्गत अवैध है ? यदि हां तो राज्य सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(6) राज्य सरकार ने किस तिथि तक के स्थानान्तरण को सीलिंग कानून के अन्तर्गत वैध माना है ? क्या उपरोक्त नरेशों ने उक्त तिथि के पहले या बाद बेचान किया है ?

(स्थगित किया गया)

पट्टेदारों पर बकाया राशि

263. श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में खनन् पट्टों के अधीन विभिन्न खानों में काम करने वाले पट्टेदारों में कितनी रकम बकाया है ?

(2) सबसे पुरानी रकम कितनी, किस वर्ष की है ?

(3) 5 वर्ष पूर्व की कितनी रकम बकाया है ?

उत्तर

(1) इस विभाग के अन्तर्गत दिसम्बर, 72 तक पट्टेदारों में कुल बकाया 1,08,51,852 (एक करोड़ आठ लाख इक्यावन हजार आठ सौ बावन रुपये) है।

(2) सबसे पुरानी बकाया राशि 1–4–50 से पूर्व की रुपया 1,96,568/– है।

(3) पांच वर्ष पूर्व की राशि रुपया 39,26,903/– बकाया है।

गांधी शताब्दी वर्ष में (पंचायत समिति वाइज) ग्रामों का चुनाव

264. श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गांधी शताब्दी वर्ष में दो दो ग्राम हर पंचायत समिति पर चुने गये थे ? यदि हां, तो चूरू

(श्री भूराराम)
जिले में कौन कौन सी पंचायत समिति से दो दो ग्राम चुने गए थे? कृपया पंचायत समिति-वाइज ग्रामों के नाम बताने का कष्ट करें।

(2) इन दो दो चुने गए ग्रामों में पूर्व में क्या क्या सुविधायें उपलब्ध थीं और गांधी शताब्दी वर्ष पर उन्हें क्या क्या सुविधायें दी गई और अब तक कितनी सुविधायें देनी बाकी रही हैं या पूर्ण सुविधायें उपलब्ध करादी गई हैं?

(3) बाकी सुविधायें कब तक उन ग्रामों को उपलब्ध करादी जावेंगी?

(स्थगित किया गया)

अलवर होलसेल उपभोक्ता भण्डार की आडिट रिपोर्ट

265. **श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** (बानसूर): क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अलवर होलसेल उपभोक्ता भण्डार लिमिटेड के हिसाब का आडिट पिछले 5 साल में कब कब कराया गया है और उनकी क्या रिपोर्ट है? कृपया आडिट रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) उपरोक्त होलसेल भण्डार के चुनाव कब कब कराये गये हैं?

(3) अलवर शहर में कितने सहकारी उपभोक्ता भंडार हैं और उनके चुनाव कब कब कराये गये?

(4) क्या सहकारी उपभोक्ता भंडार में से किसी के खिलाफ धनराशि के दुरुपयोग या गबन की शिकायत है? यदि हां, तो कौन से भंडार के खिलाफ कितनी धनराशि के दुरुपयोग की शिकायत है?

(स्थगित किया गया)

तालाबों के पेटे की जमीन

266. **श्री विद्यासागर** (खैरवाड़ा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि तहसील खैरवाड़ा जिला उदयपुर में कई तालाबों की पेटे की जमीन व्यक्तियों के नाम रेगुलराइज की गई है? यदि हां, तो ऐसे कौन कौन से तालाब हैं जिनकी पेटे की जमीन रेगुलराइज की है व किस तहसीलदार के समय ऐसा कार्य किया गया है व किन किन व्यक्तियों के नाम रेगुलराइज हुई है? सूची, तालाब का नाम व व्यक्तियों के नामों की नामावली गांव के अनुसार दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि भान्दा तालाब तहसील खैरवाड़ा जिला उदयपुर के पेटे की जमीन भी रेगुलराइज किन्हीं व्यक्तियों के नाम की गई है? यदि हां, तो किन किन व्यक्तियों के नाम? सूची उनके नाम व पिता का नाम तथा गांव का नाम व रेगुलराइज का आधार दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) उक्त क्षेत्र में ऐसे कितने लोग और थे जिनकी जमीन रेगुलराइज नहीं की

(श्री विद्यासागर)

उनको रेगुलराइज नहीं करने का क्या आधार था ?

उत्तर

(1) तहसील खेरवाड़ा जिला उदयपुर में स्थित तालाबों की भूमि सन् 68-69 व 70 में उस समय के तहसीलदारान सर्व श्री लालसिंह, करणसिंह मेहता, बंशीलाल दाधीच ने कृषकों के नाम गैर-खातेदारी हक दर्ज करने की आज्ञा दी है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) ग्राम भान्दा में स्थित तालाब के पेटे की जमीन पर कृषकों के नाजायज कब्जे की सबूतें पेश करने से उस वक्त के तहसीलदार श्री लालसिंह ने 29 व्यक्तियों के नाम 67॥) 3 भूमि गैर-खातेदारी हक से दर्ज करने की आज्ञा दी गई। सूची सदन की मेज पर रख दी गई।

(3) दीगर व्यक्तियों के विरुद्ध नाजायज कब्जे की कार्यवाही होने पर उनके द्वारा वांछित सबूतें पेश नहीं होने से गैर-खातेदारी हक से दर्ज करने की आज्ञा नहीं हुई।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

लीज होल्डरों द्वारा सिवाय चक भूमि में खानों का मलबा

267. **श्री मालाराम** (नीम-का-थाना): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(क) तहसील नीम-का-थाना में खनिज विभाग के किस किस लीज होल्डर ने अपनी खानों का मलबा सिवाय चक की भूमि में डाला है ?

(ख) क्या यह सही है कि नीम का थाना में मोदी मिल अपने कारखाने का मलबा गोडवास पंचायत के एक सार्वजनिक जोहड़ में डालती है ? यदि हां, तो इस अनधिकृत कार्यवाही के लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

उत्तर

(क) सिवाय चक में मलबा डालने बाबत खान विभाग में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

(ख) जैसा कि प्रश्न (क) के उत्तर में अंकित किया गया है खान विभाग को ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। यदि गोडवास पंचायत को इस संबंध में कोई शिकायत है तो संबंधित विभाग में कार्यवाही कराना चाहिए।

बूंदी जिले में क्रेश प्रोग्राम के अन्तर्गत राहत कार्य

268. **श्री गिरधारीलाल भार्गव** (किशनपोल, जयपुर) : क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत बूंदी जिले में क्रेश प्रोग्राम के द्वारा राहत कार्य प्रारम्भ किया गया था ?

(2) यदि हां, तो बूंदी जिले में कुल कितनी योजना क्रेश कार्य के अन्तर्गत प्रारंभ की गई और कितना कार्य अब तक हो

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
चुका एवं आगामी क्या योजना है ? तालिका सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि क्रेश कार्यक्रम में लगे हुए मजदूरों को 3-4 माह तक भी पेमेन्ट नहीं होता एवं मस्टररोल को पेंडिंग में डाल दिया जाता है ?

(4) क्या क्रेश कार्यक्रम के अधिकारियों के द्वारा भ्रष्ट तरीके अपनाये व पेमेन्ट नहीं करने की शिकायतें जिलाधीश को प्राप्त होती रही हैं ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) तालिका सदन की मेज पर रखी गई है । जो कार्य वर्ष 72-73 में अपूर्ण रहेंगे उन्हें 73-74 में लिया जाकर पूर्ण कराया जावेगा ।

(3) जी नहीं । मजदूरों को यथा संभव समय पर ही भुगतान किया जाता है । कभी कभी मस्टर रोल स्टाफ की कमी के कारण विलम्ब से प्राप्त होता है तो भुगतान में विलम्ब अवश्य हो जाता है ।

(5) केवल रजलावता—बम्बूली सड़क तथा देई से मजनेरी सड़क के बारे में शिकायतें जिलाधीश को प्राप्त हुई और वे इसकी जांच करवा रहे हैं ।

113

बूंदी जिले के क्रेश कार्यों का विवरण

क्र.सं.	विवरण	कार्यों की संख्या	निर्माणाधीन कार्यों की संख्या	कार्य जो पूर्ण हो चुके	सन् 73–74 में किये जाने वाले कार्य	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	भवन एवं पथ निर्माण विभाग के अधीन	17	17	–	–	
2.	वन विभाग के अधीन कार्य	6	5	1	–	
3.	सिचाई के सम्बन्धित कार्य	13	6	5	–	2 कार्य ड्राप किये गये
4.	भू–संरक्षण कार्य	4	4	–	–	
5.	स्कूल भवन निमाण	8	8	–	–	
		48	40	6		2

बूंदी जिले में सन् 1972–73 में 9 लाख 50 हजार रुपये और सन् 1973–74 में 12 लाख 50 हजार रुपये व्यय किये जाने हैं। दिनांक 31–1–73 तक क्रेश योजना के अन्तर्गत कार्यों पर 8.50 लाख की राशि व्यय की जा चुकी है।

मार्केटिंग सोसाइटी गंगापुर के सदस्यों में बकाया राशि

269. श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) मार्केटिंग सोसाइटी गंगापुर के किन किन सदस्यों पर कितना कितना रुपया कब कब से बकाया है?

(2) व्यवस्थापकों तथा संचालक मंडलों के विरुद्ध जो आडिट आक्षेप लगाये गये हैं वे सदन की मेज पर रखे जावें। इनमें से किन आक्षेपों की पूर्ति हुई है और कब कब? यदि पूर्ति नहीं की गई तो क्यों?

उत्तर

(1) गंगापुर कोआपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी लि. गंगापुर जिला सवाई-माधोपुर के जिन सदस्यों पर कब कब से रुपया बकाया है की सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) व्यवस्थापकों तथा संचालक मंडलों के विरुद्ध जो आडिट आक्षेप लगाये हैं की सूची सदन की मेज पर रखदी गई है आक्षेप पूर्ति के संबंध में जांच कराई जा रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

भीलवाडा जिले में अनुसूचित जाति व जनजाति के परिवारों को भूमि का अलाटमेंट

270. श्री भंवरलाल भदादा (भीलवाड़ा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) भीलवाड़ा जिले में सन् 1969 से 1971 तक तीन वर्षों में अनुसूचित जाति और जन जाति के कितने कितने परिवारों को किस किस तहसील में कितनी कितनी भूमि अलाट की गई है? तहसीलवार अलाटशुदा भूमि की अल्पतम और अधिकतम सीमा क्या रही है?

(2) इन अलाटशुदा जमीन में से कितने बीघा भूमि पर इन परिवारों का कब्जा हो चुका है? शेष अलाटशुदा जमीन पर कब्जा क्यों नहीं हो रहा है और कब तक कब्जा दिया जा रहा है?

(3) इस अलाटशुदा जमीन पर अधिकृत परिवारों में से कितने परिवारों को जमीन को आबाद करने, कुआ खुदवाने, पम्प लगवाने के लिये किस किस को ऋण मिला है?

उत्तर

(1) भीलवाड़ा जिले में सन् 69 से 71 तक तीन वर्षों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के परिवारों को अलाट की गई भूमि का तहसीलवाइज ब्योरा संलग्न सूची 'क' में अंकित है। आवंटनशुदा भूमि की अल्पतम और अधिकतम सीमा का तहसीलवाइज ब्योरा संलग्न सूची 'ख' में अंकित है।

(2) केवल 1,136 एकड़ भूमि के अतिरिक्त कुलिया भूमि का कब्जा दिया जा चुका है। 43 एकड़ भूमि के लिए सार्वजनिक भूमि का विवाद है तथा 1,103 एकड़ भूमि का कब्जा अलोटी लेने से इंकार है।

(3) सूचना बैंक से सम्बन्धित है।

सूची 'क'

क्रम सं.	नाम तहसील	अनुसूचित जाति एवं जनजाति के परिवारों की संख्या	क्षेत्र जो आवंटन किया गया
1.	रायपुर	909	3,208
2.	सहाड़ा	629	1,591
3.	भीलवाड़ा	927	2,689
4.	मांडल	1,751	5,779
5.	बनेड़ा	1,029	3,708
6.	आसीन्द	1,467	4,811
7.	हुरड़ा	1,055	2,996
8.	जहाजपुर	3,674	6,567
9.	शाहपुर	2,764	5,280
10.	मांडलगढ़	2,027	5,355
11.	कोटड़ी	1,458	4,232
	योग	17,690	46,216

सूची 'ख'

आवंटनशुदा भूमि की अल्पतम और अधिकतम सीमा का तहसीलवाइज ब्योरा।

क्रम सं.	नाम तहसील	ब्योरा
1.	शाहपुरा	2 एकड़ से 7 एकड़ तक
2.	जहाजपुर	3 बीघा से 10 बीघा तक
3.	बनेड़ा	2 बीघा से 15 बीघा तक
4.	सहाड़ा	2 बीघा से 15 बीघा तक
5.	भीलवाड़ा	1 एकड़ से 5 एकड़ तक
6.	मांडलगढ़	1 एकड़ से 4 एकड़ तक
7.	हुरड़ा	1 बिस्वा से 15 बीघा तक

खाद कारखाने की सर्वेक्षण रिपोर्ट

271. श्रीमती निर्मला कुमारी (चित्तौड़गढ़) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में निकट भविष्य में खाद का कारखाना लगाने के लिये जो सर्वेक्षण किया गया उसकी क्या रिपोर्ट है ? कृपया रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) खाद का कारखाना राजस्थान में कब तक लगने की संभावना है तथा इसके लिये उपयुक्त स्थान कौनसा है ?

उत्तर

(1) भारत सरकार के आदेश पर मैसर्स फर्टीलाइजर कार्पोरेशन ग्राफ इंडिया लि. के विशेषज्ञों ने उपलब्ध सम्भावित सूचनाओं के आधार पर अभी यह प्रारम्भिक राय दी है कि खाद कारखाने की स्थापना के लिए कच्चा माल रोक फास्फेट व पाइराईट्स उपयुक्त मात्रा में राजस्थान में उपलब्ध हैं व आर्थिक दृष्टि से यह खाद कारखाना विकास की इकाई हो सकता है। स्थान के चयन की दृष्टि से अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है। प्रारम्भिक रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) खाद का कारखाना राजस्थान में लगने की तिथि अभी निश्चित नहीं है। उपयुक्त स्थान का चयन विशेषज्ञों की सलाह से भारत सरकार कर रही है और अभी अन्तिम निर्णय अपेक्षित है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पाली-सादड़ी बस परमिट

272. श्री मोहनराज (पाली) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि राज्य सरकार पाली—सादड़ी वाया बूसी-सोमेसर-देवली-नाडोल-ढालोप-मादा रूट के लिये बस परमिट जारी करने का सोच रही है ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है और इसमें देरी होने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

ग्राम अलीगढ़ टोंक का बीज गोदाम

273. श्री राजेन्द्रसिंह (उनियारा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सहकारिता विभाग द्वारा ग्राम अलीगढ़ जिला टोंक में बीज गोदाम स्वीकृत हुआ है ? यदि हां, तो यह किस स्थान पर बनाया जा रहा है ?

(2) क्या इस गोदाम के लिये कोई कृषि भूमि कन्वर्ट की गई है ? यदि हां, तो किस खसरा नम्बर को और किस पंचायत की है ?

(3) क्या इस विवाद में पंचायत अलीगढ़ व सहकारी समिति के बीच अदालती कार्यवाही चल रही है ? यदि हां, तो कहां ?

(सहकारिता मंत्री)

उत्तर

(1) जी हां। गोदाम ग्राम पंचायत अलीगढ़ भवन एवं पी. डब्ल्यू. डी. गैंग हट के बीच खसरा नं. 790 पर बनाया जा रहा है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। जिलाधीश टोंक के यहां कार्यवाही चल रही है।

व्यक्तिगत काश्त की भूमि को आबादी में परिवर्तित करने के नियम

274. श्री शंकरलाल (पाली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) व्यक्तिगत काश्त की भूमि को आबादी में परिवर्तित करने की आवश्यकता की पूर्ति के लिये सरकार द्वारा क्या नियम विद्यमान हैं? एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या भवन निर्माण सहकारी समितियों को सरकार द्वारा इस प्रकार की सुविधाएं हैं कि वह काश्त की भूमि को खरीद कर अपने सदस्यों के लिये मकान बना कर दे सकें? इस संबंध में क्या नियम हैं और क्या प्रक्रिया है?

उत्तर

(1) हां। सम्बन्धित नियम राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (कन्वरशन आफ एग्रीकल्चर लैण्ड फार रैजिडेन्शियल और कार्माशयल परपजेज इन रूरल एरीयाज) रूल्स, 1971 तथा राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (अलाटमेन्ट एण्ड रेगूलराईजेशन आफ दी कन्वंसन आफ एग्रीकल्चर लैण्ड फार रेजिडेन्सियल और कार्मशियल परपजेज इन अरबन एरीयाज) रूल्स, 1971 की प्रतियां सदन की मेज पर रखने हेतु संलग्न हैं।

(2) उपरोक्त नियमों के प्रावधान भवन निर्माण सहकारी समितियों पर भी लागू हैं।

पंचायत समिति, खानपुर (झालावाड़) में विकास कार्य

275. श्री गोरीशंकर (खानपुर) : क्या पंचायत एवं विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि पंचायत समिति खानपुर जिला झालावाड़ में कोई भी विकास कार्य नहीं किये जा रहे हैं? यदि हाँ, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सड़कों के निर्माण, तालाब निर्माण तथा भूमि संरक्षण के कार्य जो निर्माणाधीन हैं व अन्य विकास कार्य जो 1-4-72 से 31-1-73 के दरमियान हुये हैं उसकी तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

पंचायत समिति खानपुर के विकास कार्यों की सूची

1. शाला भवन निर्माण–12

2. क्रेश कार्यक्रम में निम्नलिखित सड़कों का कार्य निर्माणाधीन है :–

कार्य का नाम	अब तक की कुल खर्च की हुई अनुमानित राशि
1. (अ) खानपुर-इकलेरा रोड	23,734.75
(ब) हरीगढ़-वावेर रोड	26,747.34
(स) सोजपुर एप्रोच रोड	4,462.00
(द) सूमर एप्रोच रोड	1,965.61
2. (अ) तालाब निर्माण-जोल्पा	2,873.50
(ब) तालाब निर्माण-भगवानपुरा	1,333.00
(स) तालाब निर्माण-बिलासरा	679.86
(द) तालाब निर्माण-वावेर	550.93
(य) तालाब निर्माण-शोजपुर	

2. भू-संरक्षण कार्य

(क) मेडबन्दी कार्य-खानपुर	3,027.00
(ख) मेड़बन्दी कार्य-पनवाड़	1,122.00
(ग) मेड़बन्दी कार्य-सोजपुर	4,679.50

3. कृषि क्षेत्र में प्रगति

1. लघु सिंचाई योजना कार्यक्रम का प्रारम्भ इस वर्ष में हुआ है जिसमें कृषकों को आसानी से कुआ, पम्प सेट्रा आदि के लिए कर्जा (लोन) मिलना प्रारम्भ हो गया है।

2. लक्ष्य के विपरीत कृषि में निम्न प्रगति हुई है:—

लक्ष्य प्राप्ति की सूचना पृथक् से संलग्न है।

4. परिवार नियोजन

लक्ष्य	प्राप्ति	
250	428	नसबन्दी पुरुष एवं स्त्री

पंचायत समिति खानपुर जिला झालावाड़, राजस्थान निर्धारित लक्ष्य एवं पूर्ति
(1-4-72 से 31-4-73 तक)

क्र.सं.	नाम पद	ईकाई	लक्ष्य	प्राप्ति
1	2	3	4	5
1.	**लघु सिंचाई**	संख्या		
	(अ) नये कुओं का निर्माण	"	96	36
	(आ) पुराने कुओं का सुधार	"	80	47
	(इ) डीजल पम्प लगाये गये	"	24	111
	(ए) विद्युत पम्प लगाये गये	"	25	21
2.	**रसायनिक खाद वितरण**			
	(अ) नत्रजनीय	टनों में	500	712.94
	(आ) फास्फेटिक	"	300	355.00
	(इ) पोटेशिक	"	30	58.2
	(ई) हरी खाद	एकड़ों में	200	175 हैक्टर
3.	**बीज वितरण**			
	(1) मेक्सिकन गेहूं	क्विटलों में	1200 हैक्टर	1866 क्विटल
	(2) शंकर मक्का	"	–	1.5
	(3) शंकर ज्वार	"	–	–
	(4) मूंग वैशाखी	"	–	7
	(5) कृष्ण उड़द	"	–	5
	(6) तिल प्रताप	"	10 हैक्टर	12.10
	(7) जय ज्वार	"	–	206
4.	**कृषि यन्त्रों का वितरण**			
	(1) हल	संख्या	3	5
	(2) विनोवट	"	3	14
	(3) वण्ड फारमर	"	3	–
	(4) डस्टर	"	2	1
	(5) पावर स्प्रेयर	"	–	1

(120)

2	3	4	5
5. पौध संरक्षण उपचार			
(ए) फड़का उपचार	हैक्टर	–	190
(बी) चूहा नियन्त्रण	,,	1000	1290
(सी) कीड़े व बीमारियों की रोकथाम	,,	2000	2526
(डी) गोदामों का उपचार	संख्या	–	55
(ई) बीज उपचार	क्विंटलों में	2000	3616
(एफ) भूमि उपचार	हैक्टर	750	1175
6. फलदार पौधों का वितरण	संख्या	2000	3880
7. मिट्टी नमूनों की परीक्षा	,,	150	255
८. भू-संरक्षण:			
(ए) सूखी खेती	हैक्टर	–	178
(बी) मेड़बन्दी व डोलबन्दी	,,	–	375

लो लेवल ब्रांच राजस्थान नहर के आर.डी. 365 पर नानूवाली ढाणी

276. **श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (सूरतगढ़) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि लो लेवल ब्रांच (एल.एल.बी.) राजस्थान नहर के आर. डी. 365 पर चक 1 बी.डी. के ऊंचे भरने पर हरिजनों के 40–50 घर एक आबादी बना कर बैठे हैं तथा यह आबादी नानूलाली ढाणी कहलाती है ?

(2) क्या यह सही है कि इस आबादी के प्रायः सभी हरिजनों को लो लेवल के क्षेत्र में जमीन अलाट है ?

(3) क्या यह सही है कि इस आबादी को उठाने के लिये लो लेवल के उच्च नहरी अधिकारी इन लोगों को बार बार तंग कर रहे हैं ? यदि हां, तो किस कानून के तहत ?

उत्तर

(1) जी हां। करीब 20 कच्चे मकान राजकीय अनकमांड भूमि पर हरिजनों ने बना रखे हैं।

(2) जी हां। अस्थायी आवंटन है।

(3) जी नहीं।

अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत सिद्धमुख केनाल का कार्य

277. **श्री रावतराम** (द्वापर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सिद्धमुख केनाल की योजना सरकार के विचाराधीन

(श्री रावतराम)

है? यदि हां, तो यह विचाराधीन की स्थिति कब तक रहने का अनुमान है ?

(2) इस केनाल को कहां से और कितने क्यूसेक पानी मिलेगा ?

(3) चूरू जिले के कितने गांवों की भूमि इससे सिंचित होगी तथा कितने गांवों को पीने का पानी मिल सकेगा ?

(4) अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत इस नहर को न खुदवाने का क्या कारण है जब कि हरियाणा सरकार ने अकाल राहत के अन्तर्गत नहरों को खुदवाई करवाई है ?

उत्तर

(1) जी हां, यह प्रश्न राजस्थान, पंजाब हरियाणा व भारत सरकार के बीच विचाराधीन है इसलिए यह कहना कठिन है कि यह स्थिति कब तक बनी रहेगी।

(2) इस नहर को 'भाखरा मेन लाइन' की टेल से 700 क्यूसेक्स पानी मिलेगा।

(3) चूरू जिले के लगभग 18 गांवों की भूमि इससे सिंचित होगी और इन गांवों को पीने के लिए पानी की सुविधा भी प्राप्त हो सकेगी।

(4) क्योंकि यह योजना अभी स्वीकृत ही नहीं है, अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत काम शुरू करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

कोटपूतली तहसील की ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

278. श्री सुरेशचन्द्र (कोटपूतली) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर जिले की कोटपूतली तहसील में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का प्रस्ताव सरकार के पास कबसे विचाराधीन है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त योजना को कार्यरूप देने के संबंध में विभाग ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है ? यदि हां, तो कब तक विभाग इस योजना को बनाकर ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को भेज देगा ?

उत्तर

(1) इस वर्ष 1972-73 में जून से विचाराधीन है।

(2) जी नहीं। इस योजना का सर्वे का कार्य चालू है। स्कीम तैयार होने पर भेजी जा सकेगी।

न्याय पंचायत मंडावर के सचिव का वेतन

279. श्री उम्मेदीलाल (हिन्डौन) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री मथुरालाल गोयल, न्याय पंचायत, मंडावर, पंचायत समिति, हिन्डौन के सचिव के पद पर सन् 1961 से कार्य कर रहे हैं? यदि हां, तो इन्हें कितना वेतन दिया जा रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि मई, 1963 से अब तक का वेतन श्री मथुरालाल गोयल को नहीं दिया गया है ? अगर हां, तो कितना और क्यों ?

(3) राजस्थान में ऐसी कितनी न्याय पंचायतें हैं जिनके कर्मचारियों का वेतन

(श्री उम्मेदीलाल)
बाकी है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) राज्य सरकार सचिवों के वेतन को कब तक देने की व्यवस्था कर रही है ?

उत्तर

(1) जी हां। श्री मथुरालाल गोयल, 60) रु. मासिक वेतन पर नियुक्त हैं और सन् 61 से न्याय पंचायत, मण्डावर में सचिव के पद पर काम कर रहे हैं।

(2) जी हां। वेतन की राशि 70.0 रु. चुकाना बाकी है किन परिस्थितियों से सचिव को राशि नहीं चुकाई गई और इसमें कौन दोषी है इसकी जांच के लिए जिलाधीश को आदेश दे दिये गये हैं और राशि शीघ्र चुकाने की व्यवस्था करने के लिए लिख दिया गया है।

(3) यह सूचना एकत्रित की जा रही है।

(4) न्याय पंचायतों के सचिवों को वेतन सरकारी कोष से दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। इनका वेतन न्याय पंचायतों द्वारा पंचायतों से प्राप्त अंशदान की राशि में से चुकाया जाता है।

कालाखोह बांध की वेस्ट वेयर

280. **श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कालाखोह बांध की वेस्ट वेयर श्री सुखानी ए. ई. एन., दौसा द्वारा अकारण बरसात के मौसम में तुड़वाई गई ?

(2) क्या यह सही है कि बांध के पानी से सड़क टूटी तथा पानी बेकार गया व सरकार को काफी हानि हुई ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त वेस्ट वेयर को पुन: निर्मित करवाया जा रहा है ? यदि हां, तो इसके तुड़वाने व बनवाने में सरकार को कितना खर्चा करना पड़ा ?

(4) क्या सरकार इस बाबत जांच करवा कर दोषी अधिकारी को दण्डित करने की सोचती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। बांध में अधिक वर्षा के कारण अधिक पानी आ गया और बांध की सुरक्षा के लिए मौके पर मौजूद अधिदर्शक ने चादर का कुछ भाग नीचा करवा दिया।

(2) सड़क कालाखोह बांध के उत्पलाव पर पानी चलने के तुरन्त बाद टूट गई। बांध में पानी पूरी क्षमता तक भर लिया गया था और कोई हानि नहीं हुई।

(3) बाढ़ के बाद टूटी हुई चुनाई को वापस ठीक कर दिया गया है। वेस्टवीयर का कुछ भाग नीचा करने में रु. 12 व उसे ठीक करने में रु. 38 व्यय हुए।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता।

नेशनल हाई वे की मरम्मत के लिये भारत सरकार से प्राप्त राशि

281. **श्री शंकरलाल जाट (कपासन) :** क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि राजस्थान में कुछ और नई हाई वे सड़कें अथवा स्टेट

(श्री शंकरलाल जाट)

हाई वे सड़कें लेने का राज्य सरकार ने निर्णय लिया है ? यदि हां, तो वे कौन कौन सी सड़कें हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखावें।

(2) क्या यह सही है कि नेशनल हाई वे की मरम्मत के लिये कुछ राशि भारत सरकार से प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो कितनी राशि प्राप्त हुई है ?

(3) क्या जो राशि प्राप्त हुई है वह सब खर्च की जा चुकी है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(2) जो नहीं।

(2) वर्ष 72-73 में 74.14 लाख रुपये प्राप्त हुये हैं।

(3) जनवरी 1973, तक 58.91 लाख रुपया व्यय हुआ है। अभी वित्तीय वर्ष चालू है।

झालावाड़ जिले के ग्रामों का विद्युतीकरण

282. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालावाड़) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सन् 7 -73 मे झालावाड़ जिले में किसी भी ग्राम को बिजली से नहीं जोड़ा गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) अगले वर्ष झालावाड़ जिले में किन किन ग्रामों का विद्युतीकरण किया जावेगा ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि जिला विद्युत् सलाहकार कमेटी की सिफारिशों के बावजूद भी ग्रामों को बिजली नहीं दी जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं ? झालावाड़ जिले में वर्ष 1972-73 में अब तक दो गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है ?

(2) अगले वर्ष में इस जिले की बकानी तहसील की ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत स्कीम के 40 गांवों का विद्युतीकरण करने की योजना है। स्वीकृत स्कीम की सूची संलग्न है।

(3) जी नहीं। जिला उत्पादन समिति की सिफारिशों पर अवश्य विचार किया जाता है। तकनीकी व आर्थिक दृष्टि से साध्य स्कीमों की स्वीकृति उपलब्ध धनराशि व जिले की विद्युतीकरण की स्थिति को ध्यान में रखते हुए दी जाती है।

(124)

S. No.	Name of the village	Dt. of electrification	S. No.	Name of the village	Dt. of electrification
1	2	3	1	2	3
1	Keralgaon		32	Kankriya	
2	Garwara		33	Rampuriya	
3	Morukheri		34	Modi	
4	Koli		35	Kushalpura	
5	Kheriya		36	Borjhari (j)	
6	Sanwalpura		37	Agariya	
7	Ratlai		38	Daulatpura	
8	Gopalpura		39	Nrisinghpura	
9	Deodungari		40	Amarpura	
10	Dudhalya		41	Umariya	
11	Char Dungari		42	Soori	
12	Rajpura		43	Narainpura (Kherdanta)	
13	Peeplya Nagga		44	Rankra	
14	Banskheri		45	Panchankheri	
15	Deonagar		46	Baheri Khurd	
16	Khachorod		47	Baheri Kalan	
17	Motipura		48	Bindkhera	
18	Bhumdra		49	Padlya	
19	Kofraghata		50	Patri Khera	
20	Maheshpura		51	Bhalta	
21	Surajpura		52	Punyakheri	
22	Nanor		53	Molkya Khurd	
23	Lodakhera		54	Molkya Kalan	
24	Damakpura (Kishoripura)		55	Shivpura	
25	Moyakheri		56	Napanya Dalla	
26	Neukheri		57	Ratya Doongari	
27	Baday		58	Brahmpura	
28	Kotra Radi		59	Jagpura	
29	Barkhera Kalan		60	Khatkar	
30	Barkhera Khurd		61	Ummedpura	
31	Amjhar Khurd				

(125)

1	2	3	1	2	3
62	Motipura		72	Kishanpura	
63	Reejon		73	Bhanpura	
64	Lalya Kheri		74	Dinyakheri	
65	Jeetapura		75	Rajpura	
66	Soori		76	Parlya	
67	Kotara		77	Bankheri	
68	Gadagaon		78	Jhoomki	
69	Napanya Gujaran		79	Bagwara	
70	Koli		80	Ramniwas	
71	Dewar				

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 19-2-73)

एनीकट और शौचालय के लिए दी गई राशि

6. **श्री शंकरलाल जाट** (कपासन) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, छोटी सादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा विभिन्न पंचायतों को एनीकट और शौचालय के लिए अनुदान व ऋण दिया गया था ? यदि हां, तो किस किस ग्राम पंचायतों को दिया गया है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह भी सही है कि जिन ग्राम पंचायतों को शौचालय और एनीकट के लिए अनुदान दिया गया वह अभी तक खर्च नहीं किया गया है ? यदि हां, तो कौन कौनसी ग्राम पंचायतों में ?

(3) क्या यह सही है कि जो अनुदान की राशि एनीकट और शौचालय के लिए दी गई है वह राशि न तो किसी पोस्ट आफिस में जमा है न किसी बैंक में ही जमा है ? यदि हां, तो वह राशि कहां है ?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 21-2-73)

जिला झालावाड के गांवों एवं शहरों में हरिजनों एवं पिछड़े वर्गों के मोहल्लों में विद्युत लाइन

63. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालावाड़) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला झालावाड़, तहसील झालरापाटन के किन किन ग्रामों एवं शहरों में इस वर्ष (72-73) में हरिजनों व पिछड़े वर्ग के मोहल्लों में विद्युत लाइन लगाई गई है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने कष्ट करें।

(2) क्या झालावाड़ व झालरापाटन नगर के सभी पिछड़े वर्गों के वाड़ों में बिजली लगा दी गई है जो लगाना आवश्यक था ? यदि नहीं, तो कौनसी जगह बिजली नहीं लगाई गई और वहां अब कब लगाई जावेगी ?

(स्थगित किया गया)

परिशिष्ट 4

(अ. ता. प्र. सं. 124 की सूची)

चर्म उद्योग सहकारी समिति के सम्बन्ध में सूचना ....जिला बाड़मेर

क. सं.	नाम समिति	खादी बोर्ड का ऋण व अनुदान: ऋण व अनुदान देने का दिनांक	ऋण	अनुदान	सफल/ असफल	लाभ	हानि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	सवाड़ा चर्म रंगाई उत्पादक स. स. लि.	10–3–64	1837.50	1400.00	सफल	123.00	
2.	विशाला चर्म उ. स. स. लि.	31–3–69	1850.00	500.00	,,	110.00	–
		26–3–71	1312.50	–	,,	–	–
3.	लीलसर चर्म रंगाई उ. स. स. लि.	4–1–64	1400.00	–	,,	–	2.00
4.	बालोतरा जरिया चर्म उ. स. स. लि.	19–12–60	–	1600.00	,,	–	130.00
5.	बालोतरा रेगरान चर्म उ. स. स. लि.	19–12–60	9750.00	8250.00	,,	–	565.03
6.	मेघवाल चर्म उत्पादक स. स. लि. बालोतरा	24–8–63	9000.00	800.00	,,	26.00	–
7.	गडरा रोड चर्म उत्पादक स. स. लि.	1963–64	962.50	250.00	,,	132.00	–
		27–11–69	5000.00	–	,,	–	–
8.	सिणधरी चर्म रंगाई उत्पादक स. स. लि.	11–8–61	5500.00	5500.00	,,	15.00	–
9.	जीननगर उत्पादक स. स. लि. सिणधरी	11–6–70	3187.50	600.00	,,	(न लाभ न हानि)	
10.	गणासर कला चर्म रंगाई उद्योग उ. स. स. लि.	1962–63	962.50	–	,,	150.00	–
11.	चर्म रंगाई उत्पादक स. स. लि. बामनोर भंवरसा	7–1–63	1137.50	1000.00	,,	–	993.00
12.	कर्मावास चर्म उत्पादक स. स. लि.	22–11–61	–	1000.00	,,	17.00	–

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	श्री समदड़ी सर्वोदय चर्म उ. स. स. लि.	24–8–63	2187.50	1600.00	सफल	136.00	–
		19–3–63	3000.00	–	"	–	–
14.	आदर्श चर्म उत्पादक स. स. लि. सिवाना	31–3–72	1875.00	–	"	–	6.00
15.	समदड़ी चर्म उत्पादक स. स. लि.	58–59	6750.00	8250.00	"	1080.00	–
16.	अदरीम का तला चर्म उद्योग उ. स. स. लि.	31–3–69	1850.00	500.00	"	(न लाभ व न हानि)	
17.	मेघवाल चर्म उत्पादक स. स. लि. बिठूजा	24–8–63	3000.00	800.03	"	664.00	–
18.	पटोदी जूता उत्पादक स. स. लि.	1961–62	804.00	–	"	–	628.00
19.	बाड़मेर जूता उत्पादक स.स. लि. बाड़मेर	31–3–70	5000.00	–	"	580.00	–
20.	आदर्श चर्म उत्पादक स. स. लि. बाड़मेर	6–11–71	3187.50	–	"	–	13.00
21.	बाड़मेर फुटवीयर उ.स.स.लि. बाड़मेर	12–10–72	6350.00	2350.00	"	(न लाभ व न हानि)	
22.	बलाई चर्म उत्पादक स.स.लि.	–	–	–	असफल	–	24.00
23.	कुंडानो चर्म उत्पादक स.स.लि.	–	–	–	"	26.00	–
24.	घोरीयना चर्म उत्पादक स.स.लि.	7–7–61	–	10000.00	"	2.00	–
25.	नगर चर्म उत्पादक स.स.लि.	21–1–61	9750.00	8250.00	"	3586.00	–
26.	गंगायजल चर्म उत्पादक स.स. लि.	–	–	–	"	10.00	–
27.	गोकलस जीनगर चर्म उ.स.स. लि.	–	–	–	"	–	11 00
28.	श्री कोरना चर्म उ.स.स.लि.	31–3–61	1050.00	800.00	"	–	293.00
29.	बाड़मेर चर्म रंगाई उ.स.स.लि.	5–8–69	36250.00	17250.00	"	–	5187.00
30.	मेघवाल चर्म उत्पादक स.स.लि बाड़मेर	5–1–59	3000.00 (उद्योग विभाग का)	–	"	–	406.00
31.	मोवड़ा चर्म रंगाई उत्पादक स.स.लि.	–	–	–	"	3.00	–

(128)

परिशिष्ट 5

(अ. ता. प्र. सं. 127 की सूची)

भाखरा नहर परियोजना में अन-कमाण्ड
से कमाण्ड तथा कमाण्ड से अन-कमाण्ड
घोषित की गई भूमि की वर्ष वार सूची 'क'

क्र. सं.	वर्ष	अन-कमाण्ड से कमाण्ड घोषित भूमि		कमाण्ड से अन-कमाण्ड की गई भूमि	
		बीघा	बिस्वा	बीघा	बिस्वा
1	2	3	4	5	6
1.	1954	शून्य		शून्य	
2.	1655				
3.	1956				
4.	1957				
5.	1958	198	0	शून्य	
6.	1959	23803	0	86,789	0
7.	1960				
8.	1961				
9.	1962	7	0	शून्य	
10.	1963	566	10	250	0
11.	1964	701	16	19	0
12.	1965	675	8	243	0
13.	1966	शून्य		शून्य	
14.	1967	2	0	33	0
15.	1968	79	0	शून्य	
16.	1969	79	0		
17.	1970	शून्य			
18.	1971	519	0	80	13
19.	1972	3014	18	शून्य	
20.	1973 (22-2-73 तक)	शून्य			
कुल योग:—		29645–	12	87,414–	13
		या 18528 एकड़		या 54,634 एकड़	

(129)

परिशिष्ट–2 मार्च, 1973–परिशिष्ट [246

भाखरा नहर परियोजना से सिंचाई की गई वर्ष वार सूची 'ख'

वर्ष	सिंचित क्षेत्र एकड़
1954–55	54,018
1955–56	1,46,807
1956–57	1,04,893
1957–58	1,7[illegible],852
1958–59	2,66,587
1959–60	3,44,128
1960–61	2,17,219
1961–62	2,98,820
1962–63	3,99,583
1963–64	4,49,326
1964–65	5,22,820
1965–66	4,54,162
1966–67	5,78,486
1967–68	6,44,053
1968–69	6,11,334
1969–70	6,45,578
1970–71	6,46,973
1971–72	5,92,200

शुद्धि-पत्र

(दिनांक 2 मार्च, 1973)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1	2	3	4
4	ऊपर से 13	श्री हरदेव जोशी	श्री हरिदेव जोशी
6	नीचे से 6	मण्ड राशि	मण्डल की राशि
8	ऊपर से 13	971	1971
11	,, 5	वगर	नगर
11	नीचे से 16	यह यह	यह
12	ऊपर से 10	उनसे	उन पर
12	नीचे से 19	1, 0	1,50
12	,, 10	पके	आपके
12	,, 8	उके	उसके
13	,, 5	बरस	वर्ष
14	ऊपर से 1	बस्यियां	बस्तियां
14	,, 7	नोटिस	ने नोटिस
15	नीचे से 1	जाती	जाती और उसके बाद जो है उस
17	ऊपर से 1	प्रश्नो र	प्रश्नोत्तर
19	,, 5	गेल्ड	गलेड
19	नीचे से 8	253-क्या	श्री निरंजन नाथ आचार्य (मावली) : क्या
21	,, 17	लीज 17	31-
22	ऊपर से 6	थातो अगर	था अगर
22	नीचे से 11	254 क्या	254 श्री मीठालाल (लालसोट): क्या
24	ऊपर से 11	से सिर्फ	सिर्फ
24	,, 12	के	के लिए
25	नीचे से 1	दिया	दिये। पंचायतों को अधिकार

(131)

2

1	2	3	4
25	नीचे से 16	खमियां	खामियां
28	ऊपर से 5	श्री	थी
29	नीचे से 12	वो	उनकी
30	,, 1	वगैरा	वगैरह
48	,, 7	स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था	—
57	,, 9	रावतराम	श्री रावतराम (छापर):
58	ऊपर से 4	श्री प्रसाद बोहरा	श्री रामप्रसाद बोहरा
58	नीचे से 4	श्री लूणाराम	श्री लूणाराम
75	ऊपर से 1	बाढ़मेर	बाड़मेर
89	नीचे से 11	क	कर
91	ऊपर से 8	कबलों	कम्बलों
95	नीचे से 9	अपाध्यक्ष	उपाध्यक्ष
106	नीचे से 16	विधलय	विद्यालय
135	ऊपर से 7	एारया	एरिया
233	नीचे से 3	कृप	कृपा
238	,, 2	7-73	72-73